ELITE IAS

समसामयिकी

मार्च—2018

8899999931/34

A-1 Chandra House, Top Floor, (Opp. ICICI Bank), Mukherjee Nagar, Delhi-09

ELITE IAS

Our Courses

For Civil Services Preparation

CLASSROOM PROGRAM

Hindi / English

Upgraded Foundation Course
General Studies

ONLINE COURSES

General Studies Video Classes
(Interactive)

ALL INDIA TEST SERIES

Hindi / English

General Studies
Prelims + Mains + Essay

CORRESPONDENCE COURSES

General Studies Pre. & Mains
(Interactive)

Index

आलेख

1.	भारत-ईरान दोस्ती के मायने	1-2

कला, संस्कृति, समाज एवं सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दे

2.	जैन महाकुंभ	3-3
3.	भारत की 42 भाषाएं व बोलियां विलुप्ति के कगार पर: गृह मंत्रालय रिपोर्ट	3-4
4.	8वां थिएटर ओलंपिक्स	4-5
5.	भारत में बेरोजगारों की संख्या बढ़ने का अनुमान: अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन रिपोर्ट	5-6
6.	एलपीजी पंचायत	6-7
7.	केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता (PMRF) योजना को मंजूरी दी	7-7
8.	असम में मातृत्व मृत्यु दर	7-8
9.	UIDAI ने 5 साल से छोटे बच्चों के लिए 'बाल आधार' जारी किया	8-9
10.	केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शहरी आवास कोष के गठन को मंजूरी दी	9-10
11.	आनंद कारज मैरिज एक्ट लागू	10-11
12.	गंगा नदी पर जल मार्ग परियोजना हेतु आईडब्ल्यूएआई ने विश्व बैंक के साथ समझौता किया	11-11
13.	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लक्ष्य में बढ़ोतरी	11-12
14.	भारत में होती है प्रति 1,000 नवजात शिशुओं में 25.4 की मौत: UNISEF रिपोर्ट	12-14
15.	'जनाद्रियाह' महोत्सव में भारत-'सम्मानित अतिथि' देश	14-14
16.	स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत' रिपोर्ट	15-15

राजव्यवस्था एवं शासन, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक विकास

17.	कावेरी विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को मिलने वाले पानी में कटौती के निर्देश दिए	16-17
18.	सुप्रीम कोर्ट में रोस्टर सिस्टम हेतु अधिसूचना जारी	17-18
19.	महानदी नदी जल विवाद के न्यायिक निपटारे हेतु न्यायाधिकरण के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी	18-18

20.	लोकतंत्र सूचकांक-2017	18-19
21.	सुप्रीम कोर्ट ने दी देश में 19 ट्रिब्यूनल की नियुक्ति को हरी झंडी	19-23

अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत एवं विश्व एवं वैश्विक परिदृश्य

22.	चीन एफएटीएफ का उपाध्यक्ष बना	24-24
23.	केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहयोग कार्यक्रम हेतु भारत ऑस्ट्रेलिया समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षर को स्वीकृति दी	25-25
24.	अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा सूचकांक, 2018	25-26
25.	ईरान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा	26-28
26.	भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, 2017	28-29
27.	GO Banking Rates सर्वे: विश्व के सबसे सस्ते देश	29-29
28.	ग्लोबल फ्रॉड एंड रिस्क रिपोर्ट 2017-18	30-30
29.	भारत सरकार एवं एनडीबी में समझौता	30-31
30.	केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण हेतु भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सहयोग-ज्ञापन को मंजूरी दी	31-32
31.	भारत और ओमान ने आठ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये	32-32
32.	मालदीव में आपातकाल की घोषणा की गई	33-33
33.	भारत को ओमान के दुकम पोर्ट तक सैन्य पहुंच कायम करने की स्वीकृति	33-34

भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विकास

34.	कुसुम योजना: 3 करोड़ सिंचाई पंप सौर उर्जा से लैस होंगे	35-35
35.	राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस	36-36
36.	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों हेतु लोकपाल की नियुक्ति	36-37
37.	भारतीय कंपनियों के समूह और एडीएनओसी में समझौता	37-37
38.	राजकोषीय घाटा संबंधी फिच का अनुमान	38-38
39.	लघु उद्योगों को तकनीकी हस्तांतरण हेतु तंत्र की स्थापना	38-39
40.	एचएसबीसी के आर्थिक वृद्धि के अनुमान	39-39

41.	फोर्ब्स की क्रिप्टोकरेंसी रखने वाले अमीरों की पहली सूची, 2018	40-41
42.	छठवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति 2017-18	41-42
43.	राष्ट्रीय आय के प्रथम संशोधित अनुमान	42-43
44.	वर्ष 2017-18 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान	43-44
45.	भारतीय फूड रीटेल वेंचर में प्रविष्ट पहली विदेशी ई-कॉमर्स फर्म	44-44
46.	उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट-2018	45-45
47.	केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनियमित जमा योजना और चिट फंडों (संशोधन) पर प्रतिबंध लगाने के नए विधेयक, 2018 को मंजूरी	46-47
48.	महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2016 में परिवर्तनों को मंजूरी	47-48

पारिस्थितिकी और पर्यावरण

49.	विश्व आर्द्रभूमि दिवस	48-48
50.	मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बाघ गणना का प्रथम चरण प्रारंभ	48-49
51	गोवा के नवेलिन में साल नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु नई परियोजना को मंजूरी	49-49
52.	भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2017	49-51
53.	विश्व सतत विकास सम्मेलन, 2018	51-51
54.	मिनामाता समझौते की पुष्टि	52-53
55.	केंद्र सरकार ने फ्लाई ऐश के बेहतर प्रबंधन के लिए ऐश ट्रैक मोबाइल ऐप लांच किया	53-54
56.	अटल भूजल योजना	54-54
57.	विश्व पर्यावरण दिवस, 2018 की मेजबानी	55-55

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रतिरक्षा एवं स्वास्थ्य

58.	दूरसंचार विभाग एवं आईआईटी चेन्नई में समझौता	56-56
59.	एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGM) 'नाग' का सफल परीक्षण	57-61
60.	'एचआईवी/एड्स से पीड़ित लोगों (PLHIV) के लिए 'वायरल लोड टेस्ट' का शुभारंभ	61-61
61.	गरुड़ शक्ति-2018	61-61
62.	धनुष बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण	62-62

63.	टेरेस्ट्रीयल और सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग पर 24वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 'बीईएस एक्सपो-2018'	62-63
64.	विश्व के सबसे छोटे रॉकेट का प्रक्षेपण	63-63
65.	पृथ्वी-II मिसाइल का सफल रात्रिकालीन परीक्षण	63-64
66.	पृथ्वी-II का सफल परीक्षण	64-64
67.	अग्नि-II का सफल परीक्षण	64-65
68.	अग्नि-1 का सफल परीक्षण	65-66
69.	वर्जिन ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार में समझौता	66-66
70.	हॉक-आई फ्लाइट	67-67
71.	विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट	67-68
72.	बंदरगाहों, जलमार्ग और तटों के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र	68-69
73.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन स्वायत्तशासी निकायों को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी	69-70
74.	यूनानी चिकित्सा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, 2018	70-70
75.	अंडमान निकोबार में सबसे बड़े समुद्री नौसैनिक अभ्यास मिलन-2018 का आयोजन	71-71
76.	स्वदेश निर्मित ड्रोन रुस्तम-2 का सफल परीक्षण	71-72
77.	रक्षा मंत्री ने विनय शील ओबेरॉय की अध्यक्षता में समिति गठित की	72-73

अन्य `बरें

78.	विश्व कैंसर दिवस	74-74
79.	शेष आनंद मधुकर को साहित्य अकादमी भाषा सम्मान प्रदान किया गया	74-74
80.	राष्ट्रीय विज्ञान दिवस: 28 फरवरी	75-75
81.	कांची शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती का निधन	75-75
82.	कर्नाटक ने सौराष्ट्र को हराकर तीसरी बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती	75-75
83.	प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी का निधन	75-75
84.	स्टार्टअप ऑफ द ईयर, 2017	75-76
85.	71वां बाफ्टा अवॉर्ड्स, 2018	76-76

86.	FIH हॉकी स्टार्स अवाड्र्स, 2017	77-77
87.	डॉ. वी. शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड, 2018	77-77
88.	अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस	77-78
89.	विश्व सामाजिक न्याय दिवस	78-78
90.	पुस्तक 'एग्जाम वारियर्स'	78-78

आलेख

भारत-ईरान दोस्ती के मायने

- बदलते वैश्विक परिदृश्य में ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी की भारत यात्रा दोनों देशों के रिश्तों में जान फूंकने वाला है। दोनों देशों का निकट आना न केवल आर्थिक कारोबार के लिए वरदान है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कूटनीतिक और सामरिक लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों ने नौ समझौते पर मुहर लगाई है जिसमें चाबहार के शाहिद बेहस्ती बंदरगाह का 18 माह तक संचालन का जिम्मा भारत को सौंपा गया है। अन्य समझौते में प्रत्यर्पण संधि का अनुमोदन, एक-दूसरे के नागरिकों को ई-वीजा की सुविधा, पारंपरिक औषधि पद्धतियों का आदान-प्रदान और कारोबार से जुड़े मसलों के समाधान के लिए विशेषज्ञ समूह के गठन पर भी दोनों देशों ने हामी भरी है। दोनों देशों के बीच इस समझौते से न केवल कारोबार व निवेश की गति तेज होगी, बल्कि इस इलाके में चीन-पाकिस्तान की दूराग्रही मानसिकता पर नकेल कसने के साथ-साथ मध्य एशियाई देशों से भी कारोबारी व सामरिक संबंध बढ़ाने में मदद मिलेगी।

- भारत के लिए मध्य एशिया इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के विघटन के बाद इस क्षेत्र में सामरिक एवं आर्थिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं और उस परिवर्तन का सीधा असर भारत पर पड़ता दिख रहा है। किसी से छिपा नहीं है कि इस क्षेत्र में एक ओर आंतरिक एवं बाह्य कारणों से उत्पन्न जेहादी कट्टरता शांति एवं स्थिरता के लिए चुनौती बनी है वहीं पूर्व सोवियतकालीन परंपरागत आर्थिक संस्थागत ढांचे में नित नया बदलाव हो रहा है। ऐसे में भारत के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह अपनी परंपरागत सामरिक व आर्थिक नीति में बदलाव करे। ध्यान देना होगा कि मध्य एशिया की भौगोलिक स्थिति भारत के लिए भू-राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान की निकटता से भारत इस क्षेत्र में अपने एजेंडे को आसानी से धार दे सकेगा।

- इतिहास पर गौर करें तो भारत एवं मध्य एशिया के बीच गहरे ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। इतिहासकारों के एक वर्ग का मत है कि भारत में वैदिक सभ्यता के नियंता आर्य मध्य एशिया से आए। भारत का शक्तिशाली कुषाणों का साम्राज्य बनारस से पामीर के पठार के पूर्व तथा मध्य एशिया में तियेनशान और कुनलुन पहाड़ियों तक विस्तृत था। धारणा यह भी है कि भारत में शासन करने वाले मुगल सम्राट मध्य एशियाई जातियों के वंशज थे। भारत में उत्पन बौद्ध धर्म का प्रभाव आज भी मध्य एशिया में व्याप्त है। भारत एवं मध्य एशिया के बीच आर्थिक संपर्क प्राचीन सिल्क मार्ग से होता था। अब ईरान के जरिये भारत मध्य एशियाई राष्ट्रों से कंधा जोड़कर न सिर्फ सामरिक, बल्कि परंपरागत आर्थिक संबंधों में भी जान फूंक सकता है। मौजूदा समय में भारत मेक इन इंडिया की अवधारणा को आगे बढ़ा रहा है। इस लिहाज से मध्य एशिया भारत के लिए बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है। भारत यहां अपनी सशक्त भूमिका के जरिये प्रमुख आपूतिकर्ता राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इस क्षेत्र में अपना निवेश बढ़ाए। वैसे भी दशकों से इस क्षेत्र में भारत से रसायन, चाय एवं दवाएं भेजी जा रही हैं, लेकिन इसे और विस्तार दिए जाने की जरूरत है। मौजूदा समय में भारत का मध्य एशियाई देशों से व्यापार 1.4 अरब डॉलर का है। भारतीय निर्यात इस क्षेत्र में 604.32 मिलियन डॉलर है और आयात 775.3 मिलियन डॉलर है। अगर दोनों क्षेत्रों के बीच बेहतर संपर्क मार्ग बनते हैं तो आयात व निर्यात को गति मिलेगी। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि आज मध्य एशियाई क्षेत्र में चीन प्रभावी और हावी है। मध्य एशियाई देशों के प्रति चीन का उमड़ता प्रेम यों ही नहीं है। खनिज संपदाओं से लबालब उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दुनिया के सबसे बड़े तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्रों में से एक हैं और कजाकिस्तान अपने दामन में दुनिया की एक चौथाई यूरेनियम समेटे हुए है। अगर भारत और ईरान के बीच संबंध प्रगाढ़ होते हैं तो नि:संदेह भारत को मध्य एशियाई देशों से कारोबारी रिश्ते को धार देने में मदद मिलेगी।

- आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भारत की पश्चिम की ओर देखो नीति दशकों पुरानी है, जबकि इतिहास में झांका जाय तो यह सदियों पुरानी है। इन दिनों भारत और ईरान के बीच एक नई राह बनी है जो समतल भी है और बेहतर भी। इसका यह तात्पर्य नहीं कि राह अभी-अभी बनी है, बल्कि दौर के अनुपात में इसमें मोड़ नए हैं। दोनों देशों के बीच हुए नौ समझौतों में सब तो नए नहीं हैं, पर द्विपक्षीय दृष्टि से इन्हें सुसंगत कहा जा सकता है। आतंकवाद से मिलकर लड़ेंगे और चाबहार परियोजना के शाहिद बहेस्ती बंदरगाह के पट्टे को भारत को देने का करार तो खास ही कहा जाएगा। दोनों देशों ने जिन अन्य मुद्दों पर रजामंदी दिखाई है उसमें दोहरे कराधान एवं राजस्व चोरी से बचने, प्रत्यर्पण संधि के क्रियान्वयन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समेत व्यापार की बेहतरी के लिए विशेष समूह बनाने जैसी कई बातें शामिल हैं। ईरानी राष्ट्रपति का यह

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

संकल्प कि हम आतंकवाद और चरमपंथ से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं वाकई भारत की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक गैस और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में सहयोग का फैसला भी अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मानना कि हसन रूहानी की यह यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती देगी बेशक सही है, पर पश्चिम की ओर देखो नीति में जिस तरीके से भारत विस्तार लिए हुए है और इसे निरंतरता दे रहा है उसमें केवल देश विशेष पर केंद्रित नहीं हुआ जा सकता। जाहिर है आसपास के देशों को भी ध्यान में रखना होगा। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया के अरब देशों के बीच आपस में काफी तना-तनी है और भारत का सरोकार लगभग सभी से है। दरअसल भारत यह जानता है कि ईरान एक बड़ी क्षेत्रीय शक्ति है, जिसकी भौगोलिक स्थिति उसे पड़ोसी क्षेत्रों जैसे फारस की खाड़ी, पश्चिम एशिया, कॉकेशस, कैस्पियन तथा दक्षिण व मध्य एशिया में महत्वपूर्ण बनाती है। गौरतलब है कि विश्व के प्राकृतिक गैस का 10 फीसद भंडार रखने वाला ईरान ओपेक देशों में दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। इसके चलते भारत और ईरान के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। हालांकि भारत-पाकिस्तान-ईरान गैस पाइपलाइन समझौता लंबे समय तक कागजी ही रहा और अब तो नाउम्मीद के ही संकेत हैं। प्रधानमंत्री मोदी मई 2016 में ईरान की दो दिवसीय यात्र पर गए थे तब उन्होंने पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान और यूरोप तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने वाले चाबहार समझौते पर सहमति की मोहर लगाई थी। अब इसी चाबहार के 18 माह तक संचालन करने का अधिकार भारत को मिला है। यह दोनों देशों के रिश्ते को मिसाल में बदल सकता है। हालांकि द्विपक्षीय समझौते रणनीतिक और कारोबारी दृष्टि से अहम माने जा सकते हैं। यह समझौता पाकिस्तान समेत चीन को जरूर खटकेगा। दरअसल इस समझौते के चलते भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच सीधे बंदरगाह स्थापित हो जाएंगे और इस इलाके में बढ़ते चीन और पाकिस्तान के असर कम हो जाएंगे। चाबहार समझौता भारत को मध्य एशिया से सीधे जोड़ देगा। साथ ही रूस तक भी इसकी पहुंच आसान हो जाएगी। साल 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा चाबहार को विकसित करने को लेकर सहमति बनी थी। तब से खटाई में पड़े चाबहार समझौते को मोदी ने संजीदा बनाने की सकारात्मक कूटनीति की थी जिसका प्रतिफल इन दिनों देखा जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति हसन रूहानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूफीवाद की शांति एवं सहिष्णुता की साझी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आतंकवाद और कट्टरवाद फैलाने वालों को रोकने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। दरअसल भारत पाक प्रायोजित आतंकवाद से त्रस्त रहा है। फिलहाल देखा जाय तो इन दिनों पाकिस्तान अपनी इन्हीं करतूतों के चलते दुनिया के निशाने पर है। प्रधानमंत्री मोदी की एक नीति यह रही है कि द्विपक्षीय मामला हो या बहुपक्षीय मंच, पाकिस्तान को अलग-थलग करने के लिए हमेशा वे एड़ी-चोटी का जोर लगाते रहे हैं, जिसके नतीजे भी साफ दिखने लगे हैं। पाकिस्तान के भीतर आतंक को समाप्त करने को लेकर उसे अमेरिका से लगातार धमकी मिल रही है। उसे इस बात का भी डर है कि पेरिस में जारी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सालाना बैठक में उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।

वैसे भारत-ईरान के बीच मौर्य तथा गुप्त शासकों के काल से ही ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। विश्व के सात आश्चर्यों में शामिल ताजमहल का वर्णन प्राय: भारतीय शरीर में ईरानी आत्मा के प्रवेश के रूप में किया जाता है। स्वतंत्रता के शुरुआती दिनों में दोनों देशों के बीच 15 मार्च, 1950 को एक चिरस्थाई शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर भी हुए थे। हालांकि शीत युद्ध के दौरान दोनों के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। ऐसा ईरान का अमेरिकी गुट में शामिल होने के चलते था। इसके अलावा भी कई उतार-चढ़ाव समय के साथ रहे हैं, पर अब दोनों देशों के बीच एक सहज कूटनीति विद्यमान है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार और निवेश आदि को लेकर भी काफी कुछ मंथन हुआ है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में भी समझौते हुए हैं। दो टूक यह भी है कि भारत पूरब के साथ पश्चिम की ओर भी देख रहा है। साथ ही यह दक्षिण एशिया में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहता है, परंतु पाकिस्तान जैसों के चलते इसके कुछ उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं। साथ ही चीन की कुदृष्टि और उसकी पाकिस्तान की पीठ थपथपाने की नीति के कारण भारत को कहीं अधिक सधी हुई कूटनीति करनी पड़ रही है। यही कारण है कि जब भी देश की सघन और व्यापक रणनीति होती है तो दोनों पड़ोसियों को खलता है। फिलहाल ईरान के साथ मौजूदा संबंध फिर एक नए मोड़ पर है। दो साल पहले मोदी ने कहा था कि भारत और ईरान की दोस्ती उतनी ही पुरानी है जितना पुराना इतिहास। यह बात बिल्कुल सही है। साथ ही इसमें कोई दुविधा नहीं कि ईरान से गाढ़े संबंध भारत की क्षमता को बढ़ाने में सहायक होंगे।

कला, संस्कृति, समाज, तथा सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दे

जैन महाकुंभ

चर्चा में क्यों?

- 17-25 फरवरी, 2018 के मध्य हासन जिले (कर्नाटक) में स्थित श्रवणबेलगोला (जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल) में जैन महाकुंभ आयोजित हुआ।

मुख्य तथ्य

- इस महाकुंभ के दौरान भगवान बाहुबली का महामस्तकाभिषेक किया जाता है।
- यह महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम 12 वर्ष में एक बार होता है।
- यह समारोह इस तीर्थ स्थल केंद्र में प्राचीन और समग्र जैन परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है।
- ज्ञातव्य है कि राष्ट्रपति द्वारा 7 फरवरी, 2018 को महामस्तकाभिषेक से जुड़े अनुष्ठान कार्यक्रम की शुरूआत की गई थी किन्तु मुख्य समारोह 17 फरवरी, 2018 से प्रारंभ हुआ।
- प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भगवान बाहुबली की प्रतिमा (ऊंचाई 57 फुट) विंध्यगिरी पहाड़ियों पर स्थित है।
- यह प्रतिमा एक ही पत्थर से बनाई गई है।
- संभवत: यह विश्व में अखंड ग्रेनाइट से निर्मित सबसे बड़ी प्रतिमा है।
- यह इस समारोह का 88वां संस्करण है।
- यह समारोह 981 ईसवी में गंग वंश के दौरान शुरू हुआ था। तब से यह समारोह प्रति 12 वर्ष बाद नियमित रूप से आयोजित किया जाता है।
- इस समारोह के दौरान प्रतिमा को नहलाया जाता है और दूध, गन्ने के रस और केसर के पेस्ट से अभिषेक किया जाता है तथा इस पर चंदन, हल्दी और सिंदूर का छिड़काव किया जाता है।
- इस भव्य आयोजन हेतु सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त 12 अस्थायी टाउनशिप बनाई गयी है।
- साधुओं के लिए एक अलग टाउनशिप जिसे 'त्यागी नगर' कहा जाता है, का निर्माण किया गया है।
- इस समारोह हेतु राज्य सरकार द्वारा 300 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।
- श्रवणबेलगोला विंध्यगिरी और चन्द्रगिरी नामक दो पहाड़ियों के बीच स्थित है जो विगत 2500 वर्षों से जैन तीर्थस्थल का केंद्र रहा है।

स्रोत: द हिंदू

भारत की 42 भाषाएं व बोलियां विलुप्ति के कगार पर: गृह मंत्रालय रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गयी रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में बोली जाने वाली 42 भाषाएं तथा बोलियां संकट में है।

मुख्य तथ्य

- इस रिपोर्ट के अनुसार इन 42 भाषाओं एवं बोलियों का इस्तेमाल करने वाले कुछ ही हजार लोग हैं जिसके चलते इनका यह हश्र हुआ है।

- गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत जनगणना निदेशालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 22 अधिसूचित तथा 100 गैर-अधि सूचित भाषाएं हैं जिन्हें एक लाख या इससे अधिक लोग बोलते हैं।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- संयुक्त राष्ट्र ने भी ऐसी 42 भारतीय भाषाओं या बोलियों की सूची तैयार की है। यह सभी खतरे में हैं और धीरे-धीरे विलुप्त होने की ओर बढ़ रही हैं।

विलुप्त होने की कगार पर भारतीय भाषाएं:

- संकटग्रस्त भाषाओं में 11 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की हैं। इनके नाम हैं: ग्रेट अंडमानीज, जरावा, लामोंगजी, लुरो, मियोत, ओंगे, पु, सनेन्यो, सेंतिलीज, शोम्पेन और तकाहनयिलांग हैं।
- मणिपुर की सात संकटग्रस्त भाषाएं एमोल, अक्का, कोइरेन, लामगैंग, लैंगरोंग, पुरुम और तराओ इस सूची में शामिल हैं।
- **हिमाचल** प्रदेश की चार भाषाएं- बघाती, हंदुरी, पंगवाली और सिरमौदी भी खतरे में हैं।
- ओडिशा की मंडा, परजी और पेंगो भाषाएं संकटग्रस्त भाषाओं की सूची में शामिल हैं।
- कर्नाटक की कोरागा और कुरुबा जबकि आंध्र प्रदेश की गडाबा और नैकी विलुप्त होने के कगार पर हैं।
- तमिलनाडु की कोटा और टोडा भाषाएं विलुप्तप्राय हो चुकी हैं।
- असम की नोरा और ताई रोंग भी खतरे में हैं।
- उत्तराखंड की बंगानी, झारखंड की बिरहोर, महाराष्ट्र की निहाली, मेघालय की रुगा और पश्चिम बंगाल की टोटो भी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच रही हैं।

भाषाओं के संरक्षण हेतु उठाये जा रहे कदम

मैसूर स्थित भारतीय भाषाओं के केंद्रीय संस्थान देश की खतरे में पड़ी भाषाओं के संरक्षण और अस्तित्व की रक्षा करने के लिए केंद्रीय योजनाओं के तहत कई उपाय कर रहा है। इन कार्यक्रमों के तहत व्याकरण संबंधी विस्तृत जानकारी जुटाना, एक भाषा और दो भाषाओं में डिक्शनरी तैयार करने के काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा, भाषा के मूल नियम, उन भाषाओं की लोककथाओं, इन सभी भाषाओं या बोलियों की खासियत को लिखित में संरक्षित किया जा रहा है. यह सभी वह भाषाएं हैं जिन्हें दस हजार से भी कम लोग बोलते हैं।

स्रोत: द हिंदू

8वां थिएटर ओलंपिक्स

चर्चा में क्यों?

- 17 फरवरी, 2018 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा 8वें अंतरराष्ट्रीय थिएटर ओलंपिक्स का नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किले में उद्घाटन किया गया।

मुख्य तथ्य

- यह पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है।
- इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने इस समारोह का लोगो 'मैत्री ध्वज' का अनावरण भी किया।
- 51 दिनों तक चलने वाले इस समारोह का आयोजन संस्कृति मंत्रालय के तत्त्वावधान में राष्ट्रीय नाट्य अकादमी द्वारा किया जा रहा है।
- इस ओलंपिक्स की थीम 'मैत्री का ध्वज' (Flag of Friendship) है।
- जिसका लक्ष्य सीमाओं को तोड़ना, नाटकीय कला के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों, विश्वासों और विचारधाराओं के लोगों को एक साथ लाना है।
- यह ओलंपिक्स 17 भारतीय नगरों में आयोजित किया जाएगा।
- इसमें विश्व भर के 25000 कलाकार भाग ले रहे हैं।
- इस दौरान 450 शो, 600 माहौल (Ambience) प्रदर्शन और 250 पावर पैकट युवा फोरम आयोजित होगा।

- इसका समापन 8 अप्रैल, 2018 को मुंबई में ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया पर होगा।
- वर्ष 1959 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा स्थापित किया गया था।
- इसमें 30 देश भाग ले रहे हैं।
- ज्ञातव्य है कि थिएटर ओलंपिक की स्थापना वर्ष 1993 में डेल्फी, ग्रीस में हुई थी।

स्रोत: द हिंदू

भारत में बेरोजगारों की संख्या बढ़ने का अनुमान: अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा हाल ही में जारी की गयी 'वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक' रिपोर्ट में वर्ष 2017 तथा 2018 में भारत में बेरोजगारी दर में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है. इससे पहले जारी की गई रिपोर्ट में बेरोजगारी दर 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।

भारत के संदर्भ में रिपोर्ट

- भारत में वर्ष 2017 में बेरोजगारों की संख्या 17.8 मिलियन की अपेक्षा 18.3 मिलियन तक हो सकती है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में भारत में बेरोजगारों की संख्या 18.6 मिलियन रहने का अनुमान है, जबकि पहले इसी रिपोर्ट में बेरोजगारों की संख्या 18 मिलियन रहने का अनुमान लगाया गया था।
- प्रतिशत के संदर्भ में ILO ने सभी तीन वर्षों 2017, 2018 और 2019 के लिये भारत में बेरोजगारी दर 3.5% पर स्थिर रहने का अनुमान लगाया है।
- एशिया पैसिफिक क्षेत्र में 2017 से 2019 के दौरान 23 मिलियन नई नौकरियाँ सृजित होंगी और भारत सहित अन्य दक्षिण एशियाई देशों में नए रोजगार सृजित होंगे किंतु पूरे क्षेत्र में बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी।

वैश्विक संदर्भ में रिपोर्ट

- रिपोर्ट के अनुसार एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेरोजगारों की संख्या वर्ष 2018 में 83.6 मिलियन तथा वर्ष 2019 में 84. 6 मिलियन रहने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2017 में यह 82.9 मिलियन थी।
- चीन में भी वर्ष 2018 में बेरोजगारों की संख्या 37.6 मिलियन तथा 2019 में 37.8 मिलियन तक बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है, जबकि 2017 में इसके 37.4 मिलियन रहने का अनुमान था।
- इस रिपोर्ट के मुताबिक अनौपचारिकता की व्यापकता ने दक्षिण एशिया में कार्यशील गरीबी को कम करने की संभावनाओं को और कम करना जारी रखा है।
- वैश्विक रूप से वर्ष 2018 में बेरोजगारों की संख्या 192.3 मिलियन हो जाएगी, जबकि 2017 में यह 192.7 मिलियन थी।
- रिपोर्ट में यह भी बताया गया है की मजबूत आर्थिक वृद्धि के बावजूद कम गुणवत्ता वाली नौकरियाँ सृजित हो रही हैं तथा वर्ष 2019 तक दक्षिण एशिया के 72% कामगारों के रोजगार अतिसंवेदनशील अवस्था में रहेंगे।
- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार अतिसंवेदनशील रोजगार उन लोगों को संदर्भित करता है जो अत्यंत संकटकालीन परिस्थितियों में नियोजित हैं, उनके पास रोजगार की औपचारिक व्यवस्था नहीं है और सामाजिक सुरक्षा के लिये किसी कार्यक्रम या योजना तक इनकी पहुँच नहीं है और इस प्रकार वे आर्थिक चक्र में खतरे की स्थिति में हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार अतिसंवेदनशील रोजगार दक्षिण एशिया में लगभग 72%, दक्षिण-पूर्व एशिया में 46% तथा पश्चिम एशिया में 31% श्रमिकों को प्रभावित करेगा और पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन

- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतरराष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है. यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। वर्ष 1969 में इसे विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के अधिकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन (आईएलओ) का गठन किया गया। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों में से लगभग 187 इसके सदस्य हैं. अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन (आईएलओ) मजदूर वर्ग के लोगों के लिये अंतरराष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन की सभी शिकायतों को देखता है। इसके पास त्रिकोणिय संचालन संरचना है अर्थात् सरकार, नियोक्ता और मजदूर का प्रतिनिधित्व करना. सरकारी अंगों और सामाजिक सहयोगियों के बीच मुक्त और खुली चर्चा उत्पन्न करने के लिये, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक कार्यालय के रूप में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन सचिवालय कार्य करता है. इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।

स्रोत: द हिंदू

एलपीजी पंचायत

चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 13 फरवरी 2018 को राष्ट्रपति भवन में एलपीजी पंचायत का आयोजन किया। एलपीजी पंचायत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई थी।

इसका उद्देश्य

- इसका उद्देश्य एलपीजी उपभोक्ताओं को एक-दूसरे से बातचीत करने, एक दूसरे से सीखने तथा अनुभव साझा करने के लिए मंच प्रदान करना है।
  - प्रत्येक एलपीजी पंचायत में लगभग 100 एलपीजी उपभोक्ता एलपीजी के सुरक्षित और सतत उपयोग, इसके लाभ और खाना पकाने में स्वच्छ ईंधन तथा महिला सशक्तिकरण के बीच संबंध पर चर्चा करने के लिए अपने निवास के नजदीक एकत्रित होते हैं।
  - पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का लक्ष्य 31 मार्च 2019 से पहले देशभर में ऐसी एक लाख पंचायत आयोजित करने का है।

एलपीजी पंचायत की आवश्यकता

- देश के लगभग 21 करोड़ परिवार एलपीजी का उपभोग कर रहे हैं। शहरों में जहां लगभग 100% आबादी एलपीजी का उपयोग करती है वहीँ गाँवों में 51% परिवार एलपीजी का उपभोग कर रहे हैं।
- उज्जवला योजना के तहत दिये गए 3 करोड़ कनेक्शनों में से 35 फीसदी परिवारों ने अभी तक दूसरा गैस सिलिंडर नहीं लिया।
- दरअसल, पेट्रोलियम मंत्रालय भी चाहता है कि देश के सभी परिवारों को एलपीजी से लैस किया जाए, ताकि ईंधन पर निर्भरता कम हो तथा महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर हो।
- सरकार चाहती है कि उज्जवला योजना के तहत वर्ष 2019 तक गैस कनेक्शनों की संख्या पांच करोड तक पहुँचाई जाए। इसलिये पहली बार गैस का उपभोग कर रहे परिवारों में एलपीजी उपभोग के प्रति जागरुकता लाने के लिये देश भर में एक लाख प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायतों का आयोजन किया जाएगा।

एलपीजी पंचायत का लाभ

- एलपीजी पंचायत, उज्ज्वला योजना की सफलता को नया आयाम देने में सफल रहेगी। इसके तहत महिलाओं के बीच जाकर पंचायतों का आयोजन करना है।
- इन पंचायतों में हर क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं की मदद भी ली जाएगी। इसमें आंगनबाडी, समाजसेवा, राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएँ भी शामिल होंगी।

- एलपीजी पंचायतों के जरिये देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में भी जागरुकता बढ़ाने में मदद मिलेगी कि एलपीजी उनके द्वारा उपयोग में लाए जा रहे पारंपरिक उर्जा से सस्ता भी है और स्वच्छ भी।
- एलपीजी पंचायतों में यह बताया जाएगा कि एलपीजी का इस्तेमाल न सिर्फ सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिये बेहतर है, बल्कि आस-पास के पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने में मददगार होता है।

स्रोत: द हिंदू

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता (PMRF) योजना को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 07 फरवरी, 2018 को प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता (PMRF) योजना को स्वीकृति प्रदान की। वर्ष 2018-19 से अगले सात वर्ष की अवधि के लिए इसकी लागत 1650 करोड़ रुपये होगी।

मुख्य तथ्य

- प्रधानमंत्री ने इस योजना से राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए अभिनव प्रयोग तथा प्रौदयोगिकी के महत्व पर बल दिया है।
- यह फेलोशिप योजना नवाचार के माध्यम से विकास में वृद्धि करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

योजना की विशेषताएं

इस योजना के अंतर्गत आईआईएससी/ आईआईटी/ एनआईटी/ आईआईएसईआर/ आईआईआईटी से विज्ञान एवं प्रौदयोगिकी विषयों में बी.टेक. अथवा समेकित एम.टेक. अथवा एमएससी पास करने वाले अथवा अंतिम वर्ष के सर्वोत्तम छात्रों को आईआईटी/ आईआईएससी में पीएचडी कार्यक्रम में सीधा प्रवेश दिया जाएगा।

- ऐसे छात्र जो पात्रता मानदंड पूरा करते हैं और जिन्हें पीएमआरएफ दिशा निर्देशों में निर्धारित चयन प्रक्रिया के जरिए छांटा गया है, को पहले 2 वर्षों के लिए 70,000 रूपये प्रति माह, तीसरे वर्ष के लिए 75,000 रूपये प्रति माह तथा चौथे और 5वें वर्ष में 80,000 रूपये प्रति माह की फेलोशिप प्रदान की जाएगी।
- इसके अलावा प्रत्येक अध्येता को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों में शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए उनकी विदेश यात्रा से संबंधित खर्च को पूरा करने के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 2 लाख रूपये का शोध अनुदान दिया जाएगा।
- वर्ष 2018-19 की अवधि से प्रारंभ होकर आगामी 3 वर्षों में अधिकतम 3000 फेलो का चयन किया जाएगा।

योजना के लाभ

- यह योजना विज्ञान और प्रौदयोगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में स्वदेशी रूप से शोध करने के लिए देश में उपलब्ध प्रतिभा के दोहन में सहायक होगी।
- इस योजना के तहत शोध एक ओर हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता को हल करेगा और दूसरी ओर देश की प्रमुख शैक्षिक संस्थाओं में गुणवत्तापरक संकाय की कमी दूर करेगा।

स्रोत: पीआईबी

असम में मातृत्व मृत्यु दर

चर्चा में क्यों

- 16 फरवरी, 2018 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक उद्घोषणा के अनुसार असम 'एमएमआर' के संदर्भ में भारत में सबसे निचले पायदान पर है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- असम में एमएमआर 300 है।

मुख्य तथ्य

- ध्यातव्य है कि एमएमआर गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से संबंधित किसी भी कारण से प्रति लाख जीवित जन्मों पर महिलाओं की वार्षिक मृत्यु की संख्या को दर्शाता है।
- असम का एमएमआर राष्ट्रीय औसत 167 की तुलना में काफी अधिक है।
- वर्ष 2017–18 में असम ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केवल 13.58 प्रतिशत निधि का उपयोग किया है।
- अपनी उद्घोषणा में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने असम में एमएमआर को कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है।
- चार वर्ष पूर्व असम में 'एमएमआर' 383 एवं वर्ष 2002 में 447 था।
- गिरावट दर–शीर्ष 'एमएमआर' होने के बावजूद असम में इसकी गिरावट दर सर्वाधिक है।
- उपाय–असम के नागांव, धुबरी, गोलपाड़ा, कार्बी आंग्लोंग, कोकराझार और चिरांग समेत कई जिलों में 'एमएमआर' को कम करने हेतु 'मिशन इंद्रधनुष' के तहत टीकारण और अन्य मेडिटेशन को व्यापक रूप से लागू किया जा रहा है।
- ध्यातव्य है कि असम में आईएमआर (44) भी राष्ट्रीय स्तर (37) की तुलना में अधिक है।
- आईएमआर (इन्फैन्ट मॉर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर) प्रति हजार जीवित जन्मों पर होने वाली मृत्यु (12 माह आयुवर्ग से कम बच्चों की) की संख्या है।
- ध्यातव्य है कि राज्य भर में 81 विभिन्न योजनाएं एनएचएम के तहत चल रही हैं।
- डॉक्टरों की संख्या–मंत्रालय की उद्घोषणा के अनुसार असम में प्रति 3000 लोगों पर सिर्फ एक चिकित्सक है।
- जबकि इस संदर्भ में 'डब्ल्युएचओ' मानक के अनुसार प्रति हजार लोगों में एक डॉक्टर मौजूद है।
- जबकि भारत में स्थिति एक डॉक्टर प्रति 1592 की जनसंख्या है।
- जबकि नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 4000 की जनसंख्या पर सिर्फ एक डॉक्टर है।
- आवश्यकता–देश को 2022 तक लगभग 17 लाख चिकित्सकों की आवश्यकता होगी। साथ ही नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना जरूरी है।
- ध्यातव्य है कि केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 52 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी थी और इस साल 24 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का चरण शुरू किया जाएगा जो 2021–22 तक पूर्ण होगा।

स्रोत: द हिंदू

UIDAI ने 5 साल से छोटे बच्चों के लिए 'बाल आधार' जारी किया

चर्चा में क्यों

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नीले रंग का बाल आधार कार्ड जारी करने की घोषणा की है।

मुख्य तथ्य

- सरकारी सुविधाओं के लाभ और पहचान के महत्वपूर्ण दस्तावेज के तौर पर जरूरी हो चुके आधार को लेकर यूआईडीएआई ने यह जानकारी दी है।

- 5 साल से कम आयु के बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए माता या पिता में से किसी एक का आधार नंबर और बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र जरूरी होगा।
- साथ ही यह भी सुविधा दी गयी है कि पांच साल से कम आयु के बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए बायोमीट्रिक डिटेल्स की जरूरत नहीं होगी।

बाल आधार

पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र और माता-पिता में से किसी भी एक के आधार कार्ड के नंबर के जरिए बाल आधार बनवाया जा सकता है लेकिन जैसे ही बच्चा पांच साल की उम्र पार कर लेगा उसके बाद उसका वैरिफिकेशन करवाना होगा। पांच वर्ष से बड़े बच्चे के लिए आधार में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद जब बच्चा 15 साल का हो जाएगा उसे एक बार फिर सामान्य आधार में अपडेट करवाना होगा।

बाल आधार बनवाने की प्रक्रिया

1. बाल आधार बनवाने के लिए नामांकन केंद्र जा कर फॉर्म भरना होगा।
2. बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र और एक अभिभावक का आधार नंबर देना होगा।
3. पंजीकरण के समय एक मोबाइल नंबर भी देना होगा।
4. आवेदक की उम्र 5 साल से कम है इसलिए उसके बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं होगी बल्कि फोटो की आवश्यकता होगी।
5. पांच साल से छोटे बच्चे की एक फोटो क्लिक की जाएगी।
6. बच्चे का आधार उसके माता/पिता के यूआईडी(आधार कार्ड नंबर) से लिंक किया जाएगा।
7. रजिस्ट्रेशन के बाद स्वीकृति की पर्ची मिलेगी।
8. जब रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तब एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS आएगा। यह SMS आने के 60 दिनों के भीतर बच्चे का आधार कार्ड नंबर मिल जाएगा।

स्रोत: द हिंदू

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शहरी आवास कोष के गठन को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 20 फरवरी 2018 को 60,000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय शहरी आवास कोष (एनयूएचएफ) के गठन को मंजूरी दे दी है।

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी):

- यह कोष निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) में होगा।
- बीएमपीटीसी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का एक स्वायत्ताशासी निकाय है, जो संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है।
- परिषद छोटे, लघु, मझौले तथा बड़े स्तर की उत्पादन ईकाइयों की स्थापना में रूचि रखने वाले उद्यमियों के लाभ के लिये प्रामाणिक नई प्रौद्योगिकियों का प्रचार करने का प्रयास करती है।
- परिषद की संरचना, वित्तीय संस्थाओं की सहायता से अनुसंधान संस्थाओं द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों और निर्माण सामग्रियों के विस्तार तथा प्रयोग का कार्य करने और समर्थकारी विनियामक वातावरण के लिये की गई हैं।

मंजूरी से संबंधित मुख्य तथ्य:

- मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अब तक 39.4 लाख मकानों के निर्माण की मंजूरी दी है. राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की ओर से योजना को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।

  योजना के तहत करीब दो-तीन लाख मकान हर महीने मंजूर किए जा रहे हैं. अब तक 17 लाख से ज्यादा मकानों का निर्माण शुरू हो चुका है और पांच लाख मकान बनकर तैयार हो चुके हैं।

स्रोत: पीआईबी

आनंद कारज मैरिज एक्ट लागू

चर्चा में क्यों?

- दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा 02 फरवरी 2018 को सिखों के विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए आनंद कारज मैरिज एक्ट को लागू करने के लिए मंजूरी प्रदान की गयी।

मुख्य तथ्य

- 110 वर्षों के संघर्ष के बाद आखिरकार आनंद कारज मैरिज एक्ट राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लागू हो गया। यह एक्ट लागू करने की मांग 1909 में पहली बार उठी थी।
- दिल्ली के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां बड़ी संख्या में सिख परिवार रहते हैं. सिख परिवारों में जिन लोगों की शादी हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है वे अब आनंद कारज मैरिज एक्ट के तहत इसके पंजीकृत करवा सकते हैं।

आनंद कारज मैरिज एक्ट के लाभ

- इससे पहले जो भी सिख युगल आनंद कारज का सर्टिफिकेट लेने जाते थे उन्हें हिंदू होने का सर्टिफिकेट मिलता था।
- एक्ट लागू होने के बाद सिख मैरिज एक्ट का सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे सिखों की अपने लिए पहचान सुनिश्चित करना आसान होगा।
- अभी तक पंजीकरण फॉर्म में धर्म के कॉलम में सिख और मैरिज सर्टिफिकेट पर हिंदू लिखे होने से कई लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती थी।
- विदेशों में रहने वाले सिख परिवारों को इससे सबसे अधिक लाभ मिलेगा क्योंकि हिन्दू लिखे होने के कारण उन्हें सिखों को मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिलती थीं।

आनंद कारज मैरिज एक्ट वाले राज्य

- पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, मिजोरम, चंडीगढ़, मेघालय आदि।

पृष्ठभूमि

- सिखों के विवाह के लिए अधिनियम तो वर्ष 1909 में ही बना था, लेकिन उसमें विवाह के पंजीकरण का कोई प्रावधान नहीं था। स्वतंत्रता से पहले सिखों में शादियां गुरु ग्रंथ साहिब की मौजूदगी में आनंद विवाह अधिनियम के तहत होती थीं और 1955 तक ऐसा होता रहा।
- लेकिन 1955 में उसे निरस्त कर दिया गया और चार समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म) को जोड़ते हुए सिखों को भी हिंदू विवाह अधिनियम में शामिल कर लिया गया।

- सिख संप्रदाय के लोगों की शादी के लिए बने आनंद कारज विवाह अधिनियम, 1909 में संशोधन पारित किया गया था, जिसे राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने भी मंजूरी दे दी थी। इसलिए अब सिख संप्रदाय के लोगों की शादी का पंजीकरण हिंदू विवाह अधिनियम के तहत न होकर आनंद कारज विवाह अधिनियम, 2012 के तहत होगा।

स्रोत: द हिंदू

गंगा नदी पर जल मार्ग परियोजना हेतु आईडब्ल्यूएआई ने विश्व बैंक के साथ समझौता किया

चर्चा में क्यों?

- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने बनारस से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग-एक पर नौवहन को बढ़ावा देने की दिशा में जलमार्ग विकास परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता किया है।

मुख्य तथ्य

- जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) के लिए आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ 3.75 करोड़ डॉलर का ऋण समझौता हुआ है।
- बनारस से हल्दिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग-1 (गंगा नदी) पर नौवहन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 80 करोड़ डॉलर वाली जलमार्ग विकास परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद यह महत्वपूर्ण समझौता हुआ है।

परियोजना के लाभ

- इस परियोजना के पूरा होने पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लेकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक कुल 1360 किलोमीटर लंबे जलमार्ग पर डेढ़ हजार-दो हजार टन की क्षमता वाले पोतों का वाणिज्यिक संचालन किया जा सकेगा।
- विश्व बैंक के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से विकसित की जा रही यह परियोजना मार्च 2023 में पूरी हो जाएगी। जेएमवीपी भारतीय जलमार्ग और पूरे परिवहन क्षेत्र का परिदृश्य बदल कर रख देगी।

पृष्ठभूमि

- केंद्रीय वित्तमंत्री ने अपने 2014-15 के बजट भाषण में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (रा.ज.1) पर जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) की घोषणा की। इसके तहत गंगा नदी पर वाराणसी से हल्दिया तक वाणिज्यिक नौवहन शुरू करना है।
- इसी क्रम में इस साल तीन जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की केंद्रीय कमेटी (सीसीइए) ने 5369 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली जलमार्ग विकास परियोजना के लिए मंजूरी दी. इससे गंगा नदी पर बन रहे राष्ट्रीय जलमार्ग-1 की नौवहन क्षमता बढ़ाई जाएगी।

स्रोत: पीआईबी

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लक्ष्य में बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों?

- आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 07 फरवरी, 2018 को 4800 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लक्ष्य को 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ करने को मंजूरी दे दी है।

मुख्य तथ्य

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) को महिलाओं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की ओर से व्यापक समर्थन मिलने और अब तक एलपीजी कनेक्शन से वंचित घरों को इसके दायरे में लाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही यह निर्णय लिया गया है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) का संशोधित लक्ष्य वर्ष 2020 तक प्राप्त कर लिया जाएगा।

मंजूरी से संबंधित मुख्य तथ्य:

- केंद्र सरकार ने लक्ष्य में बढ़ोतरी करते वक्त प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाई को भी दूर कर दिया है।
- इसके तहत मुख्यत: सामाजिक आर्थिक जातिगत सर्वेक्षण (एसईसीसी) की सूची में शामिल न हो सके वास्तविक गरीब परिवारों को इसके दायरे में लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- कैबिनेट ने एसईसीसी के तहत चिन्हित परिवारों के अलावा समस्त एससी या एसटी परिवारों, पीएमएवाई (ग्रामीण) एवं अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों, वनवासियों, अति पिछड़ा वर्गों (एमबीसी), चाय बागानों एवं पूर्व चाय बागानों से जुड़ी जनजातियों, द्वीपों एवं नदियों के समीप रहने वाले लोगों को भी इसके दायरे में लाने के लिए इस योजना का विस्तार करने को मंजूरी दे दी।
- पीएमयूवाई के तहत वित्त वर्ष 2017–18 के आखिर तक 3 करोड़ कनेक्शन जारी करने का मूल लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इस योजना के कारगर क्रियान्वयन एवं निगरानी के परिणामस्वरूप सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 3.35 करोड़ से भी ज्यादा कनेक्शन जारी किए गए हैं जिससे मुख्यत: एससी और एसटी समुदाय लाभान्वित हुए हैं। कुल मिलाकर 4.65 करोड़ से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं।
- इस योजना का सुगम कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने 4800 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन के साथ इस योजना के तहत लक्ष्य को 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ करने का निर्णय लिया है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना:

- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना भारत के गरीब परिवारों की महिलाओं के चेहरों पर खुशी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 1 मई, 2016 को शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलेंगे।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत आरम्भ में वित्त वर्ष 2016–17 से शुरू 3 वर्षों की अवधि के दौरान 8,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ 5 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था।
- यह सभी तक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करने संबंधी सरकार के समग्र फोकस का एक हिस्सा है। उन गांवों में बिजली पहुंचाई जा रही है जो अब तक इस सुविधा से वंचित हैं।

स्रोत: पीआईबी

भारत में होती है प्रति 1,000 नवजात शिशुओं में 25.4 की मौत: UNISEF रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) द्वारा हाल ही में एवरी चाइल्ड अलाइव (द अर्जेंट नीड टू एंड न्यूबॉर्न डैथ्स) नामक रिपोर्ट जारी की गयी। इस रिपोर्ट अनुसार नवजात शिशुओं के लिए जापान जहां सबसे सुरक्षित देश है वहीं पाकिस्तान सबसे खतरनाक देश है।

मुख्य तथ्य

- इस रिपोर्ट में जापान, आइसलैंड और सिंगापुर को जन्म के लिए सबसे सुरक्षित देश बताया गया है जहां जन्म लेने के पहले 28 दिन में प्रति हजार बच्चों पर मौत का केवल एक मामला सामने आता है।
- रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष विश्व में 26 लाख बच्चों की मौत जन्म लेने के एक महीने के अंदर हो जाती है जबकि लगभग 26 लाख बच्चे हर साल मृत ही पैदा होते हैं।

यूनिसेफ रिपोर्ट के प्रमुख तथ्य

- यूनिसेफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि जापान, आइसलैंड और सिंगापुर में जन्मे किसी बच्चे की तुलना में पाकिस्तान में जन्मे बच्चे की पहले महीने में मौत हो जाने की आशंका करीब 50 गुना अधिक है।
- रिपोर्ट के अनुसार उच्च आय वाले देशों में औसत नवजात मृत्युदर प्रति 1,000 पर तीन है, वहीं कम आय वाली श्रेणी में आने वाले देशों में यह दर 27 प्रति 1,000 है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनियाभर में रोजाना करीब 7000 नवजात बच्चे अपनी जान गंवा बैठते हैं।
- यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और पाकिस्तान में नवजात बच्चों को जीवित रखने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
- 80 प्रतिशत बच्चों की जान बचाई जा सकती है यदि प्रशिक्षित डाक्टरों, नर्सों आदि के माध्यम से किफायती, गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जायें। प्रसव से पहले मां और प्रसव के बाद जच्चा–बच्चा को पोषण, साफ जल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें।
- सर्वाधिक मृत्युदर वाले 10 देशों में आठ उप–सहारा अफ्रीकी देश हैं और दो दक्षिण एशिया के हैं।

भारत के संदर्भ में रिपोर्ट

- भारत में नवजात मृत्यु दर 25.4 है, अर्थात हर 1000 जीवित बच्चों में 25.4 की मौत हो जाती है।
- इस सूची में भारत का 12वां स्थान है।
- संख्या के लिहाज से वर्ष 2016 में नवजात की मौतों के मामले में भारत पहले नंबर पर रहा।
- भारत में इस साल 6,40,000 नवजातों की मृत्यु के मामले दर्ज किए गए।
- यहां नवजात मृत्यु दर 25.4 प्रति हजार रही।
- इस दौरान दुनियाभर में जन्म लेने के कुछ समय या दिनों के भीतर मौत के 24 फीसदी मामले भारत में दर्ज किए गए।
- इस वर्ष संख्या के मामले में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर रहा, यहां इस साल 2,48,000 शिशुओं की जन्म के कुछ समय बाद मौत हो गई।

सबसे अधिक शिशु मृत्युदर वाले देश

1. पाकिस्तान: 1 बच्चा प्रति 22
2. मध्य अफ्रीकी गणराज्य: 1 बच्चा प्रति 24
3. अफगानिस्तान: 1 बच्चा प्रति 25
4. सोमालिया: 1 बच्चा प्रति 26
5. लेसोथो: 1 बच्चा प्रति 26
6. गिनी–बिसाऊ: 1 बच्चा प्रति 26
7. दक्षिणी सूडान: 1 बच्चा प्रति 26
8. कोट–डी–आईवर: 1 बच्चा प्रति 27
9. माली: 1 बच्चा प्रति 28
10. चाड: 1 बच्चा प्रति 28

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाले देश

1. जापान: 1 बच्चा प्रति 1,111
2. आइसलैंड: 1 बच्चा प्रति 1,000
3. सिंगापुर: 1 बच्चा प्रति 909
4. फिनलैंड: 1 बच्चा प्रति 833
5. एस्टोनिया: 1 बच्चा प्रति 769
6. स्लोवेनिया: 1 बच्चा प्रति 769
7. साइप्रस: 1 बच्चा प्रति 714
8. बेलारूस: 1 बच्चा प्रति 667
9. कोरिया गणराज्य: 1 बच्चा प्रति 667
10. नार्वे: 1 बच्चा प्रति 667

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

'जनाद्रियाह' महोत्सव में भारत-'सम्मानित अतिथि' देश

चर्चा में क्यों?

- 7-24 फरवरी, 2018 के मध्य चलने वाले सऊदी अरब के प्रसिद्ध वार्षिक राष्ट्रीय विरासत और सांस्कृतिक महोत्सव 'जनाद्रियाह' में भारत 'सम्मानित अतिथि' देश है।

मुख्य तथ्य

- दोनों देशों की सामरिक साझेदारी, करीबी और ऐतिहासिक संबंधों को मान्यता देते हुए इस उत्सव में भारत को 'सम्मानित अतिथि' बनाया गया है।
- सऊदी अरब के शाह सलमान ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की उपस्थिति में 7 फरवरी, 2018 को इस महोत्सव का उद्घाटन किया।
- इस अवसर पर निर्मित भारत का मंडप ''सऊदी अरब का दोस्त-भारत'' विषय पर आधारित है।
- यह मंडप भारतीय मूल्यों और परंपराओं को प्रदर्शित करने के साथ-साथ नृत्य और संगीत उत्सव के माध्यम से भारत की जीवंत संस्कृति की बहुरंगी झलक प्रस्तुत करता है।
- 'परंपरा' अनुभाग में 'योग', आयुर्वेद, वस्त्र और पर्यटन जैसी पारंपरिक शक्तियों को प्रदर्शित किया गया है।
- जबकि 'आधुनिक खंड' को 'भारत में अवसर' के रूप में निर्मित किया गया है, जिसमें डिजिटल क्रांति, अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकियों की उपलब्धियों और 'डिजिटल इंडिया', 'मेक इन इंडिया' आदि प्रमुख कार्यक्रमों को प्रदर्शित किया गया है।

स्रोत: द हिंदू

स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत' रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

- 9 फरवरी, 2018 को नीति आयोग ने जन्म के समय लिंगानुपात संबंधी अपनी रिपोर्ट जारी की।
- यह रिपोर्ट है- स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत' (Healthy States, Progressive India)।

मुख्य तथ्य

- रिपोर्ट के अनुसार देश के 21 बड़े राज्यों में से 17 में जन्म के समय लिंगानुपात (Sex Ratio at Birth) में गिरावट दर्ज की गई।
- जबकि गुजरात में इस संदर्भ में 53 अंकों की चिंताजनक गिरावट दर्ज की गई।
- नीति आयोग ने लिंग चयनात्मक गर्भपात हेतु जांच पर अपनी चिंता और स्थिति को स्पष्ट किया है।
- एसआरबी में सुधार पंजाब में दिखाई दिया है जिसमें 19 अंकों का उछाल दर्ज किया गया है।
- सुधार में दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः उत्तर प्रदेश (10 अंक) और बिहार (9 अंक) हैं।
- जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है जो लिंग चयनात्मक गर्भपात की वजह से पैदा होने वाली लड़कियों की संख्या में कमी को दर्शाता है।
- वर्ष 2012-14 (आधार वर्ष) से वर्ष 2013-15 (संदर्भ वर्ष) के दौरान 17 बड़े राज्यों के 'एसआरबी' में 10 या उससे अधिक अंकों की गिरावट दर्ज की गई।
- इसी अवधि के दौरान गुजरात की 'एसआरबी' 907 फीमेल प्रति 1000 मेल की तुलना में 53 प्वांइट गिरकर 854 हो गई।
- गुजरात के बाद हरियाणा में 35 अंकों की गिरावट दर्ज की गई।
- 'एसआरबी' में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज करने वाले अन्य राज्य हैं-राजस्थान (32 अंक), उत्तराखंड (27 अंक), महाराष्ट्र (18 अंक), हिमाचल प्रदेश (14 अंक), छत्तीसगढ़ (12 अंक) एवं कर्नाटक (11 अंक)।
- निकर्ष-नीति आयोग ने रिपोर्ट के उपरोक्त विवरणों के आधार पर बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देने हेतु उचित उपाय करने की आवश्यकता जताई है।
- इन उपायों में शामिल है-राज्यों द्वारा प्री-कॉन्सेप्शन व प्री-नैटल (Natal) डायग्नोस्टिक टेक्निक्स अधिनियम, 1994 को प्रभावी रूप से लागू करना।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

राज्यव्यवस्था एवं शासन, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक विकास

कावेरी विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को मिलने वाले पानी में कटौती के निर्देश दिए

चर्चा में क्यों?

- कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी 2018 को फैसला सुनाते हुए तमिलनाडु को मिलने वाले पानी का हिस्सा घटाकर उसे कर्नाटक को दिए जाने का आदेश दिया है।

मुख्य तथ्य

- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तमिलनाडु को मिलने वाले पानी का हिस्सा घटाकर 192 से 177.25 TMC कर दिया गया है।
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिस्सेदारी बढ़ाए जाने पर अब कर्नाटक को 270 TMC के स्थान पर 284.75 TMC पानी प्राप्त होगा।
- कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय जल योजना के लागू होने के बाद कोई भी राज्य किसी ऐसी नदी पर अपना एकछत्र अधिकार नहीं जता सकता, जो शुरू होने के बाद किसी दूसरे राज्य से गुजरती है।

कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु को हर महीने में दिए जाने वाले पानी को लेकर ट्रिब्यूनल का आदेश अगले 15 साल तक मानना होगा।
- कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल का तमिलनाडु में खेती का क्षेत्र बताने वाला फैसला सही है, लेकिन ट्रिब्यूनल ने तमिलनाडु में भूमिगत जल की उपलब्धता पर विचार नहीं किया।
- इसलिए कर्नाटक में पानी की हिस्सेदारी 14.75 TMC बढ़ाई जाएगी।
- केंद्र ट्रिब्यूनल के आदेश के मुताबिक कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड का गठन करेगा।
- यह फैसला चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताव रॉय और जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच द्वारा दिया गया।
- कर्नाटक चाहता था कि तमिलनाडु को जल आवंटन कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे, जबकि तमिलनाडु का कहना था कि कर्नाटक को जल आवंटन कम किया जाए।

क्या है कावेरी विवाद

- कावेरी जल विवाद का मुख्य कारण मद्रास-मैसूर समझौता 1924 को माना जाता है।
- वर्ष 1924 में मद्रास प्रेसीडेंसी और मैसूर राज के बीच ही यह विवाद था और दोनों के बीच पानी को लेकर समझौता भी हो गया लेकिन बाद में इस विवाद में केरल और पुडुचेरी भी शामिल हो गए जिससे यह विवाद गहरा गया।
- जुलाई, 1986 में तमिलनाडु ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम (1956) के तहत इस मामले को सुलझाने के लिए आधिकारिक तौर पर केंद्र सरकार से एक न्यायाधिकरण के गठन किए जाने का निवेदन किया।
- विवाद के निपटारे के लिए 1990 में केंद्र सरकार ने एक ट्रिब्यूनल बनाया जिसे पानी की किल्लत की समस्या पर गौर फरमाना था।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- वर्ष 1991 में न्यायाधिकरण ने एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें कहा गया था कि कर्नाटक कावेरी जल का एक तय हिस्सा तमिलनाडु को देगा। हर महीने कितना पानी छोड़ा जाएगा, यह भी तय किया गया लेकिन इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ।
- इसके बाद तमिलनाडु इस अंतरिम आदेश को लागू करने के लिए दबाव डालने लगा. इस आदेश को लागू करने के लिए तमिलनाडु की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गयी जिससे मामला और भी ज्यादा उलझ गया।
- इसके बाद 5 सितंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद प्रदेशों के बीच तनाव अधिक हो गया जब अदालत ने कर्नाटक को निर्देश दिया कि वह लगातार 10 दिन तक तमिलनाडु को 15,000 क्यूसेक पानी सप्लाई करे।
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में बदलाव करते हुए तमिलनाडु को 20 सितंबर तक हर दिन 12 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश पारित किया लेकिन कर्नाटक ने तमिलनाडु को पानी देने से मना कर दिया।
- इसके बाद जनवरी 2017 को तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कहा कि कर्नाटक सरकार ने उसे पानी नहीं दिया इसलिए उसे 2480 करोड़ रुपए का हर्जाना मिलना चाहिए जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा।

स्रोत: द हिंदू

सुप्रीम कोर्ट में रोस्टर सिस्टम हेतु अधिसूचना जारी

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने जजों के बीच काम के बंटवारे का नया रोस्टर सिस्टम तय कर दिया है।

मुख्य तथ्य

- नयी व्यवस्था 5 फरवरी, 2018 से लागू होगी। इस व्यवस्था पीठों के हिसाब से मामलों की सुनवाई की श्रेणी तय की गई है।
- रोस्टर सिस्टम के अनुसार जनहित याचिकाएं मुख्य न्यायाधीश ही सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट मे जजों के बीच काम के बंटवारे का रोस्टर पहली बार सार्वजनिक किया गया है।

अधिसूचना की विशेषताएं

- अधिसूचना में मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य जजों की अध्यक्षता वाली पीठ के पास मामलों का बंटवारा किया गया है।
- मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ नई जनहित याचिकाओं, चुनाव मसलों, न्यायालय की अवमानना, सामाजिक न्याय आदि मसलों पर सुनवाई करेगी।
- इसके अतिरिक्त दूसरे वरिष्ठ जज न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ के पास आपराधिक, श्रम, कर, भूमि अधिग्रहण, न्यायिक अधिकारियों से जुड़े मसले, समुद्री कानून आदि के मामले आएंगे।
- तीसरे वरिष्ठतम जज न्यायमूर्ति रंजन गोगई की अध्यक्षता वाली पीठ के पास न्यायालय की अवमानना, पर्सनल लॉ, एक्साइज आदि के मामले सुनवाई के लिए आएंगे।
- चौथे वरिष्ठतम जज न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष वन संरक्षण, भूमि अधिग्रहण, जेल, पेड़, धार्मिक आदि मामले आएंगे।
- पांचवे वरिष्ठतम जज न्यायमूर्ति कूरियन जोसफ के पास श्रम, फैमिली लॉ, पर्सनल लॉ, धार्मिक कानून आदि के मामले सुनवाई हेतु आएंगे।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- इसके अलावा न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा एवं न्यायमूर्ति रोहिंग्टन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठों के समक्ष इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के रजिस्ट्रेशन से संबंधित मामले आएंगे।

पृष्ठभूमि

सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम जज न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगई, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति कूरियन जोसफ ने प्रेस कांफ्रेंस कर संवेदनशील जनहित याचिकाओं और महत्वपूर्ण मामलों को जूनियर जजों के पास भेजने पर आपत्ति जताई थी। इन जजों ने कहा था कि महत्वपूर्ण मामलों को जूनियर जजों के पास नहीं भेजा जाना चाहिए।

स्रोत: द हिंदू

महानदी नदी जल विवाद के न्यायिक निपटारे हेतु न्यायाधिकरण के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

- 20 फरवरी, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिशा राज्य के अनुरोध पर महानदी जल विवाद-अंतरराज्यीय नदी विवाद कानून, 1956 के अंतर्गत न्यायाधिकरण के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

मुख्य तथ्य

- न्यायाधिकरण संपूर्ण महानदी बेसिन में पानी की संपूर्ण उपलब्धता, प्रत्येक राज्य के योगदान, प्रत्येक राज्य में जल संसाधनों के वर्तमान उपयोग और भविष्य के विकास की संभावना के आधार पर जलाशय वाले राज्यों के बीच पानी का बंटवारा निर्धारित करेगा।
- अंतरराष्ट्रीय नदी जल विवाद कानून, 1956 के प्रावधानों के अनुसार, न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे।
- जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से मनोनीत करेंगे।
- इसके अलावा जल संसाधन विशेषज्ञ दो आकलन कर्ताओं की सेवाएं न्यायाधिकरण की कार्यवाही में सलाह देने के लिए प्रदान की जाएगी।
- आईएसआरडब्ल्यूडी कानून, 1956 के प्रावधानों के अनुसार न्यायाधिकरण को अपनी रिपोर्ट और फैसले तीन वर्ष की अवधि के भीतर देने होंगे जिसे अपरिहार्य कारणों के चलते 2 साल से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकेगा।
- गौरतलब है कि इस न्यायाधिकरण द्वारा विवाद के न्यायिक निपटारे के साथ ही महानदी पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच लंबित विवाद का अंतिम निपटारा हो सकेगा।

स्रोत: द हिंदू

लोकतंत्र सूचकांक-2017

चर्चा में क्यों?

- ब्रिटेन के मीडिया संस्थान 'द इकोनॉमिस्ट' ग्रुप की आर्थिक सूचना इकाई द्वारा 'वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक' (Global Democracy Index) जारी किया गया।

मुख्य तथ्य

- यह सूचकांक 165 स्वतंत्र देशों तथा 2 क्षेत्रों (Territories) में 60 संकेतों के समूहों से पांच पैमानों-'चुनावी प्रक्रिया एवं बहुलवाद', 'नागरिकों की स्वतंत्रता', 'सरकार की कार्यप्रणाली', 'राजनीतिक भागीदारी' और 'राजनीतिक संस्कृति' के आधार पर तैयार किया गया है।

- इस सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा।
- आइसलैंड और स्वीडन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।
- इसके पश्चात न्यूजीलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड सूचकांक में शीर्ष दस देशों में शामिल रहे।

वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत

- वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत 7.23 स्कोर के साथ 42वें स्थान पर है।
- जबकि गत वर्ष भारत इस सूचकांक में 7.81 स्कोर के साथ 32वें स्थान पर था।
- रिपोर्ट में भारत दोषपूर्ण लोकतंत्र वाले देशों की श्रेणी में शामिल किया गया है।
- इस वर्ष की रिपोर्ट में विभिन्न देशों में मीडिया की आजादी का भी अध्ययन किया गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार भारत में मीडिया अंशतः आजाद है।
- इसके अनुसार, भारत विशेषकर छत्तीसगढ़ और जम्मू-कश्मीर पत्रकारों के लिए खतरनाक हो गया है।
- प्रशासन ने मीडिया की आजादी को कम कर दिया है।
- कई अखबार बंद कर दिये गए हैं तथा मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर काफी बड़े स्तर पर रोक लगायी गई है।
- वर्ष 2017 में कई पत्रकारों की हत्या भी हुई है।
- अमेरिका, जापान, इटली, फ्रांस, इस्राइल सिंगापुर और हांगकांग को भी दोषपूर्ण लोकतंत्रों की सूची में रखा गया है।
- पूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में महज 19 देशों को स्थान मिला है।
- पाकिस्तान 110वें, बांग्लादेश 92वें, नेपाल 94वें और भूटान 99वें स्थान के साथ मिश्रित व्यवस्था में शामिल रहे हैं।
- तानाशाही व्यवस्था श्रेणी में चीन, म्यामांर, रूस और वियतनाम जैसे देश हैं।
- उत्तर कोरिया सबसे निचले पायदान 167 वें स्थान पर है और सीरिया 166वें स्थान पर है।
- वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र का सूचकांक वर्ष 2016 के 5.52 अंक से गिरकर वर्ष 2017 में 5.48 अंक पर आ गया है।

स्रोतः द हिंदू

सुप्रीम कोर्ट ने दी देश में 19 ट्रिब्यूनल की नियुक्ति को हरी झंडी

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने कैट और एनजीटी सहित सभी 19 ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष, न्यायिक एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया। 2017 के वित्त अधिनियम और पैनल को प्रशासित करने वाले नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के लंबित रहने के कारण नियुक्ति रुकी हुई थी।

मुख्य तथ्य

- मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा दिए गए आदेश में ट्रिब्यूनल पर नए कानून एवं नियमों पर रोक लगाई गई है। पीठ ने कहा है कि केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट), नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल (एएफटी) जैसे ट्रिब्यूनल में पुराने नियमों में कुछ संशोधन के तहत नियुक्ति की जा सकेगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के प्रदर्शन के बुनियादी अधिकार के संरक्षण पर एक समग्र दृष्टि अपनाने की जरूरत है। दिल्ली में प्रदर्शन के लिए स्थान तय करने के मुद्दे पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई की।
- पीठ ने कहा कि पर्यावरण और नियमित रूप से आने-जाने वाले लोगों के अधिकार के संरक्षण की भी जरूरत है। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से कुछ समय देने की मांग की।

भारत में न्यायाधिकरण और अन्य अदालतें: विश्लेषण

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण

- संविधान के अनुच्छेद-323 A के जरिये बने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन हुआ था. इसे सरकारी कर्मचारियों की भर्तियों और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए बनाया गया था. आज इसके अधीन 45 सरकारी उपक्रम हैं. हालाँकि यह अर्धसैनिक बलों, सशस्त्र सेनाओं, संसद के दोनों सदनों के सचिवालय या राज्य विधानमंडलों के कार्मिक समूह पर लागू नहीं होता है. उच्च न्यायालय का एक आसीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायाधिकरण का अध्यक्ष होता है जिसके पास कार्यवाही के लिए 16 उपाध्यक्ष और 49 अन्य सदस्यों का समूह होता है. इन सभी सदस्यों पर केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नियम, 1985 की सेवा-शर्तें लागू होती हैं। इन नियमों में समय-समय पर बदलाव हो सकता है।

- इस न्यायाधिकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार और अदालत की प्रक्रिया, नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार प्रक्रिया संचालित होती है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 इन कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है। न्यायाधिकरण को अपने नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है जो कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 और उसके नियमों के सापेक्ष हैं. प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत आन्ध्र प्रदेश, ओडिसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की तर्ज पर अधिकरण बनाये गए हैं।

केन्द्रीय सूचना आयोग

- केन्द्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत हुई थी। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर यह अधिनियम पूरे देश में लागू है. इस अधिनियम से पहले सूचनाएं सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत प्रकट नहीं की जाती थी। इस अधिनियम ने सभी नागरिकों की सूचना तक पहुँच को बढाया है। इस अधिनियम के तहत नागरिक को सूचना प्राप्त करने की वजह बताने की कोई जरूरत नहीं है। व्यक्ति अपने से संबंधित जानकारी को जनसूचना अधिकारी से मांग सकता है जिनकी नियुक्ति करना प्रत्येक सरकारी उपक्रम के लिए अनिवार्य है. इससे सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही लोग समय और संसाधनों की बर्बादी किये बिना अपने से संबंधित जानकारी पा सकते हैं। इस अधिकार के चलते अधिकांश कार्यालयों में जानकारी और रिकार्ड्स को कंप्यूटर पर दर्ज कर दिया गया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और योग्य प्राधिकरण अधिनियम की धारा 2 के तहत सूचना प्रदान करने में किसी गतिरोध को दूर करने के लिए कानून बनाने में समर्थ हैं (धारा 27, 28 और 30) (sections 27, 28 & 30) केन्द्रीय सूचना आयोग उन व्यक्तियों की मदद करता है जिन्होंने सूचना की मांग की थी लेकिंग उन्हें सम्बद्ध प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

सीमा शुल्क, आबकारी और सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण (CESTAT)

- सीमा शुल्क, आबकारी और सोना (नियंत्रण) अपीली न्यायाधिकरण (CEGAT) का नाम बदलकर सीमा शुल्क, आबकारी और सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण (CESTAT), 1982, रख दिया गया. यह एक ऐसा मंच है जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केन्द्रीय आबकारी अधिनियम, 1944, सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अंतर्गत सेवाकर और डंपिंग विरोधी शुल्क से संबंधित वित्तीय अधिनियम, 1994, सीमा शुल्क और आबकारी सम्बन्धी मामलों के विभिन्न आयामों को देखता है। वित्तीय अधिनियम, 2003 के तहत इसमें संशोधन किया गया। इस अधिकरण की प्रक्रिया में आय कर अपीली न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के साथ विभिन्न स्वदेशी कार्यवाहियों को अधिकरण की आवश्यकतानुसार मिश्रित रूप से अपनाया गया है. इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 21 अन्य सदस्य होते हैं। इसकी तीन पीठें दिल्ली, चार पीठें मुंबई और एक-एक कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में है. हरेक पीठ में तकनीकी और न्यायिक सदस्य होते हैं. एक सदस्यीय प्रत्येक पीठ के पास 10 लाख रुपये तक के मूल्यों के मामलों को देखने का अधिकार क्षेत्र है। इससे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय विधि के सवाल पर उपयुक्त उच्च न्यायालय से परामर्शी अधिकार क्षेत्र के बारे में पूछ सकता है।

ऋण वसूली न्यायधिकरण (DRT)

- ऋण वसूली न्यायाधिकरण को बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित किया गया। इसने किसी वित्तीय संस्थान के किसी ऋण की वसूली के लिए अधिनियम के तहत नियम और कार्य तय किये हैं. एक जिला और सत्र न्यायाधीश न्यायाधिकरण को चलते हैं और इनके पास न्यायिक आदेश जारी करने का अधिकार है। इनकी मदद अन्य अधिकारी और दो वसूली अधिकारी करते हैं जो जरूरी नहीं कि न्यायिक अधिकारी हों। पूरे देश में 33 न्यायाधिकरण है जिनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, और कोलकाता में एक या एक से अधिक न्यायाधिकरण हैं। न्यायाधिकरण का गठन इलाके में मामलों की संख्या पर निर्भर करता है। इन न्यायाधिकरणों की प्रक्रिया अपनी प्रकृति में नागरिक प्रक्रिया की तरह है जैसे नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रक्रिया के अनुसार क्रोस सुइट, प्रति दावे, सेट ऑफ्स, रिसीवर्स और आयुक्तों की नियुक्ति, एक्स-पार्टी (ex-parte) जारी करना, अस्थायी आदेश, अंतरिम आदेश जारी करने के अलावा 'पुनर्विचार' और वसूली अधिकारियों के खिलाफ अपीलों की समीक्षा करने का अधिकार है। हालाँकि इसके पास क्षति के दावों, सेवा में कमी, अनुबंध के उल्लंघन या साहूकारों की आपराधिक लापरवाही के मामलों के विषय में अधिकार क्षेत्र नहीं है. हालाँकि यह विरोधी पक्ष की प्रार्थना पर हलफनामे, प्रति परीक्षण के जरिये प्रमाण को एकत्र करता है जो की न्यायाधिकारण के विवेक पर निर्भर करता है। वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम का क्रियान्वयन (SRFAESIA) के बाद कर्जदार उपचार के लिए अर्जी दे सकते हैं जो कि पहले उधारदाताओं के विशेषाधिकार थे।

आयकर अपीली न्यायाधिकरण

- अनुच्छेद-265, भाग XII में यह प्रावधान है की "कोई भी कर विधिसम्मत प्राधिकरण के अलावा कोई न तो लगा सकता है और न ही संग्रहित कर सकता है"। आयकर, आयकर अधिनियम, 1961 के द्वारा प्रशासित होता है जो की कराधान के प्रावधान तय करता है। जब किसी करदाता का मूल्यांकन किया जाता है और कर लगाया जाता है तो उसकी अपील आय कर आयुक्त (अपीली) के पास जाती है और उसके बाद आयकर अपीली न्यायाधिकरण के पास जाती है। इस न्यायाधिकरण का गठन 1941 में हुआ था। प्रशासकीय प्राधिकरणों को भी अपील का अधिकार प्राप्त है। एकल पीठ या 3-4 सदस्यों की विशेष पीठ के द्वारा अपील पर फैसला किया जा सकता है। एकल पीठ में एक सदस्य हो सकता है जो कि एक न्यायिक या गैर-न्यायिक व्यक्ति भी हो सकता है लेकिन वह वित्तीय मामलों का जानकार वरिष्ठ अधिकारी होता है जिसके पास न्यूनतम दस सालों का अनुभव होता है। विशेष पीठ में कम से कम एक न्यायिक सदस्य और बाकी गैर-न्यायिक सदस्य होने चाहिए। विधि के सवाल पर उच्च न्यायालय के परामर्शी अधिकार क्षेत्र के लिए भी मामले को स्थान्तरित किया जा सकता है लेकिन अपील उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में जाती है। यह एक स्वायत्त न्यायाधिकरण है और किसी भी सरकारी निकाय से स्वतंत्र हो कर काम करता है।

बौद्धिक सम्पदा अपीली मंडल (IPAB)

- बौद्धिक सम्पदा अपीली मंडल (IPAB), 2003 का गठन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किया था। इसके पास ट्रेड मार्क व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999, भौगोलिक संकेतक वाले सामान (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम,1999 और पंजीयक के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार क्षेत्र है. 2002 में बने और 2003 में लागू किये गए पेटेंट अधिनियम, 2002 और पेटेंट संशोधन अधिनियम, 2002, व्यापार चिह्न अधिनियम 1999 और इसके साथ व्यापार चिह्न नियम, 2002 जो सभी बौद्धिक संपदा कानून के अंतर्गत आते हैं, के तहत सुनवाई का अधिकार है। मंडल में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, दो तकनीकी सदस्य (व्यापार चिह्न और पेटेंट) होते हैं और एक रजिस्ट्रार होता है। मंडल का मुख्यालय चेन्नई में है लेकिन यह चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद में भी सुनवाई करता है। इसके पास व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 47, 57, एंड 125 के अनुसार व्यापार चिह्न की पंजिका के संशोधन के लिए आवेदनों पर विचार करने का मूल अधिकार क्षेत्र है. रजिस्ट्रार के निर्णय या आदेश पर अपील व्यापार चिह्न नियम, 2002 के नियम 162 के तहत भौगोलिक संकेतक वाले सामान अधिनियम, 1999 (पंजीकरण और संरक्षण) के तहत विचार किया जाता है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC)

- राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 के तहत बनाया गया जो कि उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बनाने का प्रावधान रखता है। यह अधिनियम उक्त तीनों स्तरों पर उपभोक्ता को जागरूक करने का समर्थक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग को सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, राज्य आयोग को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और जिला आयोग को जिला न्यायाधीश संचालित करते हैं। वर्तमान में 639 जिला मंच, 35 राज्य आयोग और एक केन्द्रीय आयोग है। इसमें उपभोक्ता सेवा और वस्तु में पाई गयी कमी की शिकायत कर सकते हैं। यातायात, टेलीफोन, बिजली, आवास, बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा इत्यादि सेवाएं इसके तहत आती हैं। नागरिक विधि की प्रकृति वाली इन कार्यवाहियों में आयोग सारांश मुकदमों का आयोजन करता है जिसमें कोई अदालती शुल्क नहीं लगता और शिकायतों का तेजी से निपटारा होता है। जिला मंच में 20 लाख, राज्य आयोग में 1 करोड़ और राष्ट्रीय आयोग में 1 करोड़ से अधिक मूल्य के सामान या सेवाओं में कमी की शिकायत दर्ज की जा सकती है।

प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण

- प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण को भारतीय प्रतिभूति एवम विनिमय बोर्ड, 1992 (सेबी) द्वारा प्रशासित किया जाता है जिसे की 1998 में संशोधित किया गया. अधिकरण के पास भारतीय प्रतिभूति एवम विनिमय बोर्ड के अंतर्गत अपील सुनने का अधिकार है। सेबी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों की भूमिका अदा करती है। यह प्रतिभूतियों और स्टॉक्स, सम्बन्धी मामलों पर कार्रवाई करती है और इसकी तीन सदस्यीय टीम होती हैं इसके फैसलों के विरुद्ध अपील सर्वोच्च नायाल्य में की जा सकती है।

दूरसंचार विवाद निवारण एवम अपीली न्यायाधिकरण (TDSAT)

- दूरसंचार विवाद निवारण एवम अपीली न्यायाधिकरण को 2000 में 'भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ,1997' से संबंधित अपीलों की सुनवाई के लिए गठित किया गया। यह दूरसंचार उद्योग के सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ता के बीच के विवादों और अपीलों को सुनता है। न्यायाधिकरण में एक न्यायाधीश अध्यक्ष होता है, दो सदस्य होते हैं और सर्वोच्च नयायालय के साथ सम्बद्ध विधि लिपिक होता है।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण

- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, 2010 को रियो सम्मलेन, 1992 और 'प्रदूषणकर्ता कीमत चुकाता है' और 'सतत विकास' के वैश्विक पर्यावरण सिद्धांतों पर आधारित है। यह पर्यावरण सम्बन्धी विवादों के निपटारे के लिए बनाया गया। इसमें एक सेवानिवृत्त या आसीन सर्वोच्च नायाल्य के न्यायाधीश अध्यक्ष होते हैं और अन्य सदस्यों के साथ पर्यावरणविद भी इसके सदस्य होते हैं। यह मूलत: नागरिक मामलों से सम्बंधित है और नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत प्रक्रियात्मक विधि का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है लेकिन यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से परिचालित होगा।

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत श्रम न्यायालय, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण और औद्योगिक न्यायाधिकरण

- श्रम अदालतें, औद्योगिक न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के द्वारा संचालित किया जाता है। इस अधिनियम में प्रावधान है कि उक्त अधिकरणों को केंद्र सरकार, एक राष्ट्रीय अधिकरण के रूप में अंतर्राज्यीय या राष्ट्रीय विवादों या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के बीच के विवादों का निपटारा करे. उनके पास विवाद को उचित श्रम न्यायायलय या औद्योगिक न्यायाधिकरण में हस्तांतरित करने का अधिकार क्षेत्र है. कर्मचारी की नियुक्ति और बर्खास्तगी, स्थायी आदेशों के लिए आवेदन और व्याख्या, स्थायी आदेश के तहत पारित आदेशों की वैधता, तालाबंदी–हड़ताल की वैधता, मजदूरी, काम के घंटों, छुट्टी, छंटनी, समापन सम्बन्धी सामूहिक विवादों के समबन्ध में अधिकरण फैसले लेता है. श्रम न्यायालय को सात वर्षीय न्यूनतम अनुभव वाले न्यायधीश या किसी राज्य के श्रम

न्यायालय में पांच वर्षों तक पीठासीन अधिकारी रह चुके न्यायाधीश को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। वह जिला न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो सकते हैं। औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर 3 साल तक का काम करने का अनुभव होना चाहिए. इस समय देशभर में इस प्रकार के 22 अधिकरण हैं। केंद्र सरकार विभिन्न विवादों को देखती है और जिस अदालत या अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में मामला आता है, उसे सौंप देती है। अगर ऐसा करना सही लगता हो तो ये अदालतें और न्यायाधिकरण किसी वैकल्पिक विवाद निवारण प्रक्रिया को भी अपना सकते हैं।

वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण

- वाहन दावा न्यायाधिकरण वाहन दुर्घटना दावा सम्बन्धी विवादों और मामलों के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत बनाया गया है. इस अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से तीसरे पक्ष का बीमा किया जाता है और दावों पर निर्णय के लिए यह अधिनियम एक प्रक्रिया प्रदान करता है। यह कानून वाहन दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों को रहत प्रदान करता है और 'दोषरहित देयता' के आधार पर मुकदमा चलाता है बशर्ते कि इसके साथ अन्य शर्तों को पूरा किया गया हो। यह जीवन की हानि या घायल होने पर होने वाले दावों में राहत दिलाता है। इसके पीठासीन अधिकारी राज्य न्यायिक सेवा से आये न्यायिक अधिकारी होते हैं। इन अधिकरणों में दावों के लिए मामलों को पीड़ित या उसके प्रतिनिधि या उसके वकील द्वारा पेश किया जा सकता है।

विशेष अदालतें

- इन अदालतों को विशेष अदालत अधिनियम, 1979 के अंतर्गत आपराधिक मामलों में शीघ्र न्याय दिलाने के लिए गठित किया गया। इस अधिनियम के तहत विशेष अदालतों के गठन के लिए मामलों की केंद्र सरकार को घोषणा करनी होती है और इसे पर कोई अन्य अदालत सवाल नहीं उठा सकती है। इसे क्रियान्वित करने से पहले घोषणा संसद के दोनों सदनों में भी की जाती है। इन अदालतों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1979 के द्वारा चलाया जाता है और यह उन मामलों पर भी मुकदमा चलाता है जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या बतौर मौलिक अधिकार क्षेत्र हस्तांतरित किया जाता है। ये विशेष आपराधिक मामलों के मुकदमों के लिए बनी विशेष अदालतें हैं। उच्च नयायालय के आसीन न्यायाधीश इसके पीठासीन अधिकारी होते हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में मामला आता है। इन अदालतों के पास संयुक्त रूप से मुकदमों के संचालन का अधिकार है। इन अदालतों से आगे अपील सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत और विश्व एवं वैश्विक परिदृश्य

चीन एफएटीएफ का उपाध्यक्ष बना

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में चीन वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) का उपाध्यक्ष बना. भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) का उपाध्यक्ष बनने के लिए चीन को बधाई दी।
- एफएटीएफ की पूर्ण बैठक में अमेरिका और उसके कुछ यूरोपीय सहयोगी पाकिस्तान को उन देशों की सूची में डालने के पक्ष में थे जो आतंकवाद का वित्तपोषण करते हैं।

उद्देश्य:

- भारत ने उम्मीद जताई कि बीजिंग संगठन के उद्देश्य को संतुलित और वस्तुनिष्ठ तरीके से कायम रखेगा और उसे समर्थन देगा. एफएटीएफ एक वैश्विक निकाय है जिसपर आतंक के वित्तपोषण से लड़ने की जिम्मेदारी है।

बैठक से संबंधित मुख्य तथ्य:

- एफएटीएफ ने पेरिस में अपनी पूर्ण बैठक में आतंक के वित्तपोषण और धन शोधन से लड़ने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की लेकिन पाकिस्तान को आतंक के वित्तपोषण करने वाले देशों की अंतरराष्ट्रीय निगरानी सूची में नहीं डाला।
- इस्लामाबाद को पाकिस्तान से गतिविधियां चला रहे आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई योजना तैयार करने हेतु उसे जून तक की मोहलत दी. चीन पाकिस्तान का सदाबहार सहयोगी है. उसने संयुक्त राष्ट्र में जेईएम प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करवाने के भारत, अमेरिका तथा ब्रिटेन के प्रयासों की राह में बार-बार रोड़ा अटकाया है।
- एफएटीएफ ने 23 फरवरी 2018 को अपनी रिपोर्ट में नौ देशों को 'रणनीतिक कमियों' वाला देश नामित किया. इनमें इराक, सीरिया, यमन और ट्यूनीशिया शामिल हैं।
- पाकिस्तान 2012 से 2015 तक एफएटीएफ की 'भूरी सूची' में शामिल था।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ):

- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) को वर्ष 1989 में स्थापित किया गया था। ये संस्था आतंकवाद से जुड़े मनी लांडरिंग से निपटने का कार्य करती आ रही थी। लेकिन वर्ष 2001 में इसके कार्य में विस्तार किया गया।

  अब एफएटीएफ किसी भी देश के खिलाफ वित्तीय प्रतिबंध जैसी कार्रवाई कर सकती है। एफएटीएफ 37 देशों का वैश्विक संगठन है जो अवैध धन को वैध बनाने तथा आतंकी कार्रवाई गतिविधियों को धन उपलब्ध कराने की निगरानी करता है।

स्रोत: लाइव मिन्ट

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहयोग कार्यक्रम हेतु भारत ऑस्ट्रेलिया समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षर को स्वीकृति दी

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 07 फरवरी, 2018 को आर्थिक कार्य विभाग (भारतीय आर्थिक सेवा संवर्ग) तथा ऑस्ट्रेलिया सरकार के कोषागार के बीच तीन महीनों के सहयोग कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की स्वीकृति दे दी है। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई।

समझौता ज्ञापन से संबंधित मुख्य तथ्य:

- कार्यक्रम के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया सरकार के कोषागार के एक अधिकारी को आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को स्थानांतरित किया जाएगा तथा आर्थिक कार्य विभाग के भारतीय आर्थिक सेवा संवर्ग द्वारा नामित भारतीय आर्थिक सेवा के एक अधिकारी (उप सचिव या निदेशक स्तर) को ऑस्ट्रेलिया सरकार के कोषागार को स्थानांतरित किया जाएगा।
- यह समझौता 3 महीनों के लिए है और 15 जनवरी, 2018 या बाद से प्रारंभ होगा।
- दोनों समझौता ज्ञापनों की अवधि तीन महीने के असाइनमेंट की अवधि पूरी होने पर समाप्त हो जाएगी और इसका विस्तार नहीं किया जाएगा।
- दोनों पक्षों के बीच परस्पर परामर्श और करार के बाद इस कार्यक्रम को अगले वर्षों में दोहराया जा सकेगा।

ऑस्ट्रेलिया और भारत पर इसका प्रभाव:

ऑस्ट्रेलिया भारत का प्रमुख द्विपक्षीय साझीदार है। प्रस्तावित कार्यक्रम से दोनों देशों के बीच मौजूदा आर्थिक नीति संबंधी विषयों की समझ गहरी होगी। साथ ही भविष्य में सहयोग के अवसरों के अधिक द्वार खुलेंगे। इस कार्यक्रम से भावी अधिकारियों को बहुमूल्य और उत्कृष्ट विकास के अवसर मिलेंगे तथा उन्हें विश्व के श्रेष्ठ व्यवहारों की जानकारी भी मिलेगी।

स्रोत: पीआईबी

अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा सूचकांक, 2018

चर्चा में क्यों?

- 8 फरवरी, 2018 को यू.एस. चौंबर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर द्वारा 6वें वार्षिक अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा सूचकांक, 2018 (International IP Index- 2018) का प्रकाशन किया गया।

मुख्य तथ्य

- इस वर्ष के सूचकांक की थीम- 'सृजन' (Create) है।
- इस सूचकांक को बनाने के लिए 40 संकेतकों को 8 श्रेणियों में बांटा गया और देशों द्वारा प्रत्येक श्रेणी में अर्जित अंकों के आधार पर मुख्य सूचकांक को बनाया गया है।
- इस सूचकांक में 50 देशों को शामिल किया गया है,जबकि गतवर्ष इस सूचकांक में 45 देश थे।
- इस वर्ष सूचकांक में पांच नए देशों (अर्थव्यवस्थाओं)- कोस्टारिका, आयरलैंड, जॉर्डन, मोरक्को और नीदरलैंड्स को शामिल किया गया है।
- प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाले देश एवं उनके अंक

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

1. यूएसए– 37.98
2. यूके– 37.97
3. स्वीडन– 30.99
4. फ्रांस– 36.74
5. जर्मनी– 36.54
6. आयरलैंड– 35.98
7. नीदरलैंड्स– 35.33
8. जापान– 34.58
9. सिंगापुर– 33.45
10. स्विट्जरलैंड– 33.42

➢ अंतिम पांच स्थान प्राप्त करने वाले देश एवं उनके अंक–

50. वेनेजुएला– 6.85
49. अल्जीरिया– 9.53
48. मिस्र– 10.10
47. पाकिस्तान– 10.41
46. अर्जेंटीना– 11.55

- अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा सूचकांक, 2018 में भारत 12.03 अंकों के साथ 44वें स्थान पर है।
- जबकि गत वर्ष भारत इस सूचकांक में 43वें स्थान पर था।
- ब्रिक्स देशों में चीन 25वें, रूस–29 वें, ब्राजील–33 वें तथा द. अफ्रीका 39 वें स्थान पर है।

स्रोत: द हिंदू

ईरान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

चर्चा में क्यों?

- 15–17 फरवरी, 2018 के मध्य ईरान के राष्ट्रपति डॉ. हसन रूहानी भारत की राजकीय यात्रा पर रहे।
- 17 फरवरी, 2018 को उनका राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया।
- इस यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की।

मुख्य तथ्य

- उन्होंने अपने यात्रा की शुरूआत में हैदराबाद का दौरा किया।
- 17 फरवरी, 2018 डॉ. हसन रूहानी एवं प्रधानमंत्री के मध्य प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई।
- इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान–प्रदान किया।
- इसके बाद दोनों देशों के मध्य निम्नलिखित 9 एमओयू/समझौतों पर हस्ताक्षर हुए–

1. दोहरे कराधान से बचाव और आय पर राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम से संबंधित समझौता।
2. राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकता से छूट देने के लिए एमओयू।
3. प्रत्यर्पण संधि के अनुसमर्थन दस्तावेज के लेन-देन।
4. बंदरगाह सामुद्रिक संगठन (PMO), ईरान और इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लि. (IGPL) के बीच अंतरिम अवधि के दौरान चाबहार के चरण-1 शाहिद बेहेस्ती बंदरगाह के लिए पट्टा अनुबंध।
5. दवाओं की पारंपरिक पद्धतियों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू।
6. पारस्परिक हित के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के वास्ते व्यापार में सुधार के उपायों पर विशेषज्ञ समूह की स्थापना के लिए एमओयू।
7. कृषि एवं संबंधित सेक्टरों के क्षेत्र में सहयोग पर एमओयू।
8. स्वास्थ्य एवं दवा के क्षेत्र में सहयोग पर एमओयू।
9. डाक सहयोग पर एमओयू।

- इसके अलावा इस यात्रा के दौरान व्यापारिक संगठनों के निम्नलिखित एमओयू भी हुए-

1. ईईपीसी इंडिया और ईरान के व्यापार प्रोत्साहन संगठन के बीच एमओयू।
2. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) और ईरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, माइन्स एंड एग्रीकल्चर (ICCIMA) के बीच एमओयू।
3. एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM) और आईसीसीआईएमए के बीच एमओयू।
4. पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और आईसीसीआईएमए के बीच एमओयू।

विश्लेषण

- धुर विरोधी इजरायल के प्रधानमंत्री के आगमन के एक महीने के भीतर ही ईरान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा कूटनीतिक रिश्तों के साथ-साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में प्रयास माना जा रहा है। दरअसल परमाणु कार्यक्रम रोकने की शर्त पर ईरान से संयुक्त राष्ट्र ने तमाम प्रतिबंध तो हटा लिए हैं लेकिन अमेरिका ने अब भी कई तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं।
- ऐसे में ईरान, भारत जैसे देशों से बड़े निवेश की चाहत रखता है। इसी कड़ी में ऐसे कई समझौते हुए हैं जिनके चलते भारत वहां अपनी मुद्रा रुपये के जरिये ही निवेश करेगा। इसके चलते नेपाल और भूटान के बाद ईरान तीसरा ऐसा मुल्क हो गया है जहां रुपये में निवेश किया जाएगा।
- दरअसल ईरान, इस वक्त बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के संकट से जूझ रहा है। पिछले महीनों में वहां बेरोजगारी के मुद्दे पर जबर्दस्त प्रदर्शन हुए हैं। ऐसे में ईरान चाहता है कि उसके इंडस्ट्रियल जोन में भारतीय कंपनियों का निवेश बढ़े। इससे लाखों नौकरियों का सृजन होने के साथ-साथ वित्तीय संकट से जूझ रहे ईरान को कैश की आपूर्ति होगी।
- इस दौरे के दौरान तीन मुद्दों पर भारतीय पक्ष के साथ ईरान समझौते का सबसे ज्यादा इच्छुक है। इनमें भारत के सहयोग से विकसित हो रहे चाबहार बंदरगाह का विकास दोनों देशों के बीच बातचीत का केंद्रीय मुद्दा है।
- इसके साथ ही चाबहार के इंडस्ट्रियल जोन में वह भारत का निवेश चाहता है। इस प्रोजेक्ट में भारत ने जापान को साथ जोड़ते हुए रुचि दिखाई है। दक्षिण कोरिया भी इस जोन में निवेश का इच्छुक है।
- तीसरा मसला कनेक्टिविटी से जुड़ा हैं। चाबहार के पहले हिस्से का काम पूरा होने के बाद इसका लाभ ईरान को मिलना शुरू हो गया है। उसका व्यापार बढ़ने लगा हैं। पहले जो जहाज कराची जाते थे, अब वे चाबहार होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही चाबहार, अफगानिस्तान से जुड़ रहा है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- ईरान पर प्रतिबंधों के दौर में भी भारत के उसके साथ अच्छे संबंध रहे। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए भी बहुत अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह अफगानिस्तान के साथ ही मध्य एशिया के मुल्कों तक यह जुड़ सकेगा। गुजरात के कांडला बंदरगाह से महज छह दिनों में चाबहार पहुंचा जा सकता है। वहां से रेल या सड़क के माध्यम से सामान सेंट्रल एशिया और रूस तक पहुंचाया जा सकता है। चाबहार के समानांतर ही एक बंदरगाह भारत में भी विकसित होगा। इसका लाभ ईरान को मिलेगा क्योंकि इसके माध्यम से वह पूर्वी एशिया या दक्षिण पूर्वी एशिया तक अपने माल को पहुंचा सकेगा। इस तरह इस प्रोजेक्ट से भारत, सेंट्रल एशिया और रूस होते हुए यूरोप से जुड़ सकेगा और दूसरी तरफ ईरान, भारत होते हुए पूर्वी एशियाई मुल्कों से जुड़ सकेगा।
- ओएनजीसी ने ईरान के फरजाद-बी ब्लॉक में गैस की खोज की है। भारत वहां निवेश के बदले सस्ती दरों पर गैस पाने का इच्छुक है। भारत, ओमान से 1100 किमी लंबी गैस पाइपलाइन लाने का इच्छुक है। यदि इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए ईरान भी राजी हो जाता है तो कालांतर में तीनों मुल्कों को इससे लाभ होगा। वैसे पहले ये परियोजना ईरान से होते हुए पाकिस्तान से गुजरते हुए भारत आनी थी लेकिन इस क्षेत्र में जारी अराजकता के कारण भारत ने अपने प्लान में तब्दीली करते हुए इसे ओमान से लाने का फैसला किया है।

स्रोत: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स

भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, 2017

चर्चा में क्यों?

- 21 फरवरी, 2018 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 23वां वार्षिक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (Corruption Perception Index), 2017 जारी किया गया।

मुख्य तथ्य

- इस वर्ष इस सूचकांक में कुल 180 देशों/क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान की गई है।
- यह सूचकांक 0 से 100 अंकों तक विस्तारित है जिसमें 0 का अर्थ सर्वाधिक भ्रष्ट (Highly Corrupt) तथा 100 का अर्थ सर्वाधिक ईमानदार (Very Clean) है।
- इस वर्ष सूचकांक में न्यूजीलैंड (स्कोर-89) शीर्ष स्थान पर है।
- इसके पश्चात डेनमार्क (स्कोर-88) दूसरे, फिनलैंड (स्कोर-85), नॉर्वे (स्कोर-85) एवं स्विट्जरलैंड (स्कोर-85) संयुक्त रूप से तीसरे तथा सिंगापुर (स्कोर-84) एवं स्वीडन (स्कोर-84) संयुक्त रूप से छठवें स्थान पर हैं।
- इस सूचकांक में सोमालिया (स्कोर-9) 180वें स्थान पर है अर्थात यह सर्वाधिक भ्रष्ट देश है।
- इसके पश्चात दक्षिण सूडान (स्कोर-12) 179वें, सीरिया (स्कोर-14) 178वें, अफगानिस्तान (स्कोर-15) 177वें, यमन (स्कोर-16) एवं सूडान (स्कोर-16) संयुक्त रूप से 175वें स्थान पर रहे।
- भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (CPI)- 2017 में भारत
- भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (CPI)- 2017 में भारत, घाना, मोरक्को तथा तुर्की (Turkey) के साथ संयुक्त रूप से 81वें स्थान पर है। इन सभी 4 देशों का सूचकांक स्कोर-40 है।
- जबकि गत वर्ष के सूचकांक में भारत 40 अंक के स्कोर के साथ बेलारूस, ब्राजील एवं चीन के साथ संयुक्त रूप से 79वें स्थान पर था।
- भारत के पड़ोसी देशों में भूटान (स्कोर-67) 26वें, चीन (स्कोर-41) 77वें, श्रीलंका (स्कोर-38) 91वें, पाकिस्तान (स्कोर-32) 117वें, नेपाल (स्कोर-31) 122वें तथा बांग्लादेश (स्कोर-28) 143वें स्थान पर हैं।
- इस सूचकांक में विश्व के अन्य विकसित देशों में यूनाइटेड किंगडम (UK) (स्कोर-82) 8वें, जर्मनी (स्कोर-81) 12वें, अमेरिका (स्कोर-75) 16वें, तथा जापान (स्कोर-73) 20वें स्थान पर है।

- ज्ञातव्य है कि यह सूचकांक वर्ष 1995 से प्रतिवर्ष जारी किया जा रहा है।
- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संस्था है जो भ्रष्टाचार निवारण आदि पर जोर देती है।
- इसका मुख्यालय बर्लिन, जर्मनी में है।

स्रोत: द हिंदू

GO Banking Rates सर्वे: विश्व के सबसे सस्ते देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिकी संस्था 'गोबैंकिंगरेट्स' ने रहने के लिए विश्व के सबसे सस्ते देशों का सर्वे रिपोर्ट जारी किया।

मुख्य तथ्य

- सर्वे के अनुसार दक्षिण अफ्रीका इस संदर्भ में शीर्ष स्थान पर है।
- सर्वे में 112 देशों को रैंकिंग प्रदान किया गया है।
- जिसमें भारत दूसरे स्थान पर है अर्थात भारत विश्व का दूसरा सबसे सस्ता देश है।
- यह सर्वे चार मापदंडो के आधार पर आयोजित हुआ है।
- जिसमें स्थानीय क्रय शक्ति सूचकांक, मकान किराया सूचकांक (रेंट इंडेक्स), खाद्य वस्तु सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (स्थानीय वस्तु एवं सेवा की सुलभता के आधार पर) शामिल हैं।
- सर्वे में शामिल सभी देशों की तुलना इन मापदंडों पर न्यूयॉर्क से की गई है।
- ध्यातव्य है कि भारत अपने पड़ोसी देशों से भी सस्ता है।
- वहीं सबसे महंगा देश 112वीं रैंक बरमूडा, 111वीं रैंक बहमास और 110वीं रैंक हांगकांग की है।
- ध्यातव्य है कि सबसे सस्ते 50 देशों में मकान का किराया (रेंट) न्यूयॉर्क की तुलना में 70 प्रतिशत तथा खाद्य पदार्थ 40 प्रतिशत तक सस्ते हैं। यहां वस्तुओं एवं सेवाओं की दर 30 प्रतिशत तक सस्ती है।
- भारत में वस्तुओं और खाद्य सामग्रियों की दर कम है उदाहरणार्थ कोलकाता में एक व्यक्ति 285 डॉलर प्रतिमाह (लगभग 18,000 रुपए) के खर्च पर रह लेता है।
- भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान की रैंक 14वीं है।
- पाकिस्तानी शहर लाहौर में एक महीने का खर्च 530 डॉलर है।
- नेपाल की रैंक 28वीं जबकि बांग्लादेश की रैंक 40वीं है।
- नेपाल में मकान किराया सूचकांक (रेंट इंडेक्स) सबसे कम है जबकि भारत दूसरे स्थान पर है।
- सबसे सस्ते देश दक्षिण अफ्रीका में स्थानीय क्रय शक्ति अधिक है तथा वस्तुओं व सेवाओं की दर कम है।
- दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े शहर केपटाउन में प्रतिव्यक्ति प्रति माह खर्च चार सौ डॉलर से कम है।

स्रोत: लाइव मिन्ट

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

ग्लोबल फ्रॉड एंड रिस्क रिपोर्ट 2017-18

चर्चा में क्यों?

हाल ही में न्यूयॉर्क स्थित कॉर्पोरेट जांच और जोखिम सलाहकार (Risk Consulting) फर्म 'क्रॉल' ने 'ग्लोबल फ्रॉड एंड रिस्क रिपोर्ट', 2017-18 जारी किया।

मुख्य तथ्य

- यह इसकी वार्षिक रिपोर्ट है।
- जिसके अनुसार वर्ष 2017 में भारत में धोखाधड़ी के मामलों में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- रिपोर्ट के अनुसार भारत में कॉर्पोरेट क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
- 89 प्रतिशत कार्यकारियों/अधिकारियों ने माना कि उनकी कंपनी पिछले 12 महीनों में कम से कम एक बार धोखाधड़ी का शिकार हुई है।
- ये मामले वर्ष 2016 के 68 प्रतिशत धोखाधड़ी के मामलों से अधिक हैं।
- भारत में धोखाधड़ी से प्रभावित लोगों का प्रतिशत वर्तमान में (2017 में) 89 प्रतिशत हो गया है।
- जो वैश्विक औसत (84%) से 5% अधिक है।
- भारत ने वैश्विक स्तर पर तीन श्रेणियों में धोखाधड़ी की सबसे अधिक घटना देखी है।
- ये श्रेणियां हैं- भौतिक संपत्ति या स्टॉक (40 प्रतिशत), आईपी (इंटरनेट प्रोटोकॉल) चोरी, पाइरेसी या जालसाजी (Counter feiting) (36%) और भ्रष्टाचार और रिश्वत खोरी (31%)।
- 45% उत्तरदाताओं ने इन्हें प्राथमिक अपराधियों के रूप में इंगित किया है।
- जबकि पिछले वर्ष धोखाधड़ी के मुख्य दोषी कंपनी के मौजूदा और पूर्व कर्मचारी थे।
- 43% उत्तरदाताओं के अनुसार इस साल जूनियर कर्मचारी धोखाधाड़ी की घटनाओं के दूसरे सबसे दोषी थे।

स्रोत: लाइव मिन्ट

भारत सरकार एवं एनडीबी में समझौता

चर्चा में क्यों?

- 13 फरवरी, 2018 को भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) के बीच मरुस्थल क्षेत्रों के संबंध में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के दूसरे ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।

मुख्य तथ्य

- ऋण समझौते पर आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार के संयुक्त सचिव गोविंद मोहन, एनडीबी की ओर से परियोजना वित्तपोषण के महानिदेशक शाओहुआ वू और राजस्थान सरकार की तरफ से जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल ने हस्ताक्षर किए।
- 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर एनडीबी द्वारा स्वीकृत ऋण की पहली किश्त है।
- ज्ञातव्य है कि इस परियोजना हेतु बहु-अंशी वित्तपोषण सुविधा के तहत 345 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण का प्रावधान किया गया है।

- इस परियोजना का उद्देश्य रिसाव, जल संरक्षण और पानी की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु इंदिरा नहर प्रणाली को दुरुस्त करना है।
- इंदिरा गांधी नहर प्रणाली की लंबाई 678 कि.मी. है जिसे वर्ष 1958-63 के दौरान स्थापित किया गया था।
- परियोजना कार्यान्वयन अवधि 6 वर्ष है।
- राजस्थान सरकार, राजस्थान जल संसाधन विभाग के माध्यम से इस परियोजना को लागू करेगी।
- इस परियोजनांतर्गत इस नहर से होने वाले रिसाव की रोकथाम, पानी भरने वाले क्षेत्रों की मरम्मत, सिंचाई प्रबंधन का आधुनिकीकरण और परियोजना क्षेत्र में पेय जलापूर्ति सिंचाई सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जाएगा।
- भारत सरकार, एनडीबी और राजस्थान सरकार के प्रतिनिधियों ने भी फेसिलिटी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए।

स्रोत: पीआईबी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण हेतु भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सहयोग-ज्ञापन को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 07 फरवरी 2018 को कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सहयोग-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी प्रदान की है. यह बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई।

भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सहयोग-ज्ञापन से संबंधित मुख्य तथ्य:

- इस सहयोग-ज्ञापन से भारत-अमेरिका होमलैंड सुरक्षा संवाद के तत्वावधान में दोनों देशों के बीच सहयोग में बढ़ोत्तरी का मार्ग प्रशस्त होगा।
- सहयोग-ज्ञापन से प्रशिक्षण, प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षकों की गुणवत्ता इत्यादि के मानकों में सुधार करने में सहायता होगी। इससे देश में पुलिसबलों के कामकाज में सुधार होगा और 'स्मार्ट पुलिस' की अवधारणा पूरी होगी।
- भारत और अमेरिका अपनी भूमि तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करने और आतंकवादी हमलों द्वारा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को रोकने के मद्देनजर साझा हित रखते हैं।
- इसके अलावा दोनों देश आतंकवाद और अंतर्देशीय अपराधों से उनके सभी स्वरूपों तथा रूपों के खिलाफ लड़ने के मामलों में भी साझा हित रखते हैं।

भारत और अमेरिका के बीच होमलैंड सुरक्षा संवाद:

नवंबर 2010 में अमेरिका के राष्ट्रपति जब भारत पधारे थे, तब दोनों पक्षों ने होमलैंड सुरक्षा संवाद कार्यप्रणाली स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की थी। यह कार्यप्रणाली भारत-अमेरिका आतंकवाद विरोधी पहल पर हस्ताक्षर करने के अनुरूप है।

होमलैंड सुरक्षा संवाद के तहत 6 उप-समूहों का गठन किया गया, जिनके दायरे में निम्नलिखित क्षेत्र हैं:

- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, यातायात, बंदरगाह, सीमा और समुद्री सुरक्षा।
- महानगर पुलिस प्रणाली और संघीय राज्य तथा स्थानीय भागीदारों के बीच सूचना साझा करना।
- गैर कानूनी वित्तपोषण, नकदी की तस्करी, वित्तीय धोखाधड़ी और जाली मुद्रा।
- साइबर सूचना

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- क्षमता निर्माण
- प्रौद्योगिकी उन्नयन

- भारत और अमेरिका के बीच होमलैंड सुरक्षा संवाद के अंग के रूप में क्षमता निर्माण के लिए एक उप-समूह की स्थापना की गयी है।
- इसका उद्देश्य अमेरीकी प्राधिकारों के सहयोग से भारत में काम करने वाली कानून प्रर्वतन एजेंसियों का क्षमता निर्माण है. ये एजेंसियां सभी 6 उप-समूहों से जुड़ी हैं, जिन्हें होमलैंड सुरक्षा संवाद में शामिल किया गया है।
- भारत और अमेरिका में क्षमता निर्माण के कामकाज से संबंधित सभी प्रमुख संस्थानों के बीच संरचनात्मक सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।

स्रोत: द हिंदू

भारत और ओमान ने आठ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीन एशियाई देशों की यात्रा के दौरान 11 फरवरी 2018 को ओमान के साथ आठ क्षेत्रों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ओमान के सुल्तान काब्बूस उपस्थित थे और दोनों की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बातचीत के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान के सुल्तान काब्बूस के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की. दोनों देशों ने सामरिक सहयोगियों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और क्षेत्रीय मुद्दों में सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की।

भारत-ओमान के मध्य 8 समझौते

- नागरिक एवं वाणिज्य मुद्दों पर कानूनी और न्यायिक सहयोग हेतु समझौता राजनयिक, विशेष, सेवा और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए परस्पर वीजा छूट पर समझौता
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में समझौता
- बाहरी क्षेत्र के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन
- विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय, भारत और ओमान राजनयिक संस्थान के बीच सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन।
- राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, ओमान के सल्तनत और रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के बीच अकादमिक और विद्वानों के सहयोग सेक्टरों पर एमओयू।
- भारत और ओमान के बीच पर्यटन क्षेत्र में आपसी सहयोग हेतु समझौता
- सैन्य सहयोग पर समझौता ज्ञापन।

- ओमान एवं भारत के बीच समुद्री रणनीतिक संबंधों के लिए इस यात्रा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस अवसर पर सुल्तान कबूस बिन साद अल साद ने ओमान के विकास में ईमानदार और कड़ी मेहनत के लिए भारतीय नागरिकों के योगदान की सराहना की।

स्रोत: पीआईबी

मालदीव में आपातकाल की घोषणा की गई

चर्चा में क्यों?

मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने आपातकाल की घोषणा की। राष्ट्रपति द्वारा की गई घोषणा के उपरांत पूर्व राष्ट्रपति मौमूद अब्दुल गयूम को गिरफ्तार कर लिया गया।

मुख्य तथ्य

- मौमूद अब्दुल गयूम मौजूदा राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को पद से हटाए जाने के लिए अभियान चला रहे थे।
- मालदीव के अनुच्छेद 253 के तहत राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन अब्दुल गयूम ने आपातकाल का एलान कर दिया है।
- इस दौरान कुछ अधिकार सीमित रहेंगे, लेकिन सामान्य हलचल, सेवाएं और व्यापार इससे बेअसर रहेंगे।
- देश के मुख्य न्यायाधीश अब्दुल्ला सईद और सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य न्यायाधीश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
- सुरक्षा बलों के माले स्थित शीर्ष अदालत परिसर पहुंचने के बाद पुलिस ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि न्यायमूर्ति अब्दुल्ला सईद और न्यायमूर्ति अली हमीद के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं।

भारत सरकार की अपील

भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों को मालदीव की गैर-जरूरी यात्रा नहीं करने की अपील की है तथा इस संदर्भ में एक सर्कुलर जारी किया है। इसके अलावा मालदीव में रह रहे भारतीयों को भी तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सरकार ने मालदीव में रह रहे भारतीय नागरिकों को बाजार और सार्वजनिक जगहों पर सतर्क रहने को कहा है।

मालदीव संकट क्या है?

- सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद सहित 9 लोगों के खिलाफ दायर एक मामले को खारिज कर दिया गया था। अदालत ने इन नेताओं की रिहाई के आदेश भी जारी किये थे।
- मौजूदा सरकार ने इस आदेश को मानने से मना करते हुए इन्हें रिहा करने से मना कर दिया, जिसके चलते सरकार और कोर्ट के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया।
- मालदीव के राष्ट्रपति ने तुरंत 15 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी जिसके चलते नागरिकों के सभी अधिकार खत्म कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों को किसी की भी जांच और गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया गया है।
- पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद मालदीव के पहले निर्वाचित नेता हैं जो फिलहाल निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भारत को ओमान के दुकम पोर्ट तक सैन्य पहुंच कायम करने की स्वीकृति

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओमान दौरे के बाद भारत को इस क्षेत्र में सामरिक बढ़त प्राप्त हुई है।

मुख्य तथ्य

- दोनों देशों को बीच हुए एक समझौते के अनुसार भारत अब ओमान के दुकम पोर्ट का इस्तेमाल अपनी सैन्य गतिविधियों एवं लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए कर सकेगा।
- सामुद्रिक रणनीति के लिहाज से दुकम पोर्ट तक भारत की पहुंच होना काफी महत्वपूर्ण है।
- इस पोर्ट से भारत इलाके में चीने के प्रभाव एवं गतिविधियों पर नजर रखने के साथ उसे चुनौती देने में सक्षम होगा।

भारत के लिए लाभ

- दुकम पोर्ट ओमान के दक्षिणपूर्वी भाग में स्थित है और यहां से एक साथ अरब सागर और हिंद महासागर दोनों तरफ नजर रखी जा सकती है।
- इस पोर्ट का सामरिक एवं रणनीतिक महत्व काफी ज्यादा है क्योंकि यह ईरान के चाबाहार बंदरगाह के नजदीक स्थित है।
- इस समझौते के बाद भारत अपने युद्धपोतों के रखरखाव के लिए दुकम पोर्ट और ड्राई डॉक का इस्तेमाल कर सकेगा।
- भारत सेशेल्स में एजम्पशन आइलैंड और मॉरीशस में एगालेगा बंदरगाह को पहले से ही विकसित कर रहा है, ऐसे में दुकम पोर्ट तक सैन्य पहुंच होने से भारत की सामुद्रिक सुरक्षा और मजबूत होगी।
- भारत ने दुकम पोर्ट पर सितंबर 2017 में एक पनडुब्बी भेजी थी। इसके अलावा वहां नौसेना का जहाज आईएनएस मुंबई और दो पी-8 आई निगरानी विमान भी गए थे।
- इसे प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय ओमान यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है।
- इससे भारत इस क्षेत्र में चीन को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है जो सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।

भारत-ओमान संबंध

- भारत और ओमान के मध्य लंबे समय से घनिष्ठ विदेशी संबंध हैं. भारत का मस्कट में दूतावास है. भारत ने मस्कट में फरवरी 1955 में कांसुलेट आरंभ किया था जिसे 1971 में दूतावास का दर्जा दिया गया। भारत से मस्कट में पहली बार 1973 में राजदूत भेजा गया. वहीं ओमान ने 1972 में अपना दूतावास दिल्ली में आरंभ किया। ओमान में बड़ी संख्या में भारतीय लोग रहते हैं जो ओमान की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत और ओमान के मध्य व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में भी घनिष्ठ संबंध हैं। राजनैतिक दृष्टि से भी दोनों देशों के बीच घना संबंध है। ओमान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है।

चाबहार में भारत

- ओमान में मिली सफलता से पहले भारत ईरान में चाबहार पोर्ट के जरिए इस पूरे इलाके में चीन-पाक पर एक मानोवैज्ञानिक बढ़त बना चुका है। पाकिस्तान को बाईपास करते हुए चाबहार पोर्ट पहुंचना भारत के लिए रणनीतिक और राजनीतिक जीत है। इसके तहत भारत ने पहले चरण के विकास में करीब 85.21 मिलियन डालर का निवेश किया है। इसके अलावा भारत फीस के रूप में ईरान को दस साल में 22.95 मिलियन डालर देगा। भारत इस पोर्ट का अपने जरूरतों के लिहाज से इस्तेदमाल कर सकेगा। इसके चलते उसे ग्वादिर में चीन पाक पर रणनीतिक रूप से बढ़त भी मिल सकेगी।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय अर्थव्यवस्था, एवं आर्थिक विकास

कुसुम योजना: 3 करोड़ सिंचाई पंप सौर उर्जा से लैस होंगे

चर्चा में क्यों?

आम बजट 2018-19 के दौरान की गई विभिन्न घोषणाओं में देश की सिंचाई व्यवस्था के लिए कुसुम योजना की घोषणा की गई. यह योजना देश के किसानों एवं कृषि व्यवस्था के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकती है।

मुख्य तथ्य

- इस योजना के तहत देश में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी पंपों को सोलर आधारित बनाया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की।
- योजना का नाम किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान (कुसुम) रखा गया है। कुसुम योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 तक देश में तीन करोड़ पंपों को बिजली या डीजल की जगह सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा। कुसुम योजना पर कुल 1.40 लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी।
- इसमें केंद्र सरकार 48 हजार करोड़ रुपये योगदान करेगी, जबकि इतनी ही राशि राज्य सरकारें देंगी। किसानों को कुल लागत का सिर्फ 10 फीसद ही उठाना होगा, जबकि लगभग 45 हजार करोड़ रुपये का इंतजाम बैंक लोन से किया जाएगा।

कुसुम योजना

- कुसुम योजना का पूरा नाम किसान उर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान है।
- कुसुम योजना के तहत देश के 3 करोड़ सिंचाई पम्पों को सौर उर्जा से चलाया जायेगा।
- किसानों को इस लागत का केवल 10 प्रतिशत ही देना होगा।
- सरकार इस योजना के लिए लगभग 45 हजार करोड़ रुपये बैंक ऋण के रूप में जुटाएगी।
- इस योजना से 28 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा।
- इस योजना से किसान दोहरा लाभ उठा सकेंगे. पहला इससे सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी. दूसरा, किसान अतिरिक्त बिजली बनाकर ग्रिड को भेजेंगे तो उसकी कीमत भी किसानों को दी जाएगी।
- इस योजना के पहले चरण में डीजल से चल रहे 17.5 लाख सिंचाई पम्पों को सौर उर्जा से चलाया जायेगा।

कुसुम योजना के लाभ

- सौर उर्जा से चलने पर पम्पों से लंबे समय तक सिंचाई हो सकेगी तथा फसलों की पैदावार सुधरेगी।
- इससे देश में डीजल की खपत कम होगी।
- पर्यावरण पर डीजल से पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव में भी कमी आएगी।
- इससे देश में अतिरिक्त मेगावाट बिजली पैदा होगी।
- किसानों की बिजली की बचत हो सकेगी।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस

चर्चा में क्यों?

- 12 फरवरी, 2018 को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद 'राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस' की 60वीं वर्षगांठ मना रहा है।

मुख्य तथ्य

- राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस की 60वीं वर्षगांठ को डायमंड जुबिली वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।
- 12–18 फरवरी, 2018 के मध्य 'राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह' मनाया जाएगा।
- राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह हेतु मुख्य विषय 'उद्योग 4.0 भारत के लिए बड़ी छलांग लगाने का अवसर' निर्धारित किया गया।
- उद्योग 4.0 या चौथी औद्योगिक क्रांति को विश्व भर में अगली औद्योगिक क्रांति कहा गया।
- यह उत्पादों के बढ़ते डिजिटलीकरण एवं एक-दूसरे से संपर्क, मूल्य शृंखला एवं व्यवसाय मॉडल की विशेषता को चिह्नित करता है।
- चौथी औद्योगिक क्रांति के माध्यम से 'स्मार्ट फैक्ट्री' का निर्माण किया जाएगा जिससे कई कौशल का प्रयोग संसाधनों का बेहतर प्रयोग, दक्षता योग्य डिजाइन और व्यापारिक भागीदारों के बीच सीधा संपर्क संभव हो सकेगा।
- पहली औद्योगिक क्रांति पानी और भाप की शक्ति के कारण हुई, जिसने मानव श्रम को यांत्रिकी निर्माण में परिवर्तित किया।
- रोजगार के साथ विकास को जोड़ने के लक्ष्य के अनुरूप देश में सकल घरेलू उत्पाद में निर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। सकल घरेलू उत्पाद में निर्माण मक्षिेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2022 तक 16 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत करने तथा 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है।
- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद 140 पूर्णकालिक सदस्यों के साथ देश भर में 13 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से अपना विस्तार कर रहा है।

स्रोत: पीआईबी

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों हेतु लोकपाल की नियुक्ति

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में आरबीआई के द्वारा एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत NBFC को भी लोकपाल के दायरे में लाने की घोषणा कर दी गई।

मुख्य तथ्य

- यह लोकपाल ऐसी NBFC को आच्छादित (कवर) करेगा जिनकी परिसंपत्ति का आकार 10 लाख या उससे ज्यादा है।
- आगे चलकर उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी उसके दायरे में लाया जाएगा जिनकी परिसंपत्ति 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है तथा ग्राहक पटल (Customer Interface) की सुविधा भी हो।
- यह योजना फरवरी, 2018 के अंत तक अमल में लाई जाएगी।
- योजना के तहत वित्तीय कंपनियों (NBFC) से कर्ज लेने वालों को अगर कोई शिकायत होगी तो वे सीधे अपने लोकपाल से संपर्क कर सकेंगे।
- इस तरह इनकी शिकायतों का जल्द निपटारा हो सकेगा।

- शुरू में इस योजना को सभी जमा स्वीकारक (Deposit-Taking) एनबीएफसी के लिए लागू किया जाएगा।
- आरबीआई की मंशा इन कपंनियों (NBFC) के चारों ओर नियमों को और मजबूत करना है।
- ध्यातव्य है कि अभी तक, उपभोक्ता शिकायतों के लिए आरबीआई ने सभी एनबीएफसी के लिए मैनडेटरी (अनिवार्य) निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) रखना अनिवार्य कर दिया था।
- जिनके नाम और पते एनबीएफसी के कार्योलयों में मौजूद होते थे।
- ध्यातव्य है कि एनबीएफसी कम पूंजी की आवश्यकता के तहत काम करते हैं और बैंकों की तुलना में जोखिम धारक व्यापार को करते हैं।
- इस प्रकार आरबीआई का हालिया कदम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स

भारतीय कंपनियों के समूह और एडीएनओसी में समझौता

चर्चा में क्यों?

- 12 फरवरी, 2018 को भारतीय कंपनियों के समूह ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ONGC) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी), भारत पेट्रो रिसोर्सेस लिमिटेड (बीपीआरएल) और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से एडीएनओसी (ADNOC) ग्रुप के स्वामित्व वाली अपतटीय लोअर जकूम में हिस्सेदारी खरीदने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।

मुख्य तथ्य

- इस समझौते के तहत भारतीय कंपनियों के समूह द्वारा अपतटीय लोअर जकूम में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जाएगा।
- इस अधिग्रहण की राशि 600 बिलियन डॉलर है।
- इस हिस्सेदारी की अवधि 40 वर्ष (वर्ष-2018 से वर्ष 2057 तक) है।
- यह पहली बार है जब भारतीय तेल और गैस कंपनियों को अबूधाबी के हाइड्रोकार्बन संसाधनों के विकास में हिस्सेदारी प्राप्त हुई है।
- इस समझौते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबूधाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और संयुक्त अरब अमीरात के सशस्त्र बलों के उप सुप्रीम कमांडर की उपस्थिति में ओएनजीसी समूह के चेयरमैन शशि शंकर और एडीएनओसी समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुल्तान अहमद अल जबेर ने हस्ताक्षर किए।
- समझौते के अनुसार ब्याज की 60 प्रतिशत भागीदारी एडीएनओसी के पास रहेगी और शेष 30 प्रतिशत भागीदारी अन्य अंतरराष्ट्रीय तेल कंपनियों को प्रदान की जाएगी।
- ज्ञातव्य है कि यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेहरान यात्रा के दौरान किया गया था।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

राजकोषीय घाटा संबंधी फिच का अनुमान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में फिच समूह की इकाई 'बीएमआई रिसर्च' द्वारा भारत का राजकोषीय घाटा संबंधी अनुमान जारी किया गया।

मुख्य तथ्य

- इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत होना अपेक्षित है।
- ध्यातव्य है कि पूर्व में फिच द्वारा राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया था।
- अनुमान में हालिया संशोधन की वजह से नीति निर्माताओं द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय समेकन (Fiscal Consolidation) की गति को कम करना है।
- ध्यातव्य है कि सरकार 7.5 प्रतिशत विकास लक्ष्य हासिल करना चाहती है।
- सरकार ने 1 फरवरी, 2018 को वित्तीय वर्ष 2018-19 (अप्रैल-मार्च) का बजट पेश किया।
- जिसमें सरकार ने वर्ष 2025 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करने का लक्ष्य रखा।
- इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपेक्षित विकास और रोजगार सृजन, राजकोषीय समेकन की धीमी गति पर ही संभव है।
- ध्यातव्य है कि सरकार ने 2017-18 के 3.5 प्रतिशत के संशोधित अनुमान की तुलना में 2018-19 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी के 3.3 प्रतिशत निर्धारित किया था।
- यद्यपि यह एफआरबीएम (राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन) फ्रेमवर्क के तहत की गई सिफारिश की तुलना में धीमी गति है।
- 'बजट 2018-19' के समग्र व्यय (Overall Expenditure) में पूर्व की तुलना में वृद्धि देखी गई।
- जिसका सबसे बड़ा आवंटन परिवहन, ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा और हेल्थकेयर में हुआ।
- ध्यातव्य है कि इन क्षेत्रों में बड़ा आवंटन दीर्घकालिक विकास के मद्देनजर ही किया गया।

स्रोत: द हिंदू इकोनॉमिक टाइम्स

लघु उद्योगों को तकनीकी हस्तांतरण हेतु तंत्र की स्थापना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लघु उद्योगों को तकनीकी हस्तांतरण हेतु एक तंत्र (Mechanism) की स्थापना की घोषणा की गई है।

मुख्य तथ्य

- यह तंत्र सीएसआईआर में स्थापित किया गया है। यह तंत्र एक नियमित (Regular) तंत्र है।
- इस तंत्र के तहत सीएसआईआर में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

- सीएसआईआर में नियुक्त नोडल अधिकारी नियमित तौर पर लघु उद्योगों और उनके द्वारा अपेक्षित उपयुक्त तकनीक के लिए सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के साथ समन्वय करेगा।
- ध्यातव्य है कि सरकार ने 'लघु उद्योग भारती' की सलाह पर ध्यान देते हुए यह कदम उठाया है।
- जिसने सीएसआईआर और लघु उद्योगों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से संबंधित असंबद्धता (Disconnection) को उजागर किया।
- सीएसआईआर प्रयोगशालाओं ने 1000 से अधिक प्रक्रियाओं और तकनीकों का पेटेंट कराया है, जो कि वाणिज्यिक दोहन (Exploitation) के लिए उपलब्ध है।
- इनमें से कुछ तकनीकों का व्यावसायीकरण भी किया गया है।
- ध्यातव्य है कि लघु उद्योग सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल औद्योगिक मूल्य में लगभग 40% योगदान देता है।
- अखिल भारतीय उपस्थिति के साथ सीएसआईआर के पास 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, 39 आउटरीच केंद्र और 3 इनोवेशन कॉम्प्लेक्स है।
- उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा हालिया 'तकनीकी हस्तांतरण तंत्र' की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

एचएसबीसी के आर्थिक वृद्धि के अनुमान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हांग-कांग शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (एचएसबीसी) ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वृद्धि संभावनाएं जारी की।

मुख्य तथ्य

- इसके अनुसार भारत के जीडीपी की वृद्धि दर 2018-19 में वर्तमान फिस्कल (Fiscal) के 6.5 प्रतिशत से बढ़कर 7.0 प्रतिशत होने की संभावना है।
- जबकि वर्ष 2019-20 में इसके 7.6 प्रतिशत हो जाने की संभावना है।
- हालिया संभावनाओं में एचएसबीसी द्वारा भारत के विकास को दो अल्पावधि भागों में वर्णित किया गया है।
- पहले भाग में वित्त वर्ष 2018 और 2019 के अल्पावधि के दौरान स्लोडाउन और क्रमिक सुधार शामिल है।
- ये सुधार वैसे ही हुए हैं जैसे की प्रमुख क्षेत्रों में हुए थे (जीएसटी) के कार्यान्वयन से संबंधित व्यवधानों के बाद के क्रमिक सुधार।
- दूसरा भाग मध्यावधि (वित्त वर्ष 2020 और उसके बाद) में उज्ज्वल विकास संभावनाओं का है।
- इसी भाग में हालिया ढांचागत सुधारों के लाभ दृष्टव्य हैं।
- एचएसबीसी के अनुसार वर्ष 2017-18 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत अनुमानित है।
- एचएसबीसी के अनुसार, क्षविक कारकों (Transient Factors) का असर घटते ही मुद्रास्फीति आरबीआई लक्षित 4 प्रतिशत के आस-पास बनी रहेगी।
- एचएसबीसी ने वित्त वर्ष 2018 के दौरान मुद्रास्फीति औसतन 3.4 प्रतिशत रहना अनुमानित किया है।
- जबकि मार्च में वित्त वर्ष की समाप्ति पर इसके 4.3 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है।

स्रोत:डेक्कन क्रॉनिकल

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

फोर्ब्स की क्रिप्टोकरेंसी रखने वाले अमीरों की पहली सूची, 2018

चर्चा में क्यों?

- प्रतिष्ठित पत्रिका 'फोर्ब्स' ने अपनी पहली क्रिप्टोकरेंसी (आभासी मुद्रा) वाले अमीरों की सूची (Crypto Rich List), 2018 जारी की।

मुख्य तथ्य

- इस सूची में क्रिप्टो करेंसी रखने वाले 19 अमीरों को शामिल किया गया है।
- सूची में रिपल के सह-संस्थापक क्रिस लार्सन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है।
- क्रिस लार्सन की मुद्राओं का मूल्य 7.5 से 8 अरब डॉलर है।
- इसके पश्चात 1-5 अरब डॉलर के क्रिप्टो मुद्रा मूल्य के साथ जोसेफ लुबिन दूसरे स्थान पर है।
- चांगपेंग झाओ (Changpeng "CZ" Zhao) 1.1 से 2 अरब डॉलर के क्रिप्टो मुद्रा मूल्य के साथ तीसरे, कैमरन एंड टायलर विंक्लेवॉस 90 करोड़ से 1.1 अरब डॉलर क्रिप्टो मुद्रा मूल्य के साथ पांचवें स्थान पर रहे।
- गौरतलब है कि बिना नियमन वाली क्रिप्टो मुद्राओं के मूल्य में हाल के समय में तेजी से वृद्धि हुई है।
- यह ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के आधार पर गोपनीय एल्गोरिदम के हिसाब से काम करती है।
- फोर्ब्स के अनुसार, क्रिप्टो मुद्राओं-बिटक्वॉइन, एथेरियम और एक्सआरपी के औसत मूल्य में काफी वृद्धि हुई।
- फोर्ब्स के अनुसार, लगभग 1,500 क्रिप्टो मुद्राएं इस समय चलन में हैं जिनका कुल मूल्य 550 अरब डॉलर है।

क्रिप्टोकरेंसी क्या है?

- एक क्रिप्टोकरेंसी मुद्रा का एक वर्चुअल एक्सचेंज का माध्यम है जो क्रिप्टोग्राफी के द्वारा लेनदेन को सुरक्षित करने और नई इकाइयों के निर्माण पर नियंत्रण रखता है। सारांश में, क्रिप्टोकरेंसी मुद्रा का डिजिटल रूप है। यह क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्किंग और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर आधारित है। यह लोगों को बैंकों द्वारा लगाये जाने वाले चार्ज और अनाम रूप में बिना नकद वाले लेनदेन में भाग लेने की गारंटी देता है और सुरक्षित लेनदेन की गारंटी देता है। क्रिप्टोकरेंसी की संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि कोई भी इसे ओपन सोर्स के द्वारा बना सकता हैं। इस समय बाजार में 500 से अधिक क्रिप्टोकरेंसी मौजूद हैं। क्रिप्टोकरेंसी की सूची और डाटा coinmarketcap.com पर उपलब्ध है।
- क्रिप्टोकरेंसी, डिजिटल करेंसी, और वर्चुअल करेंसी के बीच क्या अंतर है?
- वर्चुअल करेंसी ऐसी करेंसी है जो कागज पर मुद्रित या धातु में मुहर लगी नहीं है। यह वर्चुअल है क्योंकि यह केवल वर्चुअल वर्ल्ड में ही उपलब्ध है। वर्चुअल करेंसी संभावित रूप से वास्तविक करेंसी का प्रतिनिधित्व कर सकती है। ऐसे ही जैसे कि बैंक में रखा आपका पैसा भी वर्चुअल करेंसी के रूप में होता है और केवल बैंक के लेजर में ही उपलब्ध है। यदि बैंक का लेजर गायब हो जाता है तो आपका पैसा भी गायब हो जाता है।
- डिजिटल करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जो कि विशेष रूप से डिजिटल वर्ल्ड में मौजूद है, जिसका अर्थ है कि यह कुछ डिजिटल स्टोरेज यानि एक हार्ड ड्राइव में रखी गई होती है। डिजिटल करेंसी में माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट्स, डब्ल्यूआईआई पॉइंट्स, फेसबुक पॉइंट्स और क्रिप्टोकरेंसी शामिल हैं।
- क्रिप्टोकरेंसी डिजिटल और वर्चुअल करेंसी दोनों है जो कि कुछ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथ्म पर आधारित होकर बनाई गई है। कोई भी इस करेंसी को 'मिन्ट्स' नहीं करता, यह क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से हार्डवेयर एवं इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके एक यूनिट का निर्माण करता है जो एक 'कॉइन' कहलाता है. बिटकॉइन, लाइटकॉइन और ऑल्टकिनस जैसे सभी कॉइन क्रिप्टोकरेंसी हैं।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- सर्वप्रथम क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2009 में हुई थी और सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी "बिटकॉइन"।

  बिटकॉइन करेंसी को जापान के सतोषी नाकमोतो नाम के एक इंजीनियर ने बनाया था। शुरुआत में बिटकॉइन उतनी प्रचलित नहीं थी परंतु धीरे-धीरे इस करेंसी के रेट आसमान छूने लगे और यह सफल हो गई। 2009 से लेकर वर्तमान समय तक लगभग 1000 प्रकार की क्रिप्टो करेंसी बाजार में मौजूद हैं, यह करेंसी पियर टू पियर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के रूप में कार्य करती है।

- बिटकॉइन के अलावा अन्य करेंसी भी बाजार में मौजूद है जिनका प्रयोग आजकल अधिक हो रहा है जैसे-

- **Redd coin- :** बिटकॉइन के अलावा भी अन्य कई क्रिप्टो करेंसी है जिनका उपयोग विशेष अवसरों पर किया जा सकता है जिसमें एक है "रेड कॉइन"। रेड कॉइन का उपयोग लोगों को टिप देने के लिए किया जाता है। मान लीजिए Facebook पर आपको किसी की पोस्ट पसंद आई और आप उसके लिए उसे कुछ पैसे देना चाहते हैं तो उसके लिए आप रेड कॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं।

- **Sia Coin- :** वर्तमान समय में सिया कॉइन को आप काफी कम कीमत पर खरीद सकते हैं जिसकी कीमत आगे आने वाले समय में काफी बढ़ सकती है। इस कॉइन को SC से अंकित किया जाता है। यह कॉइन अच्छी ग्रोथ कर रहा है और इस साल के अंत तक इस कॉइन की कीमत और भी अधिक बढ़ सकती है।

- **Sys Coin- :** सिस्कोइन एक क्रांतिकारी क्रिप्टो करेंसी है जो जीरो लागत के वित्तीय लेनदेन और अविश्वसनीय गति के साथ प्रदान करता है। व्यापार संपत्ति डिजिटल प्रमाणपत्र डाटा को सुरक्षित रूप से व्यापार करने के लिए बुनियादी ढांचे को व्यवसाय प्रदान करता है। सिस्कोइन ब्लॉकचेन पर कार्य करता है यह बिटकॉइन का ही एक हिस्सा है इसे और अधिक सुरक्षित और स्थिर बनाने के लिए बिटकॉइन के साथ मर्ज किया गया है। सिस्कोइन ब्लॉकचेन बिटकॉइन की तुलना में बेहतर है क्योंकि यह बहुत तेज गति से लेनदेन की प्रक्रिया पूरा करता है।

- **Voice coin- :** वॉइस कॉइन उभरते हुये संगीतकारों के लिए तैयार किया गया एक ऐसा मंच है जहां गायक अपने संगीत का स्वयं मूल्य निर्धारण कर सकते हैं और मुफ्त में संगीत का सैंपल ट्रैक प्रदान कर सकते हैं तथा मंच पर संगीत उत्साही और उपयोगकर्ताओं से समर्थन भी प्राप्त कर सकते हैं। इस मंच का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र कलाकारों का मुद्रीकरण करना है।

- **Monero- :** यह भी एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है इसमें विशेष प्रकार की सिक्योरिटी का उपयोग किया जाता है जिसे रिंग सिग्नेचर नाम से जाना जाता है, इसका उपयोग डार्क वेब और ब्लॉक मार्केट में बहुत अधिक होता है। इसकी सहायता से स्मगलिंग की जाती है, इस करेंसी से कालाबाजारी आसानी से की जा सकती है।

स्रोत: द हिंदू, विकिपीडिया

छठवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति 2017-18

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल एवं मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने छठवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति, 2017-18 (6th Bi - Monthly Monetary Policy Statement, 2017-18) जारी किया।

मुख्य तथ्य

- भारतीय रिजर्व बैंक ने छठवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति में नीतिगत दरों, आरक्षित नगदी अनुपात, निवल मांग एवं मियादी देयताओं को अपरिवर्तित रखा है। इस मौद्रिक नीति में चलनिधि समायोजन सुविधा (LAC: Liquidity Adjustment Facility) के अंतर्गत रेपो दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया तथा इसे 6.0 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है।

- इससे पूर्व 6 दिसंबर, 2017 को पांचवीं द्विमासिक नीति जारी की गई थी जिसमें नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

गया था।

- ज्ञातव्य है कि आरबीआई ने 2 अगस्त, 2017 को तृतीय द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 में नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंक कम करके 6.25 प्रतिशत से 6.0 प्रतिशत किया था।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR - Statutary Liquidity Ratio) को अपरिवर्तित रखते हुए 19.50 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नकद आरक्षित अनुपात (CRR - Cash Reserve Ratio) को अपरिवर्तित रखते हुए इसे निवल मांग

  और मियादी देयताओं (NDTL: Net Demand and Time Liabilities) के 4 प्रतिशत पर बरकरार रखा है।
- परिणामत: चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रेपो रेट 5.75 तथा सीमांत स्थायी सुविधा दर (MSF) और बैंक दर 6.25 प्रतिशत है।
- इसके अनुसार 2017-18 में (GVA (Gross Value Added) वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

स्रोत: द हिंदू

राष्ट्रीय आय के प्रथम संशोधित अनुमान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने राष्ट्रीय आय के प्रथम संशोधित अनुमान जारी किए।

मुख्य तथ्य

- इसके अनुसार वर्ष 2015-16 की वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत अनुमानित है जो वर्ष 2016-17 की तुलना में अधिक है।
- वर्ष 2016-17 में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- वर्ष 2015-16 में वास्तविक जीडीपी 113.86 लाख करोड़ रुपए और 2016-17 में 121.96 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है।
- चालू कीमतों पर जीडीपी (नॉमिनल जीडीपी) वर्ष 2016-17 में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 152.54 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है।
- जबकि वर्ष 2015-16 में 10.4 प्रतिशत वृद्धि के साथ इसके 137.64 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।
- स्थिर (2011-12) कीमतों पर जीवीए में वृद्धि वर्ष 2016-17 में 7.1 प्रतिशत रही जो वर्ष 2015-16 में 8.1 प्रतिशत थी।
- चालू कीमतों पर वर्ष 2016-17 में जीवीए में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 20.4 प्रतिशत था।
- जबकि द्वितीय और तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमश: 26.9 प्रतिशत एवं 52.8 प्रतिशत थी।
- वर्ष 2016-17 के दौरान वास्तविक जीवीए वृद्धि में कमी मुख्य रूप से विनिर्माण (7.9%), निर्माण (1.3%), व्यापार, होटल व रेस्टोरेंट (8.9%), वित्तीय सेवाएं (1.3%) तथा 'रियल स्टेट, व्यावसायिक सेवाओं व ड्वेलिंग मालिकत्व' (8.0%) में कमी के कारण हुई।
- चालू कीमतों पर निवल राष्ट्रीय आय 11.0 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2016-17 में 134.9 लाख करोड़ रुपए रहा।

- जो वर्ष 2015-16 में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 121.5 लाख करोड़ रुपए पर था।
- स्थिर कीमतों (2011-12) पर जीवीए में क्षेत्रवार वृद्धि वर्ष 2016-17 में क्रमशः इस प्रकार है- प्राथमिक क्षेत्र (7.4%), द्वितीयक क्षेत्र (6.1%) एवं तृतीयक क्षेत्र (7.5%)।
- वर्ष 2015-16 में जीवीए में क्षेत्रवार वृद्धि क्रमशः इस प्रकार है-
- प्राथमिक क्षेत्र (2.6%), द्वितीयक क्षेत्र (9.4%) एवं तृतीयक क्षेत्र (9.6%)।
- ध्यातव्य है कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मात्स्यिकी एवं खनन व उत्खनन की गतिविधियां शामिल होती हैं।
- जबकि द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, जलापूर्ति व अन्य उपयोगी (यूटिलिटी) सेवाएं तथा निर्माण की गतिविधियां शामिल होती हैं।
- तृतीयक क्षेत्र में सेवाएं (Services) शामिल होती हैं।

स्रोतः इकोनॉमिक टाइम्स

वर्ष 2017-18 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान

चर्चा में क्यों?

- 27 फरवरी, 2018 को कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है।

मुख्य तथ्य

- वर्ष 2017-18 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 277.49 मिलियन टन तक होना अनुमानित है जो रिकॉर्ड उत्पादन है।
- यह वर्ष 2016-17 के दौरान विगत 275.11 मिलियन टन के रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 2.37 मिलियन टन अधिक है।
- मौजूदा वर्ष का उत्पादन भी विगत पांच वर्षों (2012-13 से 2016-17) के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 17.31 मिलियन टन अधिक है।
- 2017-18 के दौरान चावल का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 111.01 मिलियन टन अनुमानित है।
- चावल का उत्पादन वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त विगत 108.70 मिलियन टन के उत्पादन की तुलना में 1.31 मिलियन टन अधितक है।
- गेंहू का उत्पादन 97.11 मिलियन टन अनुमानित है।
- जो वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त विगत 98.51 मिलियन टन के रिकॉर्ड गेंहू उत्पादन की तुलना में 1.40 मिलियन टन कम है।
- मोटे अनाजों का उत्पादन 45.42 मिलियन टन अनुमानित है।
- मौजूदा वर्ष का उत्पादन वर्ष 2016-17 दौरान उत्पन्न 43.77 मिलियन टन की 1.65 मिलियन टन अधिक है।
- दलहनों का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 23.95 मिलियन टन तक अनुमानित है।
- जो विगत वर्ष के दौरान प्राप्त 23.13 मिलियन टन के उत्पादन की तुलना में 0.82 मिलियन टन अधिक है।
- तिलहनों का कुल उत्पादन 29.88 मिलियन टन अनुमानित है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- जो वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त 31.28 मिलियन टन के उत्पादन की तुलना में 1.39 मिलियन टन कम है।
- गन्ने का उत्पादन 353.263 मिलियन टन अनुमानित है।
- यह वर्ष 2016-17 की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से 47.16 मिलियन टन अधिक है।
- कपास का उत्पादन 33.92 मिलियन गांठे (प्रति 770 किलोग्राम की) अनुमानित है। जो विगत वर्ष के 32.58 मिलियन गांठों के उत्पादन की तुलना में 0.41 मिलियन अधिक है।

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

भारतीय फूड रीटेल वेंचर में प्रविष्ट पहली विदेशी ई-कॉमर्स फर्म

चर्चा में क्यों?

- फरवरी, 2018 में अमेजॉन द्वारा भारत में 'फूड रीटेल वेंचर' में प्रवेश कर लेने की उद्घोषणा की गई।
- ऐसा करने वाली वह पहली विदेशी ई-कॉमर्स फर्म बन गई है।

मुख्य तथ्य

- अमेजॉन ने इसकी शुरूआत पुणे से की है।
- कंपनी अब फूड प्रोडक्ट्स सीधा ग्राहकों तक पहुंचाएगी।
- अर्थात अमेजॉन अपनी वेबसाइट के जरिए अब एक फूड प्रोडक्ट्स वेंडर है।
- प्रोडक्ट्स 'अमेजॉन रिटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' के द्वारा बेचे जा रहे हैं।
- अमेजॉन शीघ्र ही फूड रिटेलिंग का कारोबार देश भर में फैलाने पर विचार कर रही है।
- इसमें करीब एक तिमाही का समय लग सकता है।
- ध्यातव्य है कि अमेजॉन को पिछले वर्ष ही सरकार से इस वेंचर में 500 मिलियन डॉलर निवेश करने की इजाजत मिली थी।
- सरकार ने जुलाई में अमेजॉन के प्रस्ताव का समाशोधन (Clearing) करते हुए वेंचर हेतु अलग मैनेजमेंट और कार्यालय बनाने को कहा था।
- कंपनी ने ऑनलाइन और ऑफलाइन चेनल के जरिए स्थानीय कंपनियों द्वारा तैयार और पैक किए गए फूड प्रोडक्ट्स को बेचने की इजाजत मांगी थी।
- सरकार ने वर्ष 2016 में रोजगार और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए फूड ओनली रीटेल व्यापार में 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी प्रदान की थी।
- ध्यातव्य है कि 'बिगबॉस्केट' और 'सुपरडेली' (Super Daily) जैसे स्टार्टअप्स को भी फूड रिटेल वेंचर की अनुमति मिल गई है।

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट-2018

चर्चा में क्यों?

- 21-22 फरवरी, 2018 के मध्य 'उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट-2018' लखनऊ में आयोजित किया गया।
- इस समिट के भागीदार देशों में नीदरलैंड्स, जापान, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य, फिनलैंड, मॉरीशस तथा थाईलैंड शामिल थे।

मुख्य तथ्य

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट' का उद्घाटन किया।
- इस अवसर पर उन्होंने 'निवेश मित्र' पोर्टल लांच किया।
- यह देश का पहला औद्योगिक पोर्टल है।
- प्रधानमंत्री ने 2 रक्षा कॉरिडोर में से एक बुंदेलखंड (पश्चिमी उ.प्र.) में स्थापित किए जाने की घोषणा की।
- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विस्तार आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी और चित्रकूट तक होगा।
- इसके तहत 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश के साथ-साथ 2.50 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है।
- इस समिट में 10 देश के प्रतिनिधियों, 6000 से अधिक डेलीगेट्स, 100 से अधिक मीडिया हाउसेस, 110 से अधिक कंपनियों ने विभिन्न प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रतिभाग किया।
- इस समिट में केंद्रिय रेल एवं कोयला मंत्री पीयुष गोयल ने फतेहपुर और झांसी में रेल कारखाना स्थापित करने की घोषणा की।
- फतेहपुर रेल कारखाना में रेल उपकरण बनाए जाएंगे और झांसी के रेल कोच रिफार्मिंग फैक्ट्री में डिब्बों का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
- रायबरेली रेल कोच फैक्ट्री की मौजूदा क्षमता 600 डिब्बे बनाने की है, जिसे एक साल 1000, दो साल में 2000 और तीन साल में 3000 डिब्बे किए जाने की घोषणा की गई।
- इसके अलावा रेल मंत्री ने दुधवा नेशनल पार्क और कर्तनिया घाट के बीच हेरिटेज ट्रेन चलाने की घोषणा की।
- उ.प्र. में लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में सिर्फ तीन एयरपोर्ट हैं, अब कुशीनगर और जेवर (नोएडा) में भी दो नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का काम शुरू किया जा रहा है।
- पर्यटन को उद्योग का दर्जा देते हुए राज्य में नई पर्यटन नीति-2018 प्रख्यापित की गई।
- समिट में हस्ताक्षरित किए गए एमओयू की प्रगति की निगरानी मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे।
- कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस जियो उत्तर प्रदेश में 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
- अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कहा कि अगले 5 वर्षों में वे उत्तर प्रदेश में 35 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेंगे।
- आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि उनका समूह उत्तर प्रदेश में 25 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगा।
- इसके अलावा एस्सेल ग्रुप के अध्यक्ष सुभाष चंद्रा ने कहा कि उनके समूह ने राज्य सरकार के साथ 18 हजार 750 करोड़ रुपये का एमओयू किया है।
- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने समिट के समापन समारोह को संबोधित किया।
- इस समिट में कुल 1045 एमओयू हस्ताक्षरित हुए जिसके माध्यम से कुल 4.28 लाख करोड़ रु. राज्य में निवेश किए जाएंगे।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनियमित जमा योजना और चिट फंडों (संशोधन) पर प्रतिबंध लगाने के नए विधेयक, 2018 को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

- 20 फरवरी, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निवेशकों की बचतों की रक्षा करने के लिए एक प्रमुख नीतिगत पहल करते हुए निम्नलिखित विधेयकों को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी है–

(1) अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक, 2018 और

(2) चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018

विधेयक का उद्देश्य

- अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक, 2018 का उद्देश्य देश में गैर–कानूनी जमा राशि से जुड़ी समस्याओं से निपटना है।

मुख्य तथ्य

- यह विधेयक देश में गैर–कानूनी बचत योजनाओं से जुड़ी बुराई से निपटने के लिए एक विस्तृत कानून इस प्रकार प्रदान करेगा–

  (i) अनियमित जमा राशि से संबंधित गतिविधियों पर पूर्ण रोक।

  (ii) अनियमित जमा राशि लेने वाली योजना को बढ़ावा देने अथवा उनके संचालन के लिए सजा।

  (iii) जमाकर्ताओं को अदायगी करते समय धांधली के लिए कड़ी सजा।

  (iv) जमा करने वाले प्रतिष्ठानों द्वारा चूक की स्थिति में जमा राशि की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारद्वारा एक सक्षम प्राधिकरण की नियुक्ति।

  (v) चूक करने वाले प्रतिष्ठान की संपत्ति कुर्क करने के लिए अधिकार देने सहित सक्षम प्राधिकार की शक्तियों और कामकाज।

  (vi) जमाकर्ताओं की अदायगी की निगरानी और अधिनियम के अंतर्गत अपराधों पर कार्यवाही करने के लिए अदालतों का गठन और।

  (vii) विधेयक में नियमित जमा योजनाओं को सूचीबद्ध करना, जिसमें सूची का विस्तार करने अथवा काट–छांट करने के लिए केंद्र सरकार को सक्षम बनाने का खंड हो।

चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018

- चिट फंड क्षेत्र की सुव्यवस्थित वृद्धि और चिट फंड उद्योग के रास्ते में आने वाली अड़चनों को समाप्त करने के लिए, साथ ही अन्य वित्तीय उत्पादों तक लोगों की अधिक वित्तीय पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, चिट फंड कानून, 1982 में निम्नलिखित संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है–
- चिट फंड कानून, 1982 के अनुच्छेद 2 (बी) और 11(1) के अंतर्गत चिट व्यवसाय के लिए ''बंधुत्व कोष'' शब्द का इस्तेमाल उसकी अंतर्निहित प्रकृति को स्पष्ट करने और एक अलग कानून के अंतर्गत प्रतिबंधित ''प्राइज चिट'' से उसके कामकाज को अलग करना है।
- चिट का ड्रॉ कराने के लिए कम से कम दो ग्राहकों की जरूरत को बरकरार रखते हुए और कार्यवाही अधिकृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए, चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018 में यह इजाजत देने का प्रस्ताव है कि वीडियो कॉफ्रेंसिंग

के जरिए कम से कम दो ग्राहक शामिल हों, जिसकी रिकॉर्डिंग चिट के अंतिम चरणों की दिशा में ग्राहकों की मौजूदगी के रूप में फोरमैन द्वारा की जाए। फोरमैन के पास कार्यवाही की अधिकृत रिपोर्ट होगी, जिस पर कार्यवाही के दो दिन के अंदर ऐसे ग्राहकों के हस्ताक्षर होंगे।

- फोरमैन के कमीशन की अंतिम सीमा अधिकतम 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत करना, क्योंकि कानून के लागू होने तक दर अपरिवर्तनीय है, जबकि ऊपरी खर्चों और अन्य खर्चों में कई गुना वृद्धि हुई है।
- फोरमैन को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह ग्राहकों से बकाये की राशि ले ताकि उन ग्राहकों के लिए चिट कंपनी द्वारा मुआवजे की इजाजत दी जा सके, जिन्होंने पहले से ही धनराशि निकाल ली है ताकि उनके द्वारा धांधली को रोका जा सके, और
- चिट फंड कानून, 1982 के अनुच्छेद 85 (ख) में संशोधन ताकि चिट फंड कानून तैयार करते समय 1982 में निर्धारित सौ रुपये की सीमा को समाप्त किया जा सके, जो अपना महत्व खो चुकी है। राज्य सरकारों को सीलिंग निर्धारित करने और उसमें समय-समय पर वृद्धि करने की इजाजत देने का प्रस्ताव किया गया है।

स्रोत: पीआईबी

महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2016 में परिवर्तनों को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

- 7 फरवरी, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा संसद में लंबित महापत्तनम प्राधिकरण विधेयक, 2016 में सरकारी संशोधनों को शामिल करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई।
- यह संशोधन विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर आधारित है।

महापत्तनम प्राधिकरण विधेयक, 2016 में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं-

1. पत्तन में सेवारत कर्मचारियों में से पत्तन प्राधिकरण बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले श्रम प्रतिनिधियों की संख्या एक से दो तक बढ़ाई गई है।
2. कर्मचारियों का हितैषी प्रतिनिधि सदस्य 3 वर्ष के एक कार्यकाल हेतु पद पर बना रहेगा और सतत दो बार से अधिक अवधि के लिए नहीं होगा।
3. बोर्ड में उसकी सदस्यता उसकी सेवानिवृत्ति के साथ ही समाप्त हो जाएगी।
4. पत्तन प्राधिकरण बोर्ड में स्वतंत्र सदस्यों की संख्या न्यूनतम दो और अधिकतम चार होगी।
5. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति, जो न्यासी बोर्ड से ऐसी किसी तिथि से पूर्व कोई सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहा था, वह बोर्ड से ऐसे लाभ प्राप्त करता रहेगा।
6. प्रत्येक महापत्तनम का बोर्ड किसी विकास अथवा पत्तन सीमाओं के अंतर्गत और उससे संबंधित भूमि पर बनी अवसंरचना और स्थापित की जाने वाली अवसंरचना के संबंध में विशिष्ट मास्टर प्लान निर्मित करने हेतु वैध है और मास्टर प्लान पर किसी स्थानीय अथवा राज्य सरकार के किसी प्राधिकरण, जो भी हों, के विनिमय लागू नहीं होंगे।
7. पीपीपी परियोजनाओं हेतु अधिनियम के लागू होने के पश्चात रियायत प्राप्तकर्त्ता बाजार की शर्तों पर प्रशुल्क निर्धारित करने हेतु स्वतंत्र होगा।
8. आकस्मिक बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों की तैनाती चयन समिति की सिफारिशों पर केंद्र सरकार करती है और केंद्र को इन्हें हटाने का भी अधिकार प्राप्त है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

9. निरस्त और सेविंग के अंतर्गत एक सेविंग फंड रखा गया है जिससे बंबई पत्तन न्यास अधिनियम, 1879 और कोलकाता पत्तन न्यास अधिनियम, 1890 के अंतर्गत संपत्ति के म्युनिसिपल आकलन के संबंध में मुंबई तथा कोलकाता पत्तन द्वारा प्राप्त मौजूदा लाभ जारी रहेगा।

स्रोत: पीआईबी

पारिस्थितिकी और पर्यावरण विश्व आर्द्रभूमि दिवस

चर्चा में क्यों?

- 2 फरवरी, 2018 को संपूर्ण विश्व में 'विश्व आर्द्रभूमि दिवस' (World Wetlands Day) मनाया गया।

मुख्य तथ्य

- वर्ष 2018 में इस दिवस का मुख्य विषय (Theme) ''एक सतत शहरी भविष्य के लिए आर्द्रभूमि'' (Wetlands for a Sustainable urban future) था।
- ज्ञातव्य है कि 2 फरवरी, 1971 को विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय महत्व हेतु आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए 'रामसर कन्वेंशन' पर ईरान के शहर रामसर में हस्ताक्षर हुए थे।
- यह दिवस वर्ष 1997 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है।
- इस दिवस का उद्देश्य आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए जागरूकता लाना एवं इस बारे में सकारात्मक और स्वीकारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करना है।
- उल्लेखनीय है कि रामसर सचिवालय आर्द्रभूमि के महत्व और मूल्यों के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाने संबंधी विभिन्न जानकारियों को उपलब्ध कराता है।
- गौरतलब है कि आर्द्रभूमि प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- इस वर्ष भारत में पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने असम सरकार के वन विभाग के सहयोग से रामसर स्थल दीपोर बील में राष्ट्रीय स्तरीय 'विश्व आर्द्रभूमि दिवस' का आयोजन किया।

स्रोत: द हिंदू

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बाघ गणना का प्रथम चरण प्रारंभ

चर्चा में क्यों?

- 5 फरवरी, 2018 को मध्य प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में राष्ट्रीय बाघ आकलन का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ।

मुख्य तथ्य

- इस चरण में मांसाहारी बाघ, तेंदुआ आदि वन्य प्राणियों के पद चिह्न और शाकाहारी प्राणियों की प्रत्यक्ष गिनती की जाएगी।
- इसके अलावा वन्य प्राणियों के आवास, आहार उपलब्धता और पेड़-पौधों आदि का भी अध्ययन किया जाएगा।
- इस गणना में वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ विभिन्न राज्यों से आए हुए वॉलेन्टियर भी भागीदारी कर रहे हैं।
- यह गणना 5 फरवरी, 2018 से 26 मार्च, 2018 तक चार चरणों में पूर्ण होगी।
- राष्ट्रीय बाघ आकलन में गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के स्वयंसेवक और विषय-विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- स्वयंसेवकों में युवा वर्ग के साथ महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं जिन्हें गणना के पूर्व प्रशिक्षित किया गया है।
- जन-सामान्य की वन्य प्राणी प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करने, एकत्रित आंकड़ों की गुणवत्ता बढ़ाने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से स्वयंसेवकों को इस गणना में शामिल करने का निर्णय किया गया है।

स्रोत: द हिंदू

गोवा के नवेलिन में साल नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु नई परियोजना को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने 04 फरवरी 2018 को गोवा के नवेलिन शहर में साल नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नई परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना को मंजूरी राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दी।

परियोजना की मुख्य विशेषताएं:

- इस परियोजना की लागत 61.74 करोड़ रुपये होगी. केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों 60:40 के अनुपात के आधार पर लागत साझा करेंगे.
- इस परियोजना के तहत, लगभग 32 किमी लंबाई की सीवर डाली जाएगी एवं 3 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) का सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण किया जाएगा.
- इस परियोजना को जनवरी 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना:

- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) नदियों के प्रदूषण को रोकने और पानी की गुणवत्ता में सुधार करना है. एनआरसीपी के तहत फिलहाल बीस राज्यों में फैले 191 नगरों के 41 नदियों को शामिल किया गया है, जिसके लिए 8847.22 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई।
- इस योजना के तहत प्रदूषण हटाने से संबंधित कई योजना चलाई गई है, जिनमें कच्चे नालों का अवरोधन और घुमाव, सीवेज शोधन संयंत्र की स्थापना, कम लागत वाले स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण, बिजली या लकड़ी के विकसित शवदाह गृह तथा नदी के अग्र भाग का विकास शामिल है।
- एनआरसीपी के तहत मंत्रालय ने 1031.18 करोड़ रूपये की लागत से 14 राज्यों में 61 झीलों के संरक्षण परियोजनाओं को स्वीकृति दी है।
- इस परियोजना से नदी में प्रदूषण के बोझ को कम करने एवं इसकी जल गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, शहर के पर्यावरण एवं स्वच्छता में सुधार लाने में भी सहायता मिलेगी।

स्रोत: द हिंदू

भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2017

चर्चा में क्यों?

- 12 फरवरी, 2018 को केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने '15वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट' (India State of Forest Report IFR 2017) जारी की।

मुख्य तथ्य

- इस रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व के शीर्ष दस देशों ने शामिल है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- भारत के भू-भाग का 24.4 प्रतिशत हिस्सा वनों और पेड़ों से घिरा है, हालांकि यह विश्व के कुल भू-भाग का केवल 2.4 प्रतिशत हिस्सा है।
- संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, भारत को विश्व के उन 10 देशों में 8वां स्थान दिया गया है जहां वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज हुई है।
- ISFR- 2017 के अनुसार, देश में वन और वृक्षावरण की स्थिति में वर्ष 2015 की तुलना में 8021 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि 1.14 प्रतिशत की है।
- इसमें 6,778 वर्ग किमी. की वृद्धि वन क्षेत्रों में हुई है, जबकि वृक्षावरण क्षेत्र में 1,243 वर्ग किमी. की वृद्धि दर्ज की गई है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण (Forest and Tree Cover) 8, 02,088 वर्ग किमी. है जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.39 प्रतिशत है।
- देश में कुल वनावरण 7, 08,273 वर्ग किमी. है जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.54 प्रतिशत है।
- देश में सघन वन में 1.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- गौरतलब है कि अत्यंत सघन वन, वातावरण से सबसे अधिक कॉर्बन डाई ऑक्साइड अवशोषित करते हैं।
- जैव विविधता से समृद्ध कच्छ या मैंग्रोव वनों में भी 181 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है।
- इसके अनुसार, देश का कुल बांस धारित क्षेत्र 15.69 मिलियन हेक्टेयर का है।
- वर्ष 2011 की तुलना में देश के बांस धारित क्षेत्र में 1.73 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।
- गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में बांस को वृक्ष की श्रेणी से बाहर करने संबंधी बिल प्रस्तुत किया है।
- बांस के वृक्ष की श्रेणी से बाहर हो जाने पर लोग अपनी निजी भूमि में बांस उगाने के लिए प्रेरित होंगे।
- ISFR- 2015 के अनुसार, भारत में मैंग्रोव आवरण विश्व की संपूर्ण मैंग्रोव वनस्पति का लगभग 3.3 प्रतिशत है जो कि देश के 4921 किमी. क्षेत्र में फैला हुआ है जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15 प्रतिशत है।
- इसमें अति सघन मैंग्रोव 1481 वर्ग किमी. (कुल मैंग्रोव क्षेत्र का 30.10 प्रतिशत), मध्यम सघन मैंग्रोव 1480 वर्ग किमी. (कुल मैंग्रोव क्षेत्र का 30.77 प्रतिशत), जबकि ओपन मैंग्रोव 1960 वर्ग किमी. (39.83 प्रातिशत), क्षेत्र में फैले हुए हैं।
- भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित चार राज्य/संघीय क्षेत्र क्रमशः पश्चिम बंगाल (2,114 वर्ग किमी.), गुजरात (1,140 वर्ग किमी.), अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (617 वर्ग किमी.) तथा आंध्र प्रदेश (404 वर्ग किमी.) हैं।
- जबकि चार सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिले क्रमशः दक्षिण 24 परगना-पश्चिम बंगाल (2084 वर्ग किमी.), कच्छ-गुजरात (798 वर्ग किमी.), उत्तरी-अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (425 वर्ग किमी.) तथा केंद्रपाड़ा-ओड़िशा (197 वर्ग किमी.) हैं।
- सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 3 राज्य/संघीय क्षेत्र क्रमशः लक्षद्वीप (90.33 प्रतिशत), मिजोरम (86.27 प्रतिशत) तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (81.73 प्रतिशत) हैं।
- ISFR- 2017 के अनुसार, आंध्र प्रदेश में वनावरण में 2141 वर्ग किमी. की सर्वाधिक वृद्धि हुई।
- इसके बाद कर्नाटक 1101 वर्ग किमी. और केरल 1043 वर्ग किमी. वृद्धि के साथ दूसरे व तीसरे स्थान पर रहा।
- वनावरण वृद्धि में सर्वाधिक कमी वाले 3 राज्य/संघीय क्षेत्र क्रमशः मिजोरम (-531 वर्ग किमी.), नगालैंड (-450 वर्ग किमी.) तथा

अरुणाचल प्रदेश (-190 वर्ग किमी.) है।

- IFSR- 2017 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश (77,414 वर्ग किमी.), अरुणाचल प्रदेश (66,964 वर्ग किमी.) तथा छत्तीसगढ़ (55,347 वर्ग किमी.) हैं।
- इसके अनुसार, देश के 15 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का 33 प्रतिशत भू-भाग वनों से घिरा है।
- इनमें से 7 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों जैसे लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरूणाचल प्रदेश, नगालैंड, मेघालय और मणिपुर का 75 प्रतिशत से अधिक भू-भाग वनाच्छादित है।
- जबकि त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम, केरल, उत्तराखंड, दादर नागर हवेली, छत्तीसगढ़ और असम का 33 से 75 प्रतिशत के बीच का भू-भाग वनों से घिरा है।
- देश का 40 प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र 10 हजार वर्ग किमी. या इससे अधिक के 9 बड़े क्षेत्रों के रूप में मौजूद है।
- गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण 2, 40,928 वर्ग किमी. है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 7. 33 प्रतिशत है।
- ज्ञातव्य है कि देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) द्वारा प्रत्येक दो वर्ष पर सुदूर संवेदन (Remote Sensing) आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश में वनों एवं वृक्षों की स्थिति पर 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट' जारी की जाती है।

स्रोत: द हिंदू

विश्व सतत विकास सम्मेलन, 2018

चर्चा में क्यों?

- 15-17 फरवरी, 2018 के मध्य 'विश्व सतत विकास सम्मेलन' (World Sustainable Development Summit WSDS) 2018 नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है।

मुख्य तथ्य

- 16 फरवरी, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया।
- इस तीन दिवसीय सम्मेलन का मुख्य विषय (Theme)- "Partnership for a Resilient Planet" है।
- उल्लेखनीय है कि डब्ल्यूएसडीएस, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (TERI) का प्रमुख मंच है जो टिकाऊ विकास, ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्र से जुड़े वैश्विक नेताओं और विचारकों को एक साथ लाने का प्रयास करता है।
- डब्ल्यूएसडीएस-2018 जलवायु परिवर्तन की पृष्ठभूमि में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष मौजूद कुछ सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक 'एक्शन फ्रेमवर्क' बनाने का प्रयास करता है।
- विश्व भर के नीति निर्माताओं शोधकर्ताओं, विचारकों, राजनयिकों और कंपनियों सहित 2000 से अधिक प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

मिनामाता समझौते की पुष्टि

चर्चा में क्यों?

- 7 फरवरी, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारे पर मिनामाता समझौते की पुष्टि को मंजूरी प्रदान की गई।
- इस मंजूरी के तहत पारा आधारित उत्पादों और पारा यौगिक संबंधी प्रक्रियाओं के संबंध में वर्ष 2025 तक की अवधि निर्धारित की गई है।
- पारे पर मिनामाता समझौता एक सतत विकास के संबंध में कार्यान्वित किया जाएगा।
- जिसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे में तथा पारे के यौगिकों के उत्सर्जन से सुरक्षा प्रदान करना है।
- पारे पर मिनामाता समझौते से उपक्रमों को प्रेरणा मिलेगी कि वे पारा-मुक्त विकल्पों को अपनाएं और अपनी निर्माण प्रक्रियाओं में पारा मुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करें।
- इससे अनुसंधान एवं विकास में तीव्रता के साथ ही नवाचार को प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

मिनामाता समझौता

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Program UNEP) ने पारे का इस्तेमाल खत्म करने के लिए जापान के कुमामोटो के मीनामता (Minamata Convention in Kumamoto, Japan) में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 10 अक्टूबर, 2013 को आयोजित किया। इस सम्मेलन में विश्व के 140 देशों ने भाग लिया। पारे पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा आयोजित इस तरह का यह पहला सम्मेलन है।
- सम्मेलन में प्रतिनिधियों द्वारा इस बेहद जहरीली धातु पारे के लिए पहली बार दुनिया में कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते पर दस्तखत किए।
- पारे पर मीनामता सम्मेलन (Minamata Convention on Mercury) का मुख्य उद्देश्य पारे एवं पारे के अन्य यौगिकों के उत्सर्जन से होने नुक्सान से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है।
- इस सम्मेलन में वर्ष 2020 तक, पारा वर्धित उत्पादों के निर्माण, पारे का आयात या निर्यात, एवं पारे की अन्य बहुत सी चीजों को धीरे-धीरे खत्म करने की बात कही गई. इसमें पारे वाला थर्मामीटर भी है. सरकारों को पारे का खनन रोकने के लिए 15 वर्ष का समय दिया गया।

मीनामता सम्मेलन निम्नलिखित क्षेत्रों को नियंत्रित करने का प्रावधान करता है:

- पारा के वैश्विक खनन और व्यापार
- पारा वर्धित उत्पादों का विनिर्माण,
- उत्पादों और औद्योगिक प्रक्रियाओं में पारा का उपयोग
- आर्टिसेनल (Artisanal) और छोटे पैमाने पर सोने के खनन से उत्सर्जन को कम करने के लिए उठाए जाने वाले उपाय
- वातावरण में पारा और परे के योगिकों के उत्सर्जन के स्रोत
- कोयला आधारित बिजली संयंत्र
- कोयला आधारित औद्योगिक बॉयलर
- अलौह धातुओं के प्रगलन और उत्पादन में प्रयुक्त प्रक्रिया
- सीमेंट क्लिंकर उत्पाद

यह सम्मेलन मिनामाता में ही क्यों?

- मिनामाता कन्वेंशन ऑन मरकरी को यह नाम जापान के उस शहर से मिला है जहां लोग इस जहरीली धातु की चपेट में आए।

पारे से होने वाली हानियां

- पारा शिशुओं के विकास पर प्रभाव डालता है।
- शिशुओं की वृद्धि रूक सकती है और दिमाग पर असर होता है।
- ब्लड प्रेशर में इजाफा, हार्ट बीट भी बढ़ जाती है।
- सुनने और देखने में परेशानी।
- उल्टी की समस्या हो सकती है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूनाईटेड नेशंस एन्वायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP) संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है. इसकी स्थापना जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणामस्वरूप की गई थी. इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है. इसके साथ ही इसके छः अन्य देशों में भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

स्रोत: द हिंदू

केंद्र सरकार ने फ्लाई ऐश के बेहतर प्रबंधन के लिए ऐश ट्रैक मोबाइल ऐप लांच किया

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय विद्युत नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर के सिंह ने 09 फरवरी, 2018 को एक वेब आधारित निगरानी प्रणाली तथा फ्लाई ऐश मोबाइल ऐप ऐश ट्रैक लांच किया।

मुख्य तथ्य

- यह प्लेटफार्म ताप बिजली संयंत्रों द्वारा उत्पादित ऐश के बेहतर प्रबंधन में सहायक होगा क्योंकि यह फ्लाई ऐश उत्पादकों (ताप बिजली संयंत्र) तथा सड़क ठेकेदारों, सीमेंट संयंत्रों जैसे संभावित उपयोगकर्ता के बीच सेतु का काम करेगा।
- फ्लाई ऐश का उचित प्रबंधन न केवल पर्यावरण के लिए महत्त्वपूर्ण है बल्कि हमारे लिए भी क्योंकि बिजली संयंत्रों द्वारा उत्पादित ऐश जमीन का बड़ा हिस्सा घेरता है।
- वर्तमान में, 63 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है और यह उपयोग बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। इसके लिए सड़क ठेकेदारों तथा निर्माण इंजीनियरों को निर्माण कार्य में फ्लाई ऐश के इस्तेमाल के लाभों के बारे में जानना होगा।

ऐश ट्रैक मोबाइल ऐप की मुख्य विशेषताएं:

- एनड्रॉएड ओएस के लिए गूगल प्ले स्टोर से तथा एप्पल आईओएस के लिए ऐप स्टोर से यूजर ऐश ट्रैक मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
- यह ऐप एक निश्चित स्थान से 100 किलोमीटर तथा 300 किलोमीटर के दायरे में स्थापित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को दिखाता है।

- यूजर जहां से फ्लाई ऐश लेना चाहता है उस पावर स्टेशन का चयन कर सकता है।
- ऐश उपलब्धता, यूजर के स्थान से दूरी, सम्पर्क व्यक्ति के ब्योरे प्रदर्शित होंगे।
- यूजर ऐश आबंटन के लिए ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं।
- एसएमएस फौरन आवेदन तथा संबंधित बिजली संयंत्रों को भेजा जाएगा।
- ऐप से बिजली संयंत्र से 100 किलोमीटर और 300 किलोमीटर के दायरे में संभावित ग्राहको को दिखाता है।
- बिजली स्टेशन बिजली संयंत्र के आस-पास के संभावित ऐश उपयोगकर्ताओं जैसे सीमेंट संयंत्र, एनएचएआई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) परियोजनाए ईट निर्माता आदि को दिखा सकते है।
- बिजली संयंत्र ऐश सप्लाई के लिए संभावित ऐश उपयोगकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं।
- यह ऐप देश में संयंत्रवार, उपयोगिता के अनुसार तथा राज्यवार ऐश उपयोग की स्थिति प्रदान करता है।

फ्लाई ऐश:

फ्लाई ऐश कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में बिजली उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान प्रज्जवलन का अंतिम उत्पाद होता है। यह निर्माण उद्योग के कार्यों में संसाधन सामग्री के रूप में काम आता है और फिलहाल इसका इस्तेमाल पोर्टलैंड सीमेंट बना ब्रिक्स/ब्लाक/टाइल्स निर्माण सड़क तटबंध निर्माण और निचले क्षेत्रों के विकास कार्यों में किया जा रहा है।

स्रोत: द हिंदू

अटल भूजल योजना

चर्चा में क्यों?

- अप्रैल, 2018 से केंद्र सरकार द्वारा देश में भूजल का संरक्षण तथा इसका स्तर बढ़ाने हेतु महत्वाकांक्षी 'अटल भूजल योजना' शुरू करना प्रस्तावित है।

मुख्य तथ्य

- इस योजना हेतु 6000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- यह जानकारी जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदान की।
- इस योजना में विश्व बैंक और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50:50 प्रतिशत होगी।
- यह योजना गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जल की कमी वाले क्षेत्रों हेतु प्रस्तावित है।
- इस योजना के अंतर्गत इन प्रदेशों के 78 जिलों, 193 ब्लॉकों और 8350 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है।
- केंद्रीय भूजल बोर्ड की विगत वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार देश के 6584 भूजल ब्लॉकों में से 1034 ब्लॉकों का अत्यधिक उपयोग हुआ है।
- सामान्यत: इसे 'डार्क जोन' (पानी के संकट की स्थिति) कहा जाता है।

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

विश्व पर्यावरण दिवस, 2018 की मेजबानी

चर्चा में क्यों?

19 फरवरी, 2018 को केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के प्रमुख एरिक सोल्हिम ने बताया कि भारत विश्व पर्यावरण दिवस, 2018 की मेजबानी करेगा।

मुख्य तथ्य

- वर्ष 2018 में इस दिवस का मुख्य विषय (Theme) ''बीट प्लॉस्टिक पॉल्युशन'' (Beat Plastic Pollution) होगा।
- पर्यावरण दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष 5 जून को होता है।
- कनाडा ने वर्ष 2017 में इसका आयोजन किया था।

विश्व पर्यावरण दिवस

- विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकृति को समर्पित दुनियाभर में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा उत्सव है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर सन् 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम (स्वीडन) में विश्व भर के देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 119 देशों ने भाग लिया और पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत मान्य किया।
- इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) का जन्म हुआ तथा प्रति वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस आयोजित करके नागरिकों को प्रदूषण की समस्या से अवगत कराने का निश्चय किया गया। तथा इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाते हुए राजनीतिक चेतना जागृत करना और आम जनता को प्रेरित करना था।
- उक्त गोष्ठी में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति एवं उसका विश्व के भविष्य पर प्रभाव विषय पर व्याख्यान दिया था। पर्यावरण-सुरक्षा की दिशा में यह भारत का प्रारंभिक कदम था। तभी से हम प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते आ रहे हैं।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। उसके जल, वायु, भूमि-इन तीनों से संबंधित कारक तथा मानव, पौधों, सूक्ष्म जीव, अन्य जीवित पदार्थ आदि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा, और स्वास्थ्य

दूरसंचार विभाग एवं आईआईटी चेन्नई में समझौता

चर्चा में क्यों?

1 फरवरी, 2018 को वित्त मंत्रालय द्वारा डॉट एवं आईआईटी चेन्नई में टाई-अप की घोषणा की गई।

मुख्य तथ्य

- घोषणानुसार दूरसंचार विभाग (डॉट) आईआईटी चेन्नई के साथ साझेदारी में एक 5 जी विकास केंद्र की स्थापना करेगा।
- ध्यातव्य है कि 5 जी प्रौद्योगिकी को अभी भी वैश्विक स्तर पर मानकीकृत किया जा रहा है और भारत को इस तकनीक के विकास में मुख्य भूमिका निभाने का अवसर मिला है।
- 5 जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मशीन-टू-मशीन इंटरनेट जैसे एप्लीकेशनों को सक्षम बनाएगा।
- ध्यातव्य है कि '5 जी फॉर इंडिया' कार्यक्रम के तहत शैक्षणिक संस्थाओं में 5जी प्रौद्योगिकी में पहले से ही कार्यवाही शुरू हो चुकी है।
- इस प्रयोजन हेतु 'एरिकसन' और आईआईटी दिल्ली ने पहले से ही एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया हुआ है।
- एरिक्सन, 5 जी टेस्ट बेड व 'इनक्यूबेशन सेंटर' युक्त एक उत्कृष्टता केंद्र (Center of Excellence) की स्थापना आईआईटी दिल्ली में करेगा।
- इस सुविधा (उत्कृष्टता केंद्र) का उपयोग देश में 5 जी तंत्र को विकसित करने में किया जाएगा।

5जी तकनीक

- 5जी तकनीक की शुरुआत साल 2010 में हुई। इसे मोबाइल नेटवर्क का पांचवी पीढ़ी कहा जाता है।
- यह वायरलेस बर्ल्ड वाइड वेब (मोबाइल इंटरनेट) को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस तकनीक में बड़े पैमाने पर डेटा का आदान-प्रदान किया जा सकता है।
- इसमें एचडी क्वालिटी का वीडियो के साथ मल्टीमीडिया न्यूजपेपर प्रसारित की जा सकती है। साथ ही इस तकनीक से वीडियो कॉलिंग के क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी।
- इस तकनीक में अल्ट्रा हाइ डेफिनिशन क्वालिटी की आवाज का प्रसारण किया जा सकता है। इस तकनीक में 1 जीवीपीएस से अधिक स्पीड से डेटा की आवाजाही हो सकती है, हालांकि अभी तक इसकी अधिकतम स्पीड डिफाइन नहीं की गई है, क्योंकि अभी यह कांसेप्ट के दौर में है और इस पर काम चल रहा है।
- इस तकनीक की सबसे बड़ी खूबी रियल टाइम में बड़े से बड़े डेटा का आदान-प्रदान होगा। साथ ही यह तकनीक संवर्धित वास्तविकता (Augmented Reality) के क्षेत्र में नया रास्ता खोलेगी, यानि इसके माध्यम से फोन कॉल पर आप बिल्कुल आमने-सामने बात कर पाने में सक्षम होंगे।

स्रोत: हिंदू ,विकिपीडिया

एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGM) 'नाग' का सफल परीक्षण

चर्चा में क्यों?

- 28 फरवरी, 2018 को भारत ने स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGM) 'नाग' का सफल परीक्षण किया।

मुख्य तथ्य

- यह परीक्षण राजस्थान के मरुस्थल में अलग-अलग रेंज और समय में दो टैंकों पर सफलतापूर्वक किया गया।
- इसके साथ ही मिसाइल के विकासशील परीक्षण पूरे हो गए हैं।
- अब यह तैनात किए जाने के लिए तैयार है।
- यह 'दागो और भूल जाओ' श्रेणी की तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है जो कि एडवांस्ड इमेजिंग इंफ्रारेड रडार से लैस है।
- यह उन पांच मिसाइल प्रणालियों में से एक है, जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) के तहत विकसित की गई है।
- इस कार्यक्रम के तहत विकसित अन्य चार मिसाइलें क्रमशः 'अग्नि', 'आकाश', 'त्रिशूल' और 'पृथ्वी' हैं।

एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (आईजीएमडीपी)

- पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नागः भारत ने इन पांच मिसाइलों को विकसित करने के लिए 1983 में आईजीएमडीपी शुरू किया।

1. पृथ्वी

- पृथ्वी डीआरडीओ द्वारा विकसित एक सामरिक कम दूरी की सतह-से-सतह बैलिस्टिक मिसाइल (SRBM) है।

- यह एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (आईजीएमडीपी) के द्वारा उत्पादित भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित बैलिस्टिक मिसाइल थी।

पृथ्वी- I

- इसकी 1,000 किलो के पेलोड के साथ 150 किमी तक की रेंज है।

पृथ्वी-II

- इसकी 500 किलोग्राम के पेलोड के साथ 250 किमी तक की रेंज है।

पृथ्वी- III

- इसकी 1000 किलो के पेलोड के साथ 350km किमी तक की रेंज है।

2. धनुष

- यह पृथ्वी का एक नौसैनिक संस्करण है जो जहाज से दागा जा सकता है।
- पृथ्वी भारतीय सेना में शामिल पहली मिसाइल थी।

3. अग्नि

- मिसाइलों की अग्नि श्रृंखला को डीआरडीओ के एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

अग्नि परिवार की सभी मिसाइलें सतह से सतह बैलिस्टिक मिसाइल हैं।

अग्नि- I

- यह एक मध्यवर्ती या कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है।

- यह परंपरागत और परमाणु हथियार ले जा सकती है। मिसाइल 1,000kg तक का पारंपरिक पेलोड या एक परमाणु बम ले जा सकती है। इसकी सीमा 700-800km है।

अग्नि- II

- यह एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है।
- यह परंपरागत और परमाणु हथियार ले जा सकता है।
- इसकी सीमा 2,000 किमी से अधिक है।

अग्नि- III

- यह एक मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है
- यह दुनिया में सबसे सटीक सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक मानी जाती है।
- यह परंपरागत और परमाणु हथियार ले जा सकती है।
- यह 2500km की सीमा तक 2,490Kg का कुल पेलोड ले जा सकती है।

अग्नि- IV

- यह मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है
- अग्नि-चतुर्थ दो चरण परमाणु सक्षम मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है।
- यह 800 किलो का पेलोड ले जा सकती है। मिसाइल की अधिकतम सीमा 3500km है।

अग्नि- V

- यह भारत की पहली अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है।
- यह 5000 किलोमीटर से अधिक की रेंज को कवर कर सकती है।
- यह एक परमाणु बम ले जा सकती है।
- भौगोलिक दृष्टि से, मिसाइल पूर्व में चीन से पश्चिम में यूरोप तक की रेंज तय करती है।
- यह कम से कम परमाणु हथियार की 1000 किलोग्राम मात्रा ले जा सकती है।
- डीआरडीओ ने एक से अधिक मौकों पर अग्नि V का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।
- वर्तमान में केवल रूस, चीन, अमेरिका और फ्रांस एक अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को संचालित करने की क्षमता रखते हैं।

अग्नि- VI

- **अग्नि- VI** भारतीय सशस्त्र बलों के इस्तेमाल के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित की जा रही एक अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है।

- यह 8,000–12,000 से अधिक किलोमीटर की रेंज को कवर कर सकती है।

- यह एक परमाणु बम और पारंपरिक हथियार ले जा सकती है। यह 3000 किलो तक का पेलोड ले जा सकती है।
- यह डीआरडीओ द्वारा विकसित की जा रही है।

4. आकाश

- यह 30 किमी से अधिक की रेंज वाली एक मध्यम दूरी की सतह–से–हवा में मिसाइल है।
- पूरी तरह से स्वायत्त मोड में काम करते हुए हवा में कई लक्ष्य साध सकती है।

- यह मानवरहित विमान, लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल और हेलीकाप्टरों से शुरू मिसाइलों के रूप में कई लक्ष्य साध सकती है।
- यह 60 किग्रा. वजन तक के पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जा सकती है।
- मिसाइल के दो संस्करण भारतीय वायु सेना (आईएएफ) और भारतीय थलसेना (आइए) के लिए बनाये जा रहे हैं।
- मिसाइल औपचारिक रूप से जुलाई 2015 में भारतीय वायुसेना में शामिल की गयी।

5. त्रिशूल

- त्रिशूल एक त्वरित प्रतिक्रिया वाली सतह से हवा में बैलिस्टिक मिसाइल है।
- इसकी 9 किलोमीटर से अधिक की रेंज है। यह निचले स्तर के हमलों में एक बहुत ही त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए बनायी गयी है।

- इसका इस्तेमाल निचले स्तर पर दुश्मन मिसाइल के हमले से जलजहाज द्वारा सुरक्षा के लिए भी किया जा सकता है।

6. नाग

- यह एक तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (AGTM) है।
- यह पहचान करने और लक्ष्यों को साधित करने के लिए उन्नत गर्मी साधक प्रौद्योगिकी की मदद लेती है। इसकी रेंज 4 किमी है।

NAMICA

- NAMICA नाग मिसाइल कैरियर का संक्षिप्त रूप है। यह 12 मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है जिसमे से 8 दागने के लिए तैयार होती हैं।

7. सागरिका/K-15

- यह सामरिक पनडुब्बी–से–सतह बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसकी 700 किलोमीटर की रेंज है।

- यह परमाणु और पारंपरिक दोनों हथियार ले जा सकती है।
- यह पानी के नीचे की श्रेणी में भारत की पहली मिसाइल है। इस मिसाइल के साथ भारत ने पानी, हवा (आकाश, अस्त्र) और भूमि (अग्नि, पृथ्वी) से हमला करने की क्षमता पा ली।

8. शौर्य

- यह एक सतह–से–सतह की हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो ध्वनि की तुलना में 7–8 गुना तेजी से आक्रमण करती है। इसकी 700 किलोमीटर की रेंज है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- यह परंपरागत और परमाणु दोनों हथियार ले जा सकती है।
- यह सागरिका/K-15 काभौमिक संस्करण है।
- इसका एक से अधिक मौकों पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है और सेना और नौसेना दोनों में शामिल किया जा रहा है।

9. निर्भय

- यह देश में ही विकसित की गयी एक क्रूज मिसाइल है। इसकी 1000 किलोमीटर तक की रेंज है।

- यह परमाणु और पारंपरिक आयुध दोनों ले जा सकती है।

10 ब्रह्मोस

- यह संयुक्त रूप से भारत और रूस द्वारा विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।

- यह जमीन, हवा और समुद्र से शुरू की जा सकने वाली एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी 295 किलोमीटर की रेंज है।
- यह परमाणु हथियार नहीं ले जा सकती।

11. हल्का लड़ाकू विमान-तेजस

- यह एकल सीट, एकल इंजन, हल्का और उच्च चपलता वाला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है।

- यह परिचालन मंजूरी के लिए उड़ान परीक्षणों के दौर से गुजर रहा है।
- जनवरी 2015 तक यह 2,800 से अधिक परीक्षण उड़ानें 1.4 डंबी की गति से भर चुका है।
- भारतीय रक्षा विभाग के वैमानिकी विकास एजेंसी (एडीए) के साथ हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस के डिजाइन और विकास पर काम कर रहा है।
- तेजस के उत्पादन विमान की पहली उड़ान अप्रैल 2007 में भरी गयी।

12. अस्त्र मिसाइल

- यह दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में स्वदेशी रूप से विकसित की गयी मिसाइल है।

- अस्त्र मिसाइल का एक से अधिक अवसरों पर सफलतापूर्वक एसयू-30 एमकेआई लड़ाकू जेट से परीक्षण किया गया।
- यह कई लक्ष्यों को एक साथ साध सकती है।
- अस्त्र की अधिकतम सीमा हेड-ओन-चेस में 110 किमी और टेल-चेस में 20 किमी है।

13. अर्जुन

- यह स्वदेश में डीआरडीओ द्वारा विकसित मुख्य युद्धक टैंक है। यह रूस द्वारा बने टी -90 टैंकों को बदलने के लिए विकसित किये गए हैं।

- हालांकि, अर्जुन को अपने बेड़े में लेने में तकनीकी खामियों के कारण देरी का सामना करना पड़ा। इन मुद्दों को हल करने के लिए, डीआरडीओ द्वारा उन्नत संस्करण के अर्जुन एमके द्वितीय पर काम शुरू कर दिया गया है।

14. पिनाका

- यह मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली है। यह अपने मंच से कई रॉकेट लॉन्च कर सकती है। यह 30 किलोमीटर से परे पर्वतमाला में मौजूदा तोपों की मदद करने के लिए विकसित की गयी है। यह त्वरित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है।

स्रोत: द हिंदू

'एचआईवी/एड्स से पीड़ित लोगों (PLHIV) के लिए 'वायरल लोड टेस्ट' का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

- 26 फरवरी, 2018 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 'एचआईवी/एड्स से पीड़ित लोगों (PLHIV) के लिए वायरल लोड टेस्ट' का शुभारंभ किया।

मुख्य तथ्य

- इस पहल से देश में इलाज करा रहे 12 लाख PLHIV का नि:शुल्क वायरल लोड टेस्ट वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य कराया जा सकेगा।
- 'सभी का इलाज' (Treat All) के बाद वायरल लोड टेस्ट एचआईवी से पीड़ित लोगों के इलाज एवं निगरानी की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 में भारत ने एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) उपचार प्रोटोकॉल को संशोधित किया था।
- ताकि एआरटी वाले समस्त पीएलएचआईवी के लिए 'ट्रीट ऑल' का शुभारंभ हो सके।
- वर्तमान में लगभग 12 लाख पीएलएचआईवी 530 से भी अधिक एआरटी केंद्रों में मुफ्त उपचार का लाभ उठा रहे हैं।

स्रोत: पीआईबी

गरुड़ शक्ति-2018

चर्चा में क्यों?

- 20 फरवरी से 4 मार्च, 2018 के मध्य भारत एवं इंडोनेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति-2018 इंडोनेशिया के पश्चिमी प्रांत जावा की राजधानी बांडुग में आयोजित किया जा रहा है।

मुख्य तथ्य

- यह इस अभ्यास का छठवां संस्करण है।
- गौरतलब है कि इस अभ्यास के पांचवें संस्करण का आयोजन भारत में किया गया था।
- इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सकारात्मक सैन्य संबंधों का निर्माण करना और बढ़ाना है।
- साथ ही संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य एक-दूसरे के सैन्य अनुभव, कौशल और तकनीकी के ज्ञान को बढ़ावा देना है।
- ज्ञातव्य है कि दोनों देशों के बीच सैन्य कूटनीति के एक हिस्से के तौर पर बारी-बारी से संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरुड़ शक्ति' का आयोजन वर्ष 2012 से किया जाता रहा है।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

धनुष बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण

चर्चा में क्यों?

- 23 फरवरी, 2018 को भारत ने ओडिशा तट के निकट एक नौसैनिक पोत से परमाणु सक्षम धनुष बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।

मुख्य तथ्य

- यह परीक्षण सेना के सामरिक बल कमान (SFC) द्वारा नियमित प्रयोक्ता परीक्षण के तहत किया गया।
- धनुष सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है।
- इसकी मारक क्षमता 350 किमी. है।
- उल्लेखनीय है कि धनुष, सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल का नौसैन्य संस्करण है।
- यह एकल चरणीय, तरल ईंधन से संचालित, पोत आधारित, लघु रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है।
- परीक्षण के दौरान यह मिसाइल वेग, ऊंचाई तथा मार्गदर्शन के सभी मानकों पर खरी उतरी।
- परीक्षण के दौरान पूरे प्रक्षेपण-पथ पर रडार प्रणालियों से निगरानी की गई।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा 'एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम' के तहत विकसित धनुष मिसाइल की लंबाई 8.53 मीटर, व्यास 0.9 मीटर तथा भार 4.4 टन है।
- यह पारंपरिक और नाभिकीय दोनों प्रकार के शस्त्र ले जाने में सक्षम है।
- यह 500 किग्रा. तक का नीतिभार (payload) ले जाने में सक्षम है।
- धनुष एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक प्लेटफार्म (धनुष) तथा एक मिसाइल (Arrow) शामिल होता है।
- इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है।
- इससे पूर्व नवंबर, 2015 में इसका सफल परीक्षण किया गया था।

बैलेस्टिक प्रक्षेपास्त्र क्या है?

तकनीकी दृष्टि से बैलेस्टिक प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल उसे कहते हैं, जिसका प्रक्षेपण पथ सब आर्बिटिल होता है। इसका उपयोग किसी हथियार (प्रायः नाभिकीय अस्त्र) को किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर दागने के लिए किया जाता है। यह मिसाइल अपने प्रक्षेपण के प्रारंभिक चरण में ही केवल गाइड की जाती है, इसके बाद का पथ आर्बिटिल मैकेनिक के सिद्धांतों एवं बैलेस्टिक सिद्धांतों से निर्धारित होता है। अभी तक इन्हें रासायनिक राकेट इंजन द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है।

स्रोतः द हिंदू

टेरेस्ट्रीयल और सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग पर 24वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 'बीईएस एक्सपो-2018'

चर्चा में क्यों?

- 26-28 फरवरी, 2018 के मध्य टेरेस्ट्रीयल और सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग पर 24वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 'बीईएस एक्सपो, 2018' का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है।

मुख्य तथ्य

- इसका उद्घाटन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा वस्त्र मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने किया।
- इस तीन दिवसीय कार्यक्रम का मुख्य विषय (Theme) (Non Linear Broadcasting Technology and Business Models) है।
- 'बीईएस एक्सपो, 2018' ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी (इंडिया) द्वारा आयोजित किया गया है।
- इस एक्सपो को भारत में प्रसारण प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा आयोजन माना जा रहा है।
- 25 देशों की लगभग 300 कंपनियां बीईएस एक्सपो 2018 में सीधे तौर पर या फिर भारत में डीलरों और वितरकों के माध्यम से अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं।
- प्रदर्शनी में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, कनाडा, चीन, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, भारत, इस्राइल, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, सिंगापुर स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ताइवान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका की कंपनियां शामिल हो रही हैं।

स्रोत: द हिंदू

विश्व के सबसे छोटे रॉकेट का प्रक्षेपण

चर्चा में क्यों?

3 फरवरी, 2018 को जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) ने सूक्ष्म उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने में सक्षम विश्व के सबसे छोटे रॉकेट का सफलता पूर्वक प्रक्षेपण किया।

मुख्य तथ्य

- इसे जापान के कागोशिमा प्रांत के यूचीनोरा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया।
- इस सूक्ष्म रॉकेट का नाम एसएस-520 (SS-520) है।
- इस रॉकेट के माध्यम से एक अल्ट्रा सूक्ष्म उपग्रह (13.6 इंच लंबा) ट्राईकोम-1 आर (TRICOM-1R) को पृथ्वी की कक्षा में लांच किया गया। जिसका द्रव्यमान मात्र 7 पाउंड है।
- क्यूबसैट एजेंसी के अनुसार नाममात्र की स्थिति में इसका उपयोग कई कैमरों के माध्यम से पृथ्वी की सतह की छवियों को एकत्रित करने के लिए किया जाएगा।
- इस रॉकेट की ऊंचाई 10 मीटर और व्यास 50 सेमी. है।
- प्रारंभ में एसएस-520 को एक साउंडिंग रॉकेट के रूप में डिजाइन किया गया था।
- यह रॉकेट दूसरी बार लांच किया गया है इससे पूर्व इसे 15 फरवरी, 2017 को लांच किया गया था।

स्रोत: द हिंदू

पृथ्वी-II मिसाइल का सफल रात्रिकालीन परीक्षण

चर्चा में क्यों?

- 21 फरवरी, 2018 को भारत ने ओडिशा के बालासोर जिले के चांदीपुर से स्वदेश निर्मित परमाणु सक्षम पृथ्वी-II मिसाइल का सफल रात्रिकालीन परीक्षण किया।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

मुख्य तथ्य

- **पृथ्वी–II** मिसाइल को चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) के प्रक्षेपण स्थल 3 से मोबाइल लांचर द्वारा दागा गया।
- **पृथ्वी–II** का यह परीक्षण सेना के सामरिक बल कमान (SFC) द्वारा नियमित प्रयोक्ता परीक्षण के तहत किया गया।
- ज्ञातव्य है कि पृथ्वी–II सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है तथा इसकी मारक क्षमता 350 किमी. है।
- इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया।
- इसकी लंबाई लगभग 9 मीटर है तथा यह एकल चरणीय द्रव प्रणोदक चालित मिसाइल है।
- यह 500 से 1000 किग्रा. तक का युद्धशीर्ष (Warhead) ले जाने में सक्षम है।
- सेना के सामरिक बल कमान में पृथ्वी–प्प की तैनाती वर्ष 2003 में हुई थी।

स्रोत: द हिंदू

पृथ्वी–II का सफल परीक्षण

चर्चा में क्यों?

भारत ने स्वदेश निर्मित परमाणु सक्षम पृथ्वी–II गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। (7 फरवरी, 2018)

मुख्य तथ्य

- भारतीय सेना के रणनीतिक बल कमांड (SFC) ने इस मिसाइल का चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR) के लांच कॉम्प्लेक्स–3 से मोबाइल लांचर के माध्यम से परीक्षण किया।
- सतह से सतह पर मार करने वाली इस मध्यम रेंज की मिसाइल की मारक क्षमता 350 किमी. है।
- परीक्षण के दौरान मिसाइल ने मिशन के सभी उद्देश्य पूरे किए।
- 9 मीटर लंबी यह मिसाइल 500–1000 किग्रा. भार तक पारंपरिक तथा परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम तथा इसके दो इंजन तरल ईंधन से चलते हैं।
- एकल चरण वाली पृथ्वी–II मिसाइल को रेल एवं सड़क दोनों प्रकार के मोबाइल लांचर से छोड़ा जा सकता है।
- इस मिसाइल में लिक्विड ईंधन का प्रयोग होता है।
- वर्ष 2003 में भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल एकल–स्तरीय तरल ईंधन वाली पृथ्वी–II पहली मिसाइल है जिसे डीआरडीओ द्वारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईजीएमडीपी) के तहत विकसित किया गया है।

स्रोत: द हिंदू

अग्नि–II का सफल परीक्षण

चर्चा में क्यों?

- 20 फरवरी, 2018 को नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि–II का ओडिशा के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप (व्हीलर द्वीप) से सफल परीक्षण किया गया।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

मुख्य तथ्य

- स्वदेश निर्मित इस मिसाइल को एकीकृत परीक्षण रेंज के प्रक्षेपण परिसर-4 से लांच किया गया।
- अग्नि-II मिसाइल का सफल परीक्षण भारतीय थल सेना की 'सामरिक कमान' (SFC) द्वारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के वैज्ञानिकों के तकनीकी पर्यवेक्षक के अधीन किया गया।
- यह सतह से सतह पर मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है।
- इसकी मारक क्षमता (परास) 2000 किमी. से अधिक है।
- इस मिसाइल के दोनों चरणों में ठोस प्रणोदक ईंधन का प्रयोग किया गया है।
- इसकी लंबाई 20 मीटर तथा वजन 17 टन है।
- यह 1000 किग्रा. वजनी युद्धशीर्ष (Warhead) ले जाने में सक्षम है।
- ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व 4 मई, 2017 को अग्नि-II मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ था।

स्रोत: द हिंदू

अग्नि-1 का सफल परीक्षण

चर्चा में क्यों?

- भारत ने स्वदेश निर्मित अग्नि-1 बैलेस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। (6 फरवरी, 2018)

मुख्य तथ्य

- भारतीय सेना के सामरिक कमांड बल ने इस मिसाइल का सुबह 8:30 बजे बालासोर स्थित अब्दुल कलाम द्वीप (व्हीलर द्वीप) से इंटीग्रेटेड रेंज (ITR) के लांच पैड-4 से परीक्षण किया।
- सतह से सतह पर मार करने वाली इस ठोस इंजन आधारित मिसाइल की मारक क्षमता 700 किमी. है।
- परीक्षण के दौरान मिसाइल ने मिशन के सभी उद्देश्य पूरे किए।
- 15 मीटर लंबी तथा 12 टन वजनी यह मिसाइल 1000 किग्रा. भार के पारंपरिक तथा परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है।
- एकल चरण वाली अग्नि-1 मिसाइल को रेल एवं सड़क दोनों प्रकार के मोबाइल लांचर से छोड़ा जा सकता है।
- इस मिसाइल में लिक्विड और सॉलीड दोनों तरह के ईंधन का प्रयोग हो सकता है।
- वर्ष 2004 में भारतीय सशस्त्र बलों के जखीरे में शामिल अग्नि-1 पहली और एकमात्र ठोस इंजन आधारित मिसाइल है।
- यह अग्नि-1 मिसाइल का 18वां संस्करण है।
- अग्नि-1 को एडवांस्ड सिस्टम्स लैबोरेटरी (ASL) ने रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला (DRDL) और अनुसंधान केंद्र इमारात (RCI) के सहयोग से विकसित किया गया है।
- इस मिसाइल को भारत डायनॉमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद ने समेकित किया है।
- ASL मिसाइल विकसित करने वाली रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की प्रमुख प्रयोगशाला है।
- उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत ने अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- भारत के मिसाइल बेड़े (अग्नि शृंखला) में फिलहाल अग्नि-1, अग्नि-2, अग्नि-3 और अग्नि-4 मिसाइलें हैं।
- इनकी मारक क्षमता क्रमशः 700 किमी. से 3500 किमी. तक है।

स्रोतः द हिंदू

वर्जिन ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार में समझौता

चर्चा में क्यों?

18 फरवरी, 2018 को वर्जिन ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार के बीच मुंबई-पुणे को हाइपरलूप से जोड़ने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।

मुख्य तथ्य

- ज्ञातव्य है कि विगत वर्ष केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टेस्ला को महाराष्ट्र में हाइपरलूप परीक्षण हेतु नियंत्रण दिया था।
- मुंबई और पुणे के बीच की दूरी लगभग 150 किमी. है जिसे हाइपरलूप के शुरू होने से 14-24 मिनट में तय किया जा सकेगा।
- यह हाइपरलूप रूट पूर्णतः इलेक्ट्रिक प्रणाली पर आधारित होगा।
- इस रूट पर अधिकतम गति 1000 किमी. प्रति घंटा होगी।
- पहला हाइपरलूप रूट सेंट्रल पुणे को मेगा पोलिस के साथ-साथ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ेगा।
- संभवतः इसमें प्रति वर्ष 15 करोड़ यात्री सफर कर सकेंगे।

हाइपरलूप

- हाइपरलूप ट्रेन चुंबकीय शक्ति पर आधारित तकनीक है। जिसके अंतर्गत खंभों के ऊपर (एलीवेटेड) पारदर्शी ट्यूब बिछाई जाती है। इसके भीतर बुलेट जैसी शक्ल की लंबी सिंगल बोगी हवा में तैरते हुए चलती है। इसमें घर्षण नहीं होता है इसलिए इसकी गति १२०० किलोमीटर/घंटा से भी अधिक हो सकती है।
- हाइपरलूप को परिवहन का चौथा मोड कहा जा रहा है। यानि जल, थल और वायु मार्ग के बाद अब हाइपरलूप। हाइपरलूप की अवधारणा वैक्यूम के सिद्धांत पर आधारित है। जहां एक पाइपनुमा रास्ते पर किसी सवारी डिब्बे या पॉड को चलाया जाएगा।
- जब इस पाइप से हवा बाहर खींच ली जाएगी और वैक्यूम पैदा कर दिया जाएगा तो उसमें चलने वाले पॉड की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी क्योंकि वहां उसे रोकने के लिए कोई गतिरोध नहीं रहेगा।
- हाइपरलूप अमेरिका में टेस्ला मोटर्स के फाउंडर एलन मस्क के दिमाग की उपज है। मस्क ने 2012 में ये सिद्धांत दुनिया के सामने रखा और इस पर काम करने के लिए सबको आमंत्रित किया। हालांकि आज उनकी ही एक कंपनी स्पेस एक्स इस पर काम भी कर रही है।

स्रोतः लाइव मिन्ट

हॉक-आई फ्लाइट

चर्चा में क्यों?

- 7 फरवरी, 2018 को 'हिन्दुस्तान एयरोनॉटिकल्स लिमिटेड' के द्वारा पहले 'हॉक-आई फ्लाइट' को विकसित किए जाने की उद्घोषणा की गई।

मुख्य तथ्य

- यह 'हॉक-आई फ्लाइट' स्वदेशी RTOS तकनीक पर आधारित है।
- ध्यातव्य है कि 'हॉक-आई' भारत में विकसित पहली स्वदेशी RTOS है।
- इसे 'सैन्य उड़ान योग्यता और प्रमाणन केंद्र' (Center for Military Airworthiness and Certification) द्वारा प्रमाणित किया गया है।
- आरटीओएस (RTOS) वास्तव में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से वास्तविक समय अनुप्रयोग निष्पादन हेतु एक मानक रन-टाइम एन्वॉयरोन्मेंट (वातावरण) प्रदान करता है।
- आरटीओएस (RTOS) कई अनुप्रयोगों (Multiple Application) (Concurrent Execution) के लिए एक प्रमुख तकनीक है।
- यह सर्वोच्च महत्व के आधुनिक एवियॉनिक्स सॉफ्टवेयर (Avionics Software) की बढ़ती जटिलता के लिए हार्डवेयर संसाधनों का इष्टतम (ऑप्टिमल) उपयोग है।
- वर्तमान में भारत में एवियॉनिक सिस्टम विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त व्यावसायिक आरटीओएस का उपयोग कर विकसित किए गए हैं।
- इस प्रौद्योगिकी का आयात बेहत महंगा होता है।
- साथ ही यह नई सुविधाओं (Features) को शामिल करने और नए हार्डवेयर प्लेटफॉर्मों के अनुकूलन में बहुत सीमित लचीलापन प्रदान करता है।
- आयातित आरटीओएस साइबर आक्रमणों के प्रति भी सुभेद्य (Vulnerble) होता है। जिससे कि एवियॉनिक सिस्टम्स की बचाव और सुरक्षा खतरे में पड़ने का डर रहता है।
- एचएएल (HAL) - RTOS को देश की भावी एवियॉनिक सिस्टम विकसित करने हेतु एक मानक रीयल टाइम ऑपेरेटिंग सिस्टम के रूप में विकसित किया जा सकता है।

स्रोत: लाइव मिन्ट

विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट

चर्चा में क्यों?

- 7 फरवरी, 2018 को अमेरिकी कंपनी 'स्पेस एक्स' के द्वारा विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट 'फाल्कन हैवी' (Falcon Heavy) लांच किया गया।

मुख्य तथ्य

- यह मिशन अंतरिक्ष परिदृश्य में स्पेस एक्स कंपनी की एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि अब तक कोई भी इतना शक्तिशाली रॉकेट लांच नहीं हुआ है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- इस मिशन को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान अरबपति कारोबारी और 'स्पेस एक्स' कंपनी के संस्थापक एलन मस्क का है।
- मस्क का सपना मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बसाने का है।
- ध्यातव्य है कि इसके पहले भी मस्क की कंपनी ने रॉकेट लांच करने का असफल प्रयास किया था।
- 'फाल्कन हेवी' को फ्लोरिडा के केप केनवेरल स्थित अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा के जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर से लांच किया गया।
- ये रॉकेट कैनेडी स्पेस सेंटर के उसी LC- 39A प्लेटफॉर्म से लांच किया गया जहां से 'अपोलो मिशन' रवाना हुआ था।
- ध्यातव्य है कि 'अपोलो मिशन' के द्वारा ही चांद पर जाने वाला पहला इंसान अपने सफर पर निकला था।
- 'फाल्कन हैवी' की विशेष बात यह है कि इस रॉकेट के साथ टेस्ला कंपनी की एक स्पोर्ट्स कार भी भेजी गई है।
- यह कार अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचने वाली पहली कार होगी।
- ध्यातव्य है कि इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी 'टेस्ला' के चेयरमैन भी 'एलन मस्क' ही हैं।
- लांचिंग के वक्त 'फाल्कन हैवी' का वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड (पलायन वेग: Escape Velocity) रहा।
- 'फाल्कन हैवी' रॉकेट 70 मीटर लंबा है और अंतरिक्ष की कक्षा में 64 टन वजन स्थापित कर सकता है।
- क्षमता के संदर्भ में 'फाल्कन हेवी' का स्थान 'सैटर्न-ट एयर क्राफ्ट' के बाद दूसरा है।
- ध्यातव्य है कि 60 और 70 के दशक में अपोलो अभियानों के दौरान 'सैटर्न-ट एयर क्राफ्ट' का ही इस्तेमाल किया गया था।

स्रोत: द हिंदू

बंदरगाहों, जलमार्ग और तटों के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र

चर्चा में क्यों?

- 26 फरवरी, 2018 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, शिपिंग एवं जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने आईआईटी चेन्नई में 'बंदरगाहों, जलमार्ग और तटों के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र' (NTCPWC) की आधारशिला रखी।

मुख्य तथ्य

- एनटीसीपीडब्ल्यूसी की स्थापना शिपिंग मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम सागरमाला के तहत की गई है।

उद्देश्य और लाभ

- यह बंदरगाहों, भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण और अन्य संस्थानों के लिए इंजीनियरिंग व तकनीकी जानकारी तथा सहायता प्रदान करने के लिए शिपिंग मंत्रालय की एक तकनीकी शाखा के रूप में कार्य करेगी।
- यह केंद्र स्वदेशी सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सेवा प्रदान करेगा।
- इसके अलावा यह तकनीकी दिशा-निर्देशों मानदंडों और पोर्ट संबंधी समस्याओं व समुद्री मसलों को मॉडल और सिमुलेशन के साथ रेखांकित करेगा।
- इस केंद्र को स्थापित करने में 70.53 करोड़ रुपये की लागत आएगी जिसे शिपिंग मंत्रालय आईडब्ल्यूएआई और बड़े बंदरगाहों द्वारा साझा करेंगे।

सागर माला परियोजना

सागर माला परियोजना (Sagar Mala project) भारत के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार की एक रणनीतिक और ग्राहक-उन्मुख पहल है जिससे पोर्ट के विकास को बढ़ाया जा सके और भारत के विकास में योगदान करने के लिए तट रेखाएं विकसित की जा सकें।

- यह मौजूदा बंदरगाहों को आधुनिक विश्वस्तरीय बंदरगाहों में रूपांतरित करने और सड़क, रेल, अंतर्देशीय और तटीय जलमार्गों के माध्यम से बंदरगाहों, औद्योगिक समूहों और दूरदराज के इलाकों और कुशल निकास प्रणालियों के विकास को एकीकृत करने की दिशा में दिख रहा है जिसके परिणामस्वरूप तटीय क्षेत्रों में बंदरगाह आर्थिक गतिविधियों के ड्राइवर बन सकेंगे।
- 25 मार्च 2015 को कैबिनेट ने भारत के 12 बंदरगाहों और 1208 द्वीप समूह को विकसित करने के लिए इस परियोजना को मंजूरी दी।
- कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 7,500 किलोमीटर लंबी तटीय समुद्र तट, 14,500 किलोमीटर की संभावित जलमार्ग और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर रणनीतिक स्थान का उपयोग करके देश में बंदरगाह के विकास को बढ़ावा देना है।

स्रोत: पीआईबी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन स्वायत्तशासी निकायों को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी

चर्चा में क्यों?

- 7 फरवरी, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन स्वायत्तशासी निकायों को युक्तिसंगत बनाने को मंजूरी प्रदान की गई।

मुख्य तथ्य

- इन निकायों में राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) और जनसंख्या स्थिरता कोष (जेएसके) शामिल हैं।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत इनके कामकाज को किया जाना प्रस्तावित है।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन स्वायत्तशासी निकायों को युक्तिसंगत बनाने में अंतर-मंत्रालयी परामर्श तथा इन निकायों के मौजूदा उप-नियमों की समीक्षा भी शामिल है।
- राष्ट्रीय आरोग्य निधि का गठन एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में उपचार कराने वाले निर्धन मरीजों को वित्तीय सहायता देने हेतु किया गया था।
- राष्ट्रीय आरोग्य निधि का कामकाज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन लाया जाएगा।
- इस निधि की प्रबंध समिति सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के प्रावधानों के तहत स्वायत्तशासी निकायों को रद्द करने हेतु बैठक करेगी।
- इसके अलावा स्वास्थ्यमंत्री के कैंसर रोधी निधि को भी विभाग को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके लिए एक वर्ष का समय निर्धारित है।
- जनसंख्या स्थिरता कोष वर्ष 2003 में 100 करोड़ रुपए की निधि से स्थापित किया गया था।
- उद्देश्य-जनसंख्या स्थिरीकरण रणनीतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा लक्षित आबादी के दृष्टिगत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करना है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में जेएसके को बंद किया जा सकता है क्योंकि निधि के तौर पर उसका कामकाज विभाग द्वारा संभव है।
- व्यय प्रबंधन आयोग की सिफारिशों पर नीति आयोग ने 19 स्वायत्तशासी निकायों की समीक्षा की थी जिन्हें सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत स्थापित किया गया था।
- इस समिति द्वारा जेएसके (जनसंख्या स्थिरता कोष) को बंद करने की तथा उनके कामकाज को मंत्रालय के अधीन लाने की सिफारिश की गई है।

स्रोत: पीआईबी

यूनानी चिकित्सा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, 2018

चर्चा में क्यों?

- 10-11 फरवरी, 2018 के मध्य 'यूनानी चिकित्सा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, 2018' नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

मुख्य तथ्य

- आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ यूनानी चिकित्सा में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद (CCRUM) द्वारा 'यूनानी दिवस' मनाए जाने के एक हिस्से के रूप में यह दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है।

इस सम्मेलन की थीम

- इस सम्मेलन की थीम-'मुख्यधारा स्वास्थ्य सेवा में यूनानी चिकित्सा प्रणाली का एकीकरण' है।
- राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के अलावा विभिन्न देशों जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, यूके, श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन, अमेरिका, पुर्तगाल, संयुक्त अरब अमीरात, स्लोवेनिया, इस्राइल, हंगरी, बहरीन, ताजिकिस्तान इत्यादि के प्रातिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया।
- इस सम्मेलन के दौरान भूमंडलीकरण, अनुसंधान, मानकीकरण से जुड़े मुद्दों के साथ औद्योगिक परिप्रेक्ष्य पर भी चर्चा की गई।

'यूनानी दिवस'

- गौरतलब है कि प्रसिद्ध यूनानी अनुसंधानकर्ता हकीम अजमल खान के जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को 'यूनानी दिवस' मनाया जाता है।
- पहला 'यूनानी दिवस' गत वर्ष हैदराबाद में मनाया गया था।
- हकीम अजमल खान एक प्रतिष्ठित भारतीय यूनानी चिकित्सक थे जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी, स्वतत्रंता सेनानी, शिक्षाविद् और यूनानी चिकित्सा में वैज्ञानिक शोध के संस्थापक थे।
- वर्ष 2018 में उनकी 150वीं जयंती थी।

स्रोत: पीआईबी

अंडमान निकोबार में सबसे बड़े समुद्री नौसैनिक अभ्यास मिलन-2018 का आयोजन

चर्चा में क्यों?

भारतीय नौसेना मार्च 2018 के दूसरे हफ्ते में अंडमान निकोबार में अब तक के सबसे बड़े समुद्री नौसैनिक अभ्यास मिलन-2018 का आयोजन करने जा रही है।

मिलन-2018

- यह युद्धाभ्यास नौसेना के अंडमान निकोबार कमांड के तत्वावधान में पोर्ट ब्लेयर में 06 मार्च से 13 मार्च तक आयोजित किया जायेगा।
- युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए पहली बार एक साथ दुनिया के 22 देशों की नौसेना भारत में जुटेगी।
- हिंद महासागर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास के हजारों वर्गमील समुद्री क्षेत्र में होने वाले इस युद्धाभ्यास के दौरान भारत सहित सभी 22 देशों की नौसेना अपने-अपने युद्धपोतों के साथ शक्ति का प्रदर्शन भी करेंगे।
- इस बार इस युद्धाभ्यास में गैरकानूनी समुद्री गतिविधियों से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर ज्यादा फोकस किया जायेगा।

उद्देश्य:

- इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में किसी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाना है।
- सात दिनों तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में युद्धपोतों पर सवार नौसैनिक युद्ध और प्राकृतिक आपदा से निपटने समेत आपसी तालमेल बढ़ाने जैसी तकनीक पर मिलकर काम करेंगे.
- बचाव कार्यों का अभ्यास, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, विभिन्न देशों के चेतावनी संकेतों, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, प्राकृतिक आपदाओं के किट और उनकी डिलीवरी के तंत्र को भी परखा जाएगा.
- भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को छोड़कर हिंद महासागर के तट से लगे लगभग सभी देश इसमें हिस्सा लेंगे।

मिलन

पहली बार मिलन वर्ष 1995 में आयोजित किया गया था. मिलन अभ्यास का मकसद पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की नौसेनाओं के दोस्ताना संबंधों को बढ़ावा देना है. यह भारत-प्रशांत क्षेत्र में हमारे पड़ोसी देशों की सुरक्षा और स्थिरता के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है. समुद्री क्षेत्र में स्थिरता और समुद्री मार्गों से कारोबार को देखते हुए यह अभ्यास काफी अहम है।

स्रोत: द हिंदू

स्वदेश निर्मित ड्रोन रुस्तम-2 का सफल परीक्षण

चर्चा में क्यों?

भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन (डीआरडीओ) ने 25 फरवरी, 2018 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित अपने परीक्षण केंद्र से स्वदेश निर्मित ड्रोन रुस्तम-2 का सफल परीक्षण किया।

मुख्य तथ्य

- इस ड्रोन को भारत में ही बनाया गया है। मध्यम ऊंचाई तक और लंबी अवधि तक उड़ने वाले इस ड्रोन का विकास सेना की तीनों शाखाओं के लिए किया गया है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- रुस्तम–2 एक बार में लगातार 24 घंटे तक उड़ने की क्षमता रखता है और यह लगातार चौकसी कर सकता है और साथ में हथियार भी ले जा सकता है। मध्यम ऊंचाई तक और लंबी अवधि तक उड़ने वाले इस ड्रोन का विकास सेना की तीनों शाखाओं के लिए किया गया है।

रुस्तम–2 की विशेषताएं

- इस विमान का दूसरा नाम TAPAS-BH- 201 है और यह भारत में बनाया गया है।
- रुस्तम–2 अलग–अलग तरह के पेलोड साथ ले जाने में सक्षम है।
- यह विमान 22 हजार फीट तक उड़ सकता है और 24 घंटे तक लगातार काम भी कर सकता है।
- रुस्तम–1 की लॉन्चिंग के 7 साल बाद इसे बनाया गया है, जो अमेरिकी ड्रोन 'प्रिडेटर' को टक्कर देगा।
- डीआरडीओ ने इसे सैन्य मकसद के लिए तैयार किया है। इसका इस्तेमाल दुश्मन की टोह लेने, निगरानी रखने, टारगेट पर सटीक निशाना लगाने और सिग्नल इंटेलिजेंस में भी किया जाएगा।
- यह 280 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ सकता है और सभी रेंज में काम कर सकता है। यह मानवरहित विमान है, जिसे जमीन से ही कंट्रोल किया जा सकता है।
- फिलहाल सेना के पास 200 ड्रोन हैं। इनमें से अधिकांश लंबी दूरी और टारगेट पर नजर रखने वाले इजरायल से खरीदे गए हैं।

पृष्ठभूमि

- रुस्तम–2 का नाम भारतीय वैज्ञानिक रुस्तम दमानिया के नाम पर रखा गया है। 80 के दशक में रुस्तम दमानिया ने एविएशन की दुनिया में जो रिसर्च किया उससे देश को बहुत फायदा हुआ था. रुस्तम की यह उड़ान इस कारण से मायने रखती है क्योंकि उच्च शक्ति वाले इंजन के साथ उपयोगकर्ता कंफीगरेशन में यह पहली उड़ान है।

स्रोत: द हिंदू

रक्षा मंत्री ने विनय शील ओबेरॉय की अध्यक्षता में समिति गठित की

चर्चा में क्यों?

- सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण से जुड़ी परियोजनाओं में तेजी और निगरानी के लिए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की है। यह एक 13 सदस्यीय परामर्शी समिति होगी।
- सरकार के पूर्व सचिव विनय शील ओबेराय इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इनका कार्यकाल अगस्त 2018 तक रहेगा।

विनय शील समिति के बारे में

- समिति के अन्य सदस्यों में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन आरके त्यागी, आर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड के पूर्व सदस्य आरके जैन, केपीएमजी के एयरोस्पेस के पार्टनर हेड और रक्षा डिवीजन के अंबर दुबे और अर्नस्ट एंड यंग के विशेष सलाहकार एलएलपी आर आनंद भी हैं।

मुख्य तथ्य

- रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस समिति पर स्वतंत्र रूप से समीक्षा करने की जिम्मेदारी है।
- यह 500 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति की जांच करेगी।
- समिति यह भी पता लगाएगी कि कहां बाधाएं आ रही हैं और देरी के लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं।

- समिति उन समस्याओं से निपटने के उपाय भी सुझाएगी जिनसे निपटने पर सेना को आधुनिकीकरण के लिए तैयार किया जा सकता है।
- समिति परियोजनाओं की शुरुआती स्थिति रिपोर्ट मार्च तक रक्षा मंत्री को सौंप देगी।
- इस रिपोर्ट के आधार पर अप्रैल के अंत तक पहली और जुलाई के अंत तक दूसरी फॉलोअप रिपोर्ट सौंपी जाएगी।

पृष्ठभूमि

देश में सैन्य साजो-सामान की खरीद के लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता है। 13वीं रक्षा योजना (2017-22) में पाकिस्तान और चीन से बढ़ते खतरों और भारत के भू-रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय सेनाओं ने सरकार से 26.84 लाख करोड़ रुपए आगामी पांच सालों के लिए मांगे हैं। इसके चलते रक्षा मंत्री ने सेना के आधुनिकीकरण के लिए आश्वासन दिया था।

स्रोत: द हिंदू

ELITE IAS

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

अन्य खबरें

विश्व कैंसर दिवस

- विश्व भर में 4 फरवरी 2018 को विश्व कैंसर दिवस (डब्ल्यूसीडी) मनाया गया। विश्व कैंसर दिवस का विषय है, "हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ।" इस विषय द्वारा यह बताने का कोशिश किया गया है कि किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अथवा विभिन्न लोग मिलकर विश्व में कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं।

उद्देश्य:

- इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य कैंसर के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और रोग का जल्दी पता लगाने की जरूरत तथा कैंसर के उपचार पर ध्यान केंद्रित करना है। इसका उद्देश्य विश्व में प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों को कैंसर के कारण होने वाली मृत्यु से बचाना भी है।

शेष आनंद मधुकर को साहित्य अकादमी भाषा सम्मान प्रदान किया गया

- मगही भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार शेष आनंद मधुकर को 1 फरवरी 2018 को साहित्य अकादमी के भाषा सम्मान से सम्मानित किया गया। आनंद मधुकर को वर्ष 2016 के लिए यह पुरस्कार दिया गया।
- यह सम्मान साहित्य अकादेमी के अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद तिवारी द्वारा प्रदान किया गया। भाषा सम्मान स्वरूप उन्हें एक स्मृतिफलक, अंगवस्त्रम एवं एक लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई।

शेष आनंद मधुकर

- शेष आनंद मधुकर का जन्म बिहार के ग्राम दरियापुर, थाना टिकारी, गया (बिहार) में 8 दिसंबर, 1939 को हुआ था।
- उन्होंने वर्ष 1960 में साहित्य क्षेत्र में कदम रखा एवं उस समय से वे इस क्षेत्र में कार्यरत हैं।
- उनकी कविताएं हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं।
- शेष आनंद मधुकर ने मगही भाषा के विकास हेतु व्यापक कार्य किए हैं।
- उनकी मगही और हिंदी में पांच से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं।
- शेष आनंद मधुकर ने मगही भाषा में विभिन्न विधाओं में अपनी रचनाएं प्रस्तुत कीं हैं।
- उनकी प्रसिद्ध हिंदी रचनाओं में एकलव्य, मगही कविता के बिम्ब तथा भगवान बिरसा शामिल हैं.

भाषा सम्मान

- यह उन भाषाओं में साहित्यिक कार्यों को सम्मान डेटा है जो देश के विभिन्न हिस्सों में समान रूप से बोली जाती हैं. यह सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कारों के लिए मान्यता प्राप्त 24 क्षेत्रीय भाषाओं में से नहीं दिया जाता। यह सम्मान अन्य भाषाओँ के महत्व को दर्शाने तथा उन भाषाओँ के लेखकों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से दिया जाता है। इसमें पुरस्कार स्वरुप एक लाख रुपये तथा स्मृतिफलक दिया जाता है।

मगही भाषा

- मगही अथवा मगधी भाषा भारत के मध्य पूर्व में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। इसका निकट संबंध भोजपुरी और मैथिली भाषा से है और अक्सर ये भाषाएँ एक ही साथ बिहारी भाषा के रूप में पहचानी जाती हैं। इसे देवनागरी लिपि

में लिखा जाता है। मगही बोलनेवालों की संख्या वर्ष 2002 में लगभग 1 करोड़ 30 लाख आंकी गयी थी. यह मुख्य रूप से यह बिहार के गया, पटना, राजगीर, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, नवादा और औरंगाबाद के इलाकों में बोली जाती है।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवसः 28 फरवरी

- भारत में 28 फरवरी, 2018 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम 'एक स्थायी भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी' (साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर) है।
- यह दिवस रमण प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। यह खोज भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा 28 फरवरी 1928 को की गई थी।
- सीवी रमन को इस खोज के कारण वर्ष 1930 में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह किसी भी भारतीय एवं एशियन व्यक्ति द्वारा जीता गया पहला नोबल पुरस्कार था।

कांची शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती का निधन

- कांची मठ के प्रमुख शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती का 28 फरवरी 2018 को तमिलनाडु के कांचीपुरम में निधन हो गया. कांची कोमकोटि पीठ के प्रमुख जयेंद्र सरस्वती स्वामिगल 82 वर्ष के थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।
- शंकराचार्य जयेन्द्र सरस्वती का 18 जुलाई, 1935 को तमिलनाडु में हुआ था। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के काँचीपुरम नगर में स्थित कांची कामकोटि पीठ के 69वें शंकराचार्य थे। उन्हें वेदों के ज्ञाता माना जाता है।

कर्नाटक ने सौराष्ट्र को हराकर तीसरी बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती

- कर्नाटक ने 27 फरवरी, 2018 को नई दिल्ली में खेले गये फाइनल मैच में सौराष्ट्र को 41 रन से हराकर तीसरी बार विजय हजारे ट्रॉफी राष्ट्रीय एकदिवसीय चौंपियनशिप जीती। इस सत्र में रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक 1160 रन बनाने वाले 27 वर्षीय बल्लेबाज अग्रवाल ने 90 रन की जबरदस्त पारी खेली।
- सौराष्ट्र के कप्तान चेतेश्वर पुजारा ने पहले फील्डिंग का फैसला किया। इसके जवाब में कर्नाटक की शुरुआत बेहद खराब रही और दूसरे ही ओवर में कप्तान करुण नायर अपना खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद आए के एल राहुल भी शून्य के स्कोर पर रन आउट हुए।

प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी का निधन

- बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में प्रसिद्ध श्रीदेवी का 24 फरवरी, 2018 को दुबई में हृदयघात के कारण निधन हो गया। वे 54 वर्ष ही थीं। वे एक समारोह में भाग लेने परिवार सहित दुबई गयीं थीं।
- श्रीदेवी ने अपने करियर में 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने 54 वर्ष की आयु में से 50 वर्ष अभिनय एवं नृत्य को समर्पित किये। उन्होंने चार वर्ष की अल्पायु से ही अभिनय में कदम रखा था।

स्टार्टअप ऑफ द ईयर, 2017

- 14 फरवरी, 2018 को 'मिल्क बास्केट' को 'स्टार्टअप ऑफ द ईयर, 2017' के रूप में मान्यता दी गई।
- यह सम्मान उसे 7वें वार्षिक 'स्मॉल बिजनेस अवॉर्ड' के दौरान दिया गया।
- 'मिल्कबास्केट' भारत का पहला और सबसे बड़ा 'सूक्ष्म-वितरण मंच' (Micro Delivery Platform) है।
- जो कि ग्रॉसेरी (Grocery) डिलीवरी उद्योग में संलग्न है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- इसके सह-संस्थापक और सीईओ अनंत गोयल हैं।
- ध्यातव्य है कि 'स्टार्टअप ऑफ द ईयर' पुरस्कार नए एसएमई को प्रदान किया जाता है।
- जो कि सात वर्ष या उससे कम की अवधि से अस्तित्व में हैं।
- पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उनका चयन किया जाता है जिनमें स्थानीय/अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बड़ा बनने की काफी संभावना हो।
- 'स्मॉल बिजनेस अवॉर्ड, 2018' का आयोजन फ्रेंचाइज इंडिया समूह द्वारा किया गया था।
- पुरस्कार समारोह का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था।

71वां बाफ्टा अवॉर्ड्स, 2018

- 18 फरवरी, 2018 को लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में 71वां बाफ्टा अवॉर्ड्स, 2018 का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया।
- मार्टिन मैकडोनाघ की फिल्म 'थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग, मिसौरी' ने समारोह में सर्वाधिक 5 पुरस्कार जीते।
- गिलर्मो डेल टोरो की फिल्म 'द शेप ऑफ वाटर' सर्वाधिक 12 श्रेणियों में नामांकित की गई थी जिसने 3 पुरस्कार जीते।
- समारोह में वितरित प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार रहे-
- सर्वश्रेष्ठ फिल्म-थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग, मिसौरी (मार्टिन मैकडोनाघ-निर्देशक, लेखक एवं निर्माता)
- आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म-थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग, मिसौरी
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता-गैरी ओल्डमैन (डार्केस्ट ऑवर)
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री-फ्रांसेस मैकडोरमंड (थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग, मिसौरी)
- सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता-सैम रॉकवेल (थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग, मिसौरी)
- सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री-एलीसन जैनी (आई, टोन्या)
- ओरिजनल स्क्रीनप्ले अवॉर्ड-थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग, मिसौरी
- सर्वश्रेष्ठ निर्देशक-गिलर्मो डेल टोरो (द शेप ऑफ वाटर)
- सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत अवॉर्ड-अलेक्जांद्रे डेस्प्लाट (द शेप ऑफ वाटर)
- सर्वश्रेष्ठ डाक्यूमेंट्री-आई एम नॉट योर नेग्रो
- सर्वश्रेष्ठ छायांकन-ब्लेड रनर 2049
- सर्वश्रेष्ठ एनीमेटेड फिल्म-कोको
- सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश शॉर्ट एनीमेशन-पोलेस अपार्ट
- सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश शॉर्ट फिल्म-काऊब्वॉय डेव
- 'द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स (BAFTA: The British Academy of Film and Telivison Arts) एक विश्वस्तरीय स्वतंत्र कला संस्था है।
- इसकी स्थापना 16 अप्रैल, 1947 को हुई थी। ब्रिटिश फिल्म में उत्कृष्ट रचनात्मक कार्य करने वालों को मान्यता देने हेतु इसकी स्थापना की गई थी।

FIH हॉकी स्टार्स अवाड्र्स, 2017

- अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH) के हॉकी स्टार्स अवाड्र्स, 2017 के विजेताओं की घोषणा बर्लिन, जर्मनी में की गई। (5 फरवरी, 2018)
- पुरस्कार प्राप्तकर्ता इस प्रकार रहे–
- 'वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी'– आर्थर वैन डोरेन (बेल्जियम)
- 'वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी'– डेलफिना मेरिनो (अर्जेंटीना)
- 'वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उभरता हुआ पुरुष खिलाड़ी'– आर्थर वैन डोरेन (बेल्जियम), लगातार दूसरी बार।
- 'वर्ष की सर्वश्रेष्ठ उभरती हुई महिला खिलाड़ी'– मारिया जोस ग्रानाटो (अर्जेंटीना), लगातार दूसरी बार।
- 'वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर'– विन्सेंट वानास्च (बेल्जियम)
- 'वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर'– मैडी हिंच (इंग्लैंड), लगातार दूसरी बार।
- 'वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच'– मैक्स कैलडास (अर्जेंटीना) एवं शेन मैक्लियॉड (न्यूजीलैंड), संयुक्त विजेता।
- 'वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला कोच'– एलिसन अन्नान (ऑस्ट्रेलिया)
- 'वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंपायर'– जॉन राइट (दक्षिण अफ्रीका)
- 'वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला अंपायर'– साराह विल्सन (स्कॉटलैंड)

डॉ. वी. शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड, 2018

- 3 फरवरी, 2018 को प्रसिद्ध फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल को वर्ष 2018 का प्रतिष्ठित 'डॉ. वी. शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' प्रदान किया गया।
- उन्हें यह पुरस्कार मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.वी. राव द्वारा प्रदान किया गया।
- उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार फिल्मों की दुनिया में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु फिल्म निर्माताओं के लिए प्रसिद्ध फिल्म निर्माता शांताराम राजाराम वानुकुरे की स्मृति में स्थापित किया गया था।
- यह प्रतिवर्ष मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (MIFF) द्वारा प्रदान किया जाता है।
- उन्हें वर्ष 2005 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।
- इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1991 में पद्मभूषण से सम्मानित किया जा चुका है।

अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

- 21 फरवरी, 2018 को संपूर्ण विश्व में 'अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस' (International Mother Language Day) मनाया गया।
- वर्ष 2018 में इस दिवस का मुख्य विषय (Theme) 'सतत विकास के लिए भाषायी विविधता और बहुभाषावाद की संख्या' (Linguistic diversity and multilingualism count for sustainable development) है।
- उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) की सामान्य सभा द्वारा 'नवंबर, 1999 में इस दिवस' को मनाने की घोषणा की गई थी।
- जिसके पश्चात यह दिवस फरवरी, 2000 से प्रतिवर्ष भाषाई और सांस्कृतिक विविधता' और बहुभाषावाद को बढ़ावा

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

देने के लिए मनाया जाता है।

- गौरतलब है कि 21 फरवरी, 1952 को ढाका में कई छात्रों ने बांग्ला को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग को लेकर पुलिस की गोलियों के सामने शहादत हासिल की।
- संयुक्त राष्ट्र ने इसकी स्मृति में प्रतिवर्ष इस दिन दिवस मनाने का निर्णय किया।

विश्व सामाजिक न्याय दिवस

- 20 फरवरी, 2018 को संपूर्ण विश्व में 'विश्व सामाजिक न्याय दिवस' (World Day of Social Justice) मनाया गया।
- वर्ष 2018 में इस दिवस का मुख्य विषय (Theme) है– "Workers on the Move the Quest for Social Justice" ।
- उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी।

पुस्तक 'एग्जाम वारियर्स'

- 3 फरवरी, 2018 को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुस्तक 'एग्जाम वारियर्स' का लोकार्पण किया।
- यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई है।
- परीक्षा के दौरान बच्चों में होने वाले तनाव के संदर्भ में यह पुस्तक लिखी गई है।
- न्यू इंडिया के युवाओं के सपनों को बिना तनाव के पंख लगाने में मददगार यह किताब नरेंद्र मोदी एप पर भी पढ़ी जा सकती है।